



कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

वर्ष 68 अंक : 5 पृष्ठ : 72 मार्च 2022 मूल्य : ₹ 30

विशेषांक

केंद्रीय बजट 2022-23





हमारी पत्रिकाएं

योजना
विकास को समर्पित मासिक
(हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू व 10 अन्य भारतीय भाषाओं में)



प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

कुरुक्षेत्र
ग्रामीण विकास पर मासिक
(हिंदी और अंग्रेजी)

आजकल
साहित्य एवं संस्कृति का मासिक
(हिंदी तथा उर्दू)

रोज़गार समाचार
साप्ताहिक
(हिंदी, अंग्रेजी तथा उर्दू)

बाल भारती
बच्चों की मासिक पत्रिका
(हिंदी)

घर पर हमारी पत्रिकाएं मंगाना है काफी आसान...

आपको सिर्फ नीचे दिए गए 'भारत कोश' के लिंक पर जा कर पत्रिका के लिए ऑनलाइन डिजिटल भुगतान करना है-
<https://bharatkosh.gov.in/Product/Product>

सदस्यता दरें

प्लान	योजना या कुरुक्षेत्र या आजकल (सभी भाषा)		रोज़गार समाचार		सदस्यता शुल्क में रजिस्टर्ड डाक का शुल्क भी शामिल है। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर नए ग्राहकों को अब रोज़गार समाचार के अलावा सभी पत्रिकाएं केवल रजिस्टर्ड डाक से ही भेजी जाएंगी। पुराने ग्राहकों के लिए मौजूदा व्यवस्था बनी रहेगी।
	वर्ष	रजिस्टर्ड डाक	बाल भारती	मुद्रित प्रति (साधारण डाक)	
1	₹ 434	₹ 364	₹ 530	₹ 400	
2	₹ 838	₹ 708	₹ 1000	₹ 750	
3	₹ 1222	₹ 1032	₹ 1400	₹ 1050	

ऑनलाइन के अलावा आप डाक द्वारा डिमांड ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर से भी प्लान के अनुसार निर्धारित राशि भेज सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर 'अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय' के पक्ष में नई दिल्ली में देय होना चाहिए। रोज़गार समाचार की 6 माह की सदस्यता का प्लान भी उपलब्ध है, प्रिंट संस्करण रु. 265/-, ई-संस्करण रु. 200/-, कृपया ऑनलाइन भुगतान के लिए <https://eneversion.nic.in/membership/login> लिंक पर जाएं। डिमांड ड्राफ्ट 'Employment News' के पक्ष में नई दिल्ली में देय होना चाहिए। अपने डीडी, पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर के साथ नीचे दिया गया 'सदस्यता कूपन' या उसकी फोटो कॉपी में सभी विवरण भरकर हमें भेजे। भेजने का पता है- संपादक, पत्रिका एकांश, प्रकाशन विभाग, कक्ष सं. 779, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.

अधिक जानकारी के लिए ईमेल करें- pdjucir@gmail.com

हमसे संपर्क करें- फोन: 011-24367453, (सोमवार से शुक्रवार सभी कार्य दिवस पर प्रातः साढ़े नौ बजे से शाम छह बजे तक)

कृपया नोट करें कि पत्रिका भेजने में, सदस्यता शुल्क प्राप्त होने के बाद कम से कम आठ सप्ताह लगते हैं, कृपया इतने समय प्रतीक्षा करें और पत्रिका न मिलने की शिकायत इस अवधि के बाद करें।

सदस्यता कूपन (नई सदस्यता/नवीकरण/पते में परिवर्तन)

कृपया मुझे 1/2/3 वर्ष के प्लान के तहत पत्रिका भाषा में भेजें।

नाम (साफ व बड़े अक्षरों में)

पता :

..... जिला पिन

ईमेल मोबाइल नं.

डीडी/पीओ/एमओ सं. दिनांक सदस्यता सं.



कुरुक्षेत्र

इस अंक में



वर्ष : 68 ★ मासिक अंक : 5 ★ पृष्ठ : 72 ★ फाल्गुन-चैत्र 1943 ★ मार्च 2022

वरिष्ठ संपादक : **ललिता श्वुराना**
 उत्पादन अधिकारी : **डी.के.सी. हृदयनाथ**
 आवरण : **राजिन्द्र कुमार**
 सज्जा : **मनोज कुमार**
 संपादकीय कार्यालय
 कमरा नं. 655, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन,
 सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड,
 नई दिल्ली-110003
 ई-मेल : kuru.hindi@gmail.com
 वेबसाइट : publicationsdivision.nic.in
 @publicationsdivision
 @DPD_India
 @dpd_India

कुरुक्षेत्र सदस्यता शुल्क
 पत्रिका ऑनलाइन खरीदने के लिए bharatkash.gov.in/product पर
 तथा ई-पुस्तकों के लिए Google play, Kobo या Amazon पर लॉग-इन
 करें।
 वार्षिक : ₹ 230, द्विवार्षिक : ₹ 430, त्रिवार्षिक : ₹ 610

कुरुक्षेत्र की सदस्यता की जानकारी लेने, एजेंसी संबंधी
 सूचना तथा विज्ञापन छापवाने के लिए संपर्क करें-

अभिषेक चतुर्वेदी, संपादक, पत्रिका एकांश
 प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 779, सातवां तल,
 सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
 लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003

सदस्यता शुल्क जमा करने के बाद पत्रिका प्राप्त होने
 में कम से कम 8 सप्ताह का समय लगता है।

पत्रिका न मिलने की शिकायत हेतु इस पर मेल
 करें ई-मेल : pdjuicir@gmail.com या दूरभाष:
 011-24367453 पर संपर्क करें।



कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार
 लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी
 दृष्टिकोण भी वही हो। पाठकों से आग्रह है कि
 कैरियर मार्गदर्शक किताबों/संस्थानों के बारे में
 विज्ञापनों में किए गए दावों की जांच कर लें।
 पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय-वस्तु के
 लिए 'कुरुक्षेत्र' उत्तरदायी नहीं है।

आत्मनिर्भर भारत की ओर	5
-अमिताभ कांत, नमन अग्रवाल, सिद्धेय शिंदे	
बेहतर और प्रतिस्पर्धी कृषि	10
-डॉ. के. के. त्रिपाठी	
ड्रोन भारत में कृषि का भविष्य	15
-डॉ. आर.एस. सेंगर, कृशानु, वर्षा रानी	
कृषि उत्पादों का विपणन और मूल्यवर्धन	21
-शिशिर सिन्हा	
आर्थिक सुधार और रोजगार सृजन	25
-डॉ. इशिता जी. त्रिपाठी	
ग्रामीण अवसंरचना विकास	30
-अरविंद कुमार सिंह	
सुदृढ़ ग्रामीण अर्थव्यवस्था का लक्ष्य	37
-सतीश सिंह	
ऊर्जा सुरक्षा के साथ हरित रोजगार	44
-अरविन्द कुमार मिश्रा	
समावेशी विकास को बढ़ावा	49
-करिश्मा शर्मा, ईशिता सिरसीकर	
नारी और युवा सशक्तीकरण	53
-पीयूष प्रकाश, डॉ. प्रेम सिंह	
नदी जोड़े अभियान	58
-प्रमोद भार्गव	
भारत में वित्तीय समावेशन	62
-परमेश्वर लाल पोद्दार, डॉ. आशुतोष कुमार	
स्थानीय स्वशासन के साथ सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण ज़रूरी	68
-जयश्री रघुनंदन	



प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

नई दिल्ली	दिल्ली	नवी मुंबई	कोलकाता	चेन्नई	तिरुअनंतपुरम	हैदराबाद	बैंगलुरु	पटना	लखनऊ	अहमदाबाद	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260																
हाल सं. 196, पुराना सचिवालय	701, सी-विंग, सातवीं मंज़िल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	8, एसप्लानेड ईस्ट	'ए' विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	प्रेस रोड, नई गवर्नमेंट प्रेस के निकट	कमरा सं. 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवादिगुड़ा सिकंदराबाद	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदर, कोरामंगला	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-ए, अलीगंज	4-सी, नैफ्युन टॉवर, चौथी मंज़िल, एचपी पेट्रोल पंप के निकट, नेहरू ब्रिज कार्னர், आश्रम रोड, अहमदाबाद	110054	400614	700069	600090	695001	500080	560034	800004	226024	380009	011-23890205	022-27570686	033-22488030	044-24917673	0471-2330650	040-27535383	080-25537244	0612-2683407	0522-2325455	079-26588669

वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट को अगर अमृतकाल का 'ब्लूप्रिंट' कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बजटीय भाषण की प्रारंभिक पंक्तियों में ही इसे आज़ादी के सौ वर्ष की यात्रा में अग्रसर भारत (इंडिया@100) का दृष्टिपत्र करार दिया है। बजट में तात्कालिक आर्थिक अवसरों व चुनौतियों को हल करने के साथ भविष्य के भारत की तैयारी को प्राथमिकता दी गई है। ये योजनाएं पूरी होने में कई दशक जरूर लगेंगे लेकिन स्थायी ढांचागत विकास होगा, जो कालांतर में देशव्यापी खुशहाली लाने का आधार बनेंगे।

इन परियोजनाओं के अंतर्गत नदियां परस्पर जोड़ने की महत्वाकांक्षी परियोजना तो है ही; सड़क, जलमार्ग, रेल, बंदरगाह और हवाईअड्डे विकसित किए जाना भी प्रस्तावित हैं। इससे रोजगार के बढ़े अवसर सृजित होंगे और खेती-किसानी बेहतर होगी। किसानों की आय बढ़ने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना से पानी की कमी से जूझ रहे बुंदेलखंड के लोगों को सिंचाई और पेयजल उपलब्ध कराने के लिए बजट में 1400 करोड़ रुपये देने का प्रावधान भी किया गया है।

बजट में कृषि को बेहतर और प्रतिस्पर्धी बनाकर गांवों और किसानों के लिए लाभकारी बनाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। सबसे अहम खेती में ड्रोन के उपयोग के साथ-साथ प्राकृतिक या जैविक खेती को बढ़ावा देने से जुड़ा फैसला है। इस क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं। देश में बिना रसायन की खेती को बढ़ावा देने और किसान की माली हालत सुधारने के प्रयासों पर जोर दिया गया है। निःसंदेह खेती में लागत कम करने, मनुष्य, मिट्टी और पर्यावरण की सेहत को सुधारने के लिए प्राकृतिक और जैविक खेती ही विकल्प है।

देश के किसानों की आय बढ़ाने और आम जन को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के दोहरे उद्देश्य के साथ 2023 को 'मोटा अनाज वर्ष' घोषित किया गया है। भारत में सदियों से मोटे अनाज का उत्पादन होता रहा है। इसकी वजह यह है कि न केवल इसकी उत्पादन लागत कम होती है बल्कि अधिक तापमान में भी खेती संभव है। साथ ही, इसमें सिंचाई के लिए पानी की कम खपत होती है। इसके अन्य लाभों में कम उपजाऊ भूमि में इसका उत्पादन संभव होना और कीटनाशकों की कम जरूरत होना शामिल है। मोटे अनाज में बाजरा, ज्वार, जौ, कोदो आदि फसलें आती हैं। मोटे अनाज में पौष्टिक तत्व अधिक होते हैं। सरकार द्वारा मानव सेहत को ध्यान रखते हुए अंतरराष्ट्रीय-स्तर पर मोटे अनाज की घरेलू खपत को बढ़ाने के लिए उत्पादन से लेकर बिक्री तक में सहायता की जाएगी। किसानों की आय बढ़ाने से जुड़ा एक अन्य महत्वपूर्ण फैसला फसल अवशेष प्रबंधन का है जिससे प्रदूषण तो कम होगा ही; साथ ही, किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे 38 मिलियन टन कार्बन डाई-ऑक्साइड का उत्सर्जन कम होने का अनुमान है।

ग्रामीण भारत के कार्यालय में सड़कों का तेज गति से विकास अहम भूमिका निभा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों, संसाधनों और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से देश की उन संभावनाओं को गति मिल रही है जो दशकों से उपेक्षित पड़ी हुई थीं। हजारों बसावटों को सभी मौसम लायक सड़क संपर्कता से जोड़ा गया है। बजट में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए 2022-23 में पिछले साल के संशोधित अनुमान से 36 प्रतिशत अधिक राशि का प्रावधान किया गया है।

ग्रामीण भारत में आ रहे तेज बदलावों में सूचना और संचार क्रांति की ताकत को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है। आज देश के हर इलाके में इसके असर को देखा-समझा जा सकता है। एक तरफ इसने देश में वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को मजबूत करने में मदद की है तो दूसरी तरफ, रोजगार के नए अवसर सृजित किए हैं। कोरोनाकाल में देश में शिक्षा, व्यवसाय, कृषि से लेकर आम जन तक जरूरी सामान पहुंचाने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आज 134 करोड़ से अधिक आबादी वाला भारत दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे मजबूत दूरसंचार बाज़ार बन चुका है। गांवों में संचार क्रांति के चलते खेतीबाड़ी से जुड़ी सूचनाएं हासिल करना, मंडी में उत्पाद भेजना, बेहतर तकनीक हासिल करना, ई-कामर्स, ई-शिक्षा और ई-स्वास्थ्य तक पहुंचाना आसान हुआ है। भविष्य में गांवों में कुम्हार, बुनकर, बढ़ई कारीगर जैसे पेशेवरों के लिए यह नई संभावनाएं पैदा करेगा।

ग्रामीण इलाकों में बिजली की विश्वसनीय उपलब्धता और इंटरनेट की सुविधा से कृषि उत्पादों को नया बाजार मिल रहा है। सरकार को इसी कारण ई-कृषि मंडी और ई-पंचायत जैसी नई योजनाएं लागू करने में मदद मिली है। सूचना और संचार क्रांति का ग्रामीण समाज पर काफी असर दिख रहा है। मोबाइल-जनधन और आधार के समीकरण से 44 करोड़ से अधिक उन लोगों का बैंकिंग प्रणाली के साथ जुड़ाव हुआ, जो खाता खुलवाने में भी सक्षम नहीं थे।

'हर घर नल' योजना के तहत 2022-23 के दौरान 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल करने की रणनीति बनाई गई है। सरकार ने अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन आरंभ किया जिसके तहत 2024 तक हर ग्रामीण घर को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन मुहैया कराने की महत्वाकांक्षी योजना 'हर घर नल' बनाई गई। देश में परिवहन, अपशिष्ट प्रबंधन, अक्षय ऊर्जा और शहर केंद्रित कृषि के जरिए हरित ऊर्जा को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने अपनी नई ऊर्जा नीति को स्वर्ण ऊर्जा नीति के रूप में प्रस्तुत किया है। इसके अंतर्गत 2030 तक 10 हजार मेगावॉट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इसमें जल विद्युत, सोलर और अन्य सभी तरह के ऊर्जा विकल्पों को शामिल किया गया है। अकेले हिमाचल प्रदेश के बिजली क्षेत्र में नौ साल में दो लाख करोड़ का निवेश होगा और इस अवधि में एक लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

संक्षेप में, देश सामाजिक व आर्थिक जीवन के उस अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है, जहां उसे भविष्य के भारत के समावेशी विकास की अवसंरचना विकसित करनी है। एक ऐसी ऊर्जामयी आधारभूत संरचना जो भारतीय नागरिकों के जीवन-स्तर को गुणवत्ता प्रदान करने के साथ संपूर्ण जलवायु न्याय की वैश्विक प्रतिबद्धता को भी पूर्ण करे। बजट 2022-23 इसी दिशा में एक सार्थक पहल है जिसे इस अंक में विशेषज्ञों ने अपने आलेखों के जरिए समझाने का प्रयास किया है। आशा है कि बजट विशेषांक सुधि पाठकों को बजट से जुड़े विविध पहलुओं को समझने में मददगार होगा।

आत्मनिर्भर भारत की ओर

—अमिताभ कांत, नमन अग्रवाल, सिद्धेय शिंदे

भारत एक पूर्ण परिवर्तनकाल में है। अगले दशक में 9 करोड़ रोजगार सृजन के साथ नवोदित क्षेत्रों को निरंतर उच्च विकास दर बनाए रखने के लिए प्रेरित करने की चुनौती का सामना करते हुए देश को अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधारों को लागू करने की आवश्यकता होगी। ऐसे समय में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस महामारी ने गंभीर आघात किया है, 8.0 से 8.5 प्रतिशत जीडीपी विकास दर को बहाल करना एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है।

अब जब भारत पांच ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पटरी पर लौट रहा है, भारत ने इस अवसर का लाभ ऐसे सुधारों और कार्यक्रमों को शुरू करके उठाया है जो देश को उच्च विकास के पथ पर ले जाएंगे। कोविड-19 संकट भारत के सामने आई संरचनात्मक कमजोरियों की एक अहम चेतावनी था जिसने यह स्पष्ट किया कि अगर निर्णायक सुधार नहीं लागू किए जाएंगे तो भारत पर एक दशक तक बढ़ती बेरोजगारी और आर्थिक ठहराव का जोखिम मंडराएगा। इसे ध्यान में रखते हुए और तीव्र विकास को प्रोत्साहन देते हुए बजट 2022-23 में अमृतकाल के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की दिशा निर्धारित की गई है।

ऐसे परिवर्तन की कुंजी प्रौद्योगिकी-आधारित दृष्टिकोण में निहित है। इसे तभी हासिल किया जा सकता है जब हम ढांचागत सुधारों के ज़रिए प्रौद्योगिकी को विकसित करें और नवोन्मेष को बढ़ावा दें। ऐसा करने के लिए हमें जापान और दक्षिण कोरिया से सीख लेनी होगी जहां नवोदित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने से लंबे समय तक उच्च विकास हुआ। अपने भाषण में वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने भारत के लिए नवोदित (सनराइज़) क्षेत्रों के अवसरों पर प्रकाश डाला जिनमें शामिल हैं : कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस), भू-स्थानिक प्रणाली (जियोस्पेशियल सिस्टम) तथा ड्रोन, 5G और सेमीकंडक्टर परितंत्र (इकोसिस्टम), अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था (स्पेस इकोनॉमी), जीनोमिक्स और फार्मास्युटिकल्स, हरित ऊर्जा (ग्रीन एनर्जी) और स्वच्छ आवागमन प्रणाली (क्लीन मोबिलिटी सिस्टम)। ये स्वयं में न केवल नए उत्पादों और सेवाओं वाले क्षेत्र बन जाते हैं बल्कि विनिर्माण, परिवहन और निर्माण जैसे अपस्ट्रीम क्षेत्रों को भी बढ़ावा देते हैं। देश के सतत विकास और आधुनिकीकरण में इन क्षेत्रों की निरंतर उच्च विकास दर क्षमता के कारण इनकी अहम भूमिका पर जोर दिया गया।

अमृतकाल का पहला लक्ष्य व्यापक आर्थिक विकास के पूरक के तौर पर सूक्ष्म-आर्थिक स्तर पर सर्व-समेकित कल्याण यहां एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करता है। प्रौद्योगिकी-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से परिकल्पित परिवर्तन भी जन-केंद्रित होना चाहिए। यह अनुमान लगाया गया है कि वर्तमान जनसांख्यिकी और

कृषि क्षेत्र को छोड़ने वाले संभावित श्रमिकों के आधार पर वर्तमान और 2030 के बीच लगभग 90 मिलियन श्रमिक लाभकारी गैर-कृषि कार्य अवसरों की तलाश में होंगे। 2030 तक अतिरिक्त 55 मिलियन महिलाएं कार्यबल में शामिल हो सकती हैं, यदि कार्यबल में उनकी लंबे समय से कम भागीदारी को कम से कम आंशिक रूप से बेहतर किया जाए। उच्च उत्पादकता वृद्धि के साथ जीडीपी के तीव्र और सतत विस्तार की स्थिति में लौटने की दशा में ही इन श्रमिकों के लिए आवश्यक लाभकारी अवसरों का बड़े पैमाने पर सृजन संभव होगा।

हालांकि ये दो अलग-अलग प्रयासों के रूप में प्रतीत हो सकते हैं पर नवीन नीति निर्माण के माध्यम से इन्हें भारत के लिए विकास और रोजगार की आदर्श प्रणाली बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है। अनुभव सुझाता है कि यह संभव है। पिछली तिमाही के अधिकांश भाग में भारत ने तेजी से आर्थिक विकास किया है, उत्पादकता में वृद्धि हुई है, गरीबी उन्मूलन हुआ है, और इसकी उन्नत कंपनियों स्मार्ट नीतियों के उपयोग के माध्यम से उच्च आर्थिक आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक हो सकती हैं। उस अवस्था



“ पीएम गतिशक्ति आर्थिक वृद्धि और सतत विकास के लिए परिवर्तनकारी दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण सात इंजनों - सड़क, रेल, विमान पत्तन, बंदरगाह, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग तथा लॉजिस्टिक अवसंरचना से प्रेरित है। सभी सात इंजनों एक साथ अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगी। ”





केंद्रीय बजट
2022-23
की मुख्य बातें



MSME पर अनुपालन भार होगा कम,
EoDB 2.0 के तहत
'विश्वास आधारित शासन'
के सिद्धांत का होगा पालन



ईज ऑफ डूइंग बिजनेस

में व्यापार सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस), शिक्षा, कौशल विकास, स्टार्टअप, और उद्योग में व्यापक सुधारों के ज़रिए इन्हें जोड़ा जा सकता है।

विश्वास—आधारित शासन के माध्यम से व्यापार सुगमता में संबंधित सुधारों को आगे बढ़ाने से उत्पादकता और निवेश में काफी वृद्धि होगी। 'न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन' के सिद्धांतों का पालन करते हुए पुराने अनुपालनों और जटिल कानूनों को निरस्त करने वाले कई सुधार पहले ही आ चुके हैं। अगले चरण में अतिव्यापी अनुपालनों के मानकीकरण और उन्हें हटाने, हस्तचालित प्रक्रियाओं और भौतिक अभिलेख के पूर्ण डिजिटलीकरण, और एकल खिड़की सुविधा प्रणाली (सिंगल पॉइंट एक्सेस सिस्टम) और एकल खिड़की निकासी प्रणाली (सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम) स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इससे व्यावसायिक प्रक्रियाओं में तेजी आएगी और उद्योग में उत्पादकता बढ़ेगी।

आधुनिक नीति साधनों का उपयोग भावी व्यापार और नियामक परिवेश में क्रांति ला सकता है। प्रौद्योगिकी विकास और उसे अपनाने में प्रगति ने नए नीति साधन और विकल्प तैयार किए हैं। वे हैं: (i) **लाइट-टच विनियमन**: ये सरल, डिजीटल, स्व-घोषित प्रक्रियाएं हैं जो राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा को फ़ौरन सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी साधनों का लाभ उठाती हैं; (ii) **सुविधाजनक सक्रिय कार्रवाई**: सरकार को बाज़ार में होने वाले बदलावों से केवल निपटना नहीं चाहिए बल्कि बाज़ार का नेतृत्व करना चाहिए और उसे वांछित अवस्था में लाने के लिए निर्देशित करना चाहिए; (iii) **खुला-चैनल**

परामर्श: विभिन्न नीतिगत मामलों पर सभी हितधारकों के बीच संचार का एक खुला चैनल स्थापित करना; (iv) **डाटाचालित साक्ष्य—आधारित नीति निर्माण**: डाटा संग्रह और विश्लेषण के आधार पर एक व्यवस्थित दृष्टिकोण लाना जो नीति निर्माण के लिए वैज्ञानिक मानसिकता पर आधारित हो। ऐसे नीति साधनों का उपयोग भारत को भविष्य में नई ऊंचाईयों पर ले जाएगा।

ऋण तक बेहतर पहुंच एमएसएमई को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने के भारत के प्रयासों में तेजी लाने में मदद कर सकती है। इस दिशा में मौजूदा प्रयास ने 130 लाख से अधिक एमएसएमई को महामारी के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में मदद की है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा संचालित आतिथ्य और संबंधित सेवाओं को अभी तक अपने व्यवसाय के महामारी-पूर्व स्तर को फिर से हासिल करना शेष है। **आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस)** के विस्तार से आतिथ्य और संबंधित उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए संशोधित क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में सहायक होगा।

आर्थिक प्रगति और सतत विकास के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति मिशन के तहत एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण— यह दृष्टिकोण सात इंजनों अर्थात् सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और रसद अवसंरचना द्वारा संचालित है। सभी सात इंजन अर्थव्यवस्था को एक साथ आगे बढ़ाएंगे। इन इंजनों की सहायता करने में ऊर्जा संचरण, आईटी संचार, भारी मात्रा में जल एवं मल निकास व्यवस्था तथा सामाजिक अवसंरचनाएं अपनी पूरक भूमिका अदा करती हैं। अंततः इस उत्पादन को स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निजी क्षेत्रों का संयुक्त प्रयास शामिल है, से शक्ति मिलती है और इसके परिणामस्वरूप सभी के लिए, विशेष रूप से युवाओं के लिए, रोजगार और उद्यमशीलता के अपार अवसरों का सृजन हो सकता है।

पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान : पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के दायरे में आर्थिक परिवर्तन, निर्बाध मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और रसद दक्षता के लिए सात इंजन शामिल होंगे। इसमें गति शक्ति मास्टर प्लान के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा विकसित बुनियादी ढांचा भी शामिल होगा। योजना, वित्तपोषण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जिसमें नवीन तरीके, प्रौद्योगिकी का उपयोग और तेजी से कार्यान्वयन शामिल है।

राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में इन सात इंजनों से संबंधित परियोजनाओं को पीएम गतिशक्ति ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा। मास्टर प्लान की विशेषता विश्वस्तरीय आधुनिक बुनियादी ढांचा और आवाजाही के विभिन्न साधनों—लोगों और वस्तुओं दोनों—और परियोजनाओं के स्थान के बीच रसद तालमेल होगा। यह उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेगा और आर्थिक प्रगति और विकास में तेजी लाएगा।

एक्सप्रेस—वे के लिए पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान लोगों

और माल की तीव्रतर आवाजाही की सुविधा के लिए 2022-23 में तैयार किया जाएगा। 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का 25,000 किलोमीटर तक विस्तार किया जाएगा। सार्वजनिक संसाधनों को पूरा करने के लिए वित्तपोषण के नवीन तरीकों के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे।

सार्वजनिक शहरी परिवहन जिसमें रेलवे से कनेक्टिविटी शामिल है : बड़े पैमाने पर उपयुक्त प्रकार के मेट्रो प्रणाली के निर्माण के लिए वित्तपोषण और तीव्र कार्यान्वयन के नए तरीकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। बड़े पैमाने पर शहरी परिवहन और रेलवे स्टेशनों के बीच मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को प्राथमिकता के आधार पर सुगम बनाया जाएगा। नागरिक संरचनाओं सहित मेट्रो प्रणालियों के डिज़ाइन को भारतीय परिस्थितियों और ज़रूरतों के लिए पुनःनिर्मित और मानकीकृत किया जाएगा।

पांच क्षेत्रों में सुधार उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ा सकते हैं; आधे से अधिक को नीति या कानून के माध्यम से तेजी से लागू किया जा सकता है। वे हैं: (i) विनिर्माण, रियल एस्टेट, कृषि, स्वास्थ्य देखभाल और खुदरा क्षेत्र में उत्पादकता में सुधार के लिए क्षेत्र-विशिष्ट नीतियां; (ii) भूमि की लागत को 20 से 25 प्रतिशत तक कम करने के लिए भूमि बाजारों में आपूर्ति को खोलना; (iii) श्रमिकों के लिए बेहतर लाभ और सुरक्षा जाल के साथ उद्योग के लिए लचीले श्रम बाजार बनाना; (iv) वाणिज्यिक और औद्योगिक शुल्कों को 20 से 25 प्रतिशत तक कम करने के लिए बिजली के कुशल वितरण को सक्षम करना; (v) अपनी उत्पादकता को संभावित रूप से दोगुना करने के लिए 30 या उससे अधिक सबसे बड़े राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों का निजीकरण करना।

टेली-एजुकेशन और डिजिटल शिक्षा प्रणाली शिक्षा प्रदान करने के लिए एक लचीला तंत्र प्रदान कर सकते हैं जिससे बेहतर शिक्षा परिणाम प्राप्त होते हैं। पीएम ई विद्या के 'वन क्लास-वन टीवी चैनल' कार्यक्रम के विस्तार से सभी राज्य क्षेत्रीय भाषाओं में अतिरिक्त स्कूली शिक्षा प्रदान करने में सक्षम होंगे। महिला शिक्षा पर विशेष फोकस वाली उच्चस्तरीय ई-सामग्री को विकसित किया जा सकता है और इंटरनेट व मोबाइल फोन से प्रदान किया जा सकता है। विज्ञान और गणित में आभासी प्रयोगशालाओं का लाभ उठाने से अति आवश्यक महत्वपूर्ण चिंतन कौशल को भी बढ़ावा मिल सकता है। शिक्षण में डिजिटल उपकरणों के उपयोग को एकीकृत करने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम बेहतर सीखने के परिणामों की सुविधा प्रदान करेंगे।

स्कूल और उच्च शिक्षा में व्यावसायिक प्रशिक्षण का एकीकरण युवाओं को व्यावहारिक अनुभव प्रदान करेगा, नौकरी पर प्रशिक्षण के समय को घटाएगा और उत्पादकता में सुधार लाएगा। उद्योग के विशेषज्ञों के परामर्श से तैयार किए गए पाठ्यक्रम आईटी अनुप्रयोगों, बैंकिंग, वित्त और जीवन बीमा, वित्तीय विपणन प्रबंधन, फैशन डिज़ाइन और प्रौद्योगिकी, चिकित्सा निदान, खुदरा सेवाओं और संचालन, होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी, पर्यटन और

यात्रा आदि पर केंद्रित होंगे। इसे कौशल विकास के लिए स्थापित ई-प्रयोगशाला द्वारा अनुरूपित सीखने का माहौल तैयार करके पूर्णता प्रदान की जा सकती है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को शामिल करते हुए डिजिटल विश्वविद्यालय और ऑनलाइन उच्च शिक्षा कार्यक्रम देशभर के युवाओं को सशक्त बनाएंगे। अपने सर्वोत्तम विश्वविद्यालयों और संस्थानों में मौजूद देश के व्यापक ज्ञान आधार को गुणवत्तापूर्ण निर्देश के साथ जोड़ा जा सकता है और इंटरनेट और मोबाइल फोन से प्रदान किया जा सकता है। यह उच्च शिक्षा के लिए दूरी और भाषा की बाधा को कम करेगा और देश के उच्च कौशल कार्यबल को बढ़ाएगा जिससे इन युवाओं की नवोन्मेषी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलेगा। इसमें सभी उम्र में शिक्षण को सामान्यीकृत करने की क्षमता है जिससे समाज के सभी वर्गों के लिए ऊर्ध्वगामी गतिशीलता कायम हो सके।

राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) का समावेश सभी क्षेत्रों में पार्श्व गतिशीलता को सक्षम कर सकता है जिससे रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। प्रचलित मानदंड शैक्षिक योग्यता और उद्योग में मौजूदा अनुभव के आधार पर कौशल को प्रभावी ढंग से पहचानने में कठिनाई का सामना करते हैं। सभी क्षेत्रों में एनएसक्यूएफ के उपयोग को समेकित करने से संभावित नियोक्ताओं को अभ्यर्थियों के कौशल की बेहतर समझ मिल सकती है और अभ्यर्थी विश्वास के साथ नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे जिसके परिणामस्वरूप देश के कार्यबल की समग्र रोजगार क्षमता सुधरेगी।





पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता

(वर्ष 2022-23 में 35.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2020-21 के 5.54 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 7.50 लाख करोड़ रुपये)

प्रमुख निजी निवेश एवं मांग को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक निवेश जारी

आरबीआई द्वारा डिजिटल रुपया को लागू करना

संसाधन जुटाने के लिए ग्रीन बॉन्ड

डेटा सेंटर और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए बुनियादी ढांचे की स्थिति

वेंचर कैपिटल एवं निजी इक्विटी निवेश द्वारा निवेश बढ़ाने के उपाय

सनराइज सेक्टर के लिए विशेष वित्त पोषण

[@PIB_India](#) [@PIBHindi](#) [@pibindia](#) [@pibindia](#) [PIBIndia](#) [@PIB_India](#) [@PIBHindi](#) [@PIBHindi](#)

वित्तीय क्षेत्र में सुधार और राजकोषीय संसाधनों को सुव्यवस्थित करने से +2.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश हो सकता है जबकि उद्यमों के लिए पूंजी की लागत को लगभग 3.5 प्रतिशत अंक कम करके उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सकता है। उच्च विकास परिदृश्य में निवेश के सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम 37 प्रतिशत तक बढ़ने की आवश्यकता होगी जो संकट-पूर्व काल में सकल घरेलू उत्पाद का 33 प्रतिशत था और इसमें निजी क्षेत्र के निवेश में तेज उछाल शामिल होगा। इसे वित्तपोषित करने के लिए घरेलू बचत के करीब चार प्रतिशत अंक बीमा, पेंशन फंड और पूंजी बाजार के विकास के उपायों के माध्यम से वित्तीय उत्पादों में स्थानांतरित हो सकते हैं। गैर-निष्पादित ऋणों के लिए "बैड बैंक" जैसे उपाय और निर्देशित बैंक उधार व्यवस्था में सुधार पूंजीगत लागत को कम कर सकते हैं। सकल घरेलू उत्पाद का कुछ 3.6 प्रतिशत सरकारी खर्च और सरकारी स्वामित्व वाली संपत्तियों को सुव्यवस्थित करने के उपायों के माध्यम से उत्पादक बुनियादी ढांचे और अन्य व्यय के साथ-साथ उच्च विकास के कर उछाल प्रभाव के साथ लगाया जा सकता है।

राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निवेश के वित्तपोषण में सरकारी सहायता के साथ नए युग के वित्तीय साधनों के उपयोग से भारत सभी क्षेत्रों में सबसे आकर्षक स्थान बनाने की क्षमता रखता है। सरकारी सहायता से होने वाले वित्तपोषण का परंपरागत नज़रिया महामारी जैसे बाहरी प्रभावों के सामने कमजोर साबित हुआ है क्योंकि सरकार पर प्राथमिकता को पुनः निर्धारित करने

की बाध्यता है। निवेश में परिणामी मंदी से बचने के लिए नए युग के वित्तीय साधनों के उपयोग में संभावना दिखती है। सरकार को सतत विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए हरित बांड को अपनाने को बढ़ावा देना चाहिए। चिन्हित विषयगत क्षेत्रों में मिश्रित वित्त पर जोर देने से निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और उद्योग का विश्वास बढ़ेगा।

हालांकि केंद्र सरकार का विकास समर्थक एजेंडा महत्वपूर्ण है फिर भी लगभग 60 प्रतिशत सुधारों का नेतृत्व राज्यों द्वारा किया जा सकता है और सभी को व्यावसायिक क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। कृषि, बिजली और आवास सहित अन्य प्रमुख सुधारों को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकारें अग्रणी व्यवसायों का चयन कर सकती हैं और 'प्रदर्शन क्लस्टर' स्थापित कर सकती हैं, उदाहरण के लिए 'निर्यात हबों' का निर्माण। व्यवसायों को उत्पादकता वृद्धि के लिए प्रतिबद्धता दिखानी होगी, दीर्घकालिक मूल्य निर्माण मानसिकता विकसित करनी होगी, और नवाचार, डिजिटल और स्वचालन, विलय और अधिग्रहण (एम एंड ए), साझेदारी और कारोबारी प्रशासन में क्षमताओं का विकास करना होगा। इन सब उपायों को अपनाने से भारत के लिए आने वाला दशक उच्च विकास, लाभकारी रोजगारों और व्यापक समृद्धि का हो सकता है।

उपरोक्त सभी सुधारों के अलावा भारत के अग्रणी उद्योगपतियों को भी देश को उच्च विकास पथ पर लौटाने में मदद करनी चाहिए। इसके लिए तीन प्रमुख विषयों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। सबसे पहले फर्मों को सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के आधार पर





व्यावसायिक विचारों के माध्यम से आकांक्षाओं को पूरा करने और उत्पादकता वृद्धि के लिए प्रतिबद्ध होने की आवश्यकता होगी। जोखिम न उठाने की प्रकृति का स्थान सुविचारित, ज्ञान-सम्पन्न और सुनियोजित जोखिम उठाने की प्रकृति को लेना चाहिए। प्रत्येक कंपनी के लिए प्रतिबद्ध होने के अवसरों का विकल्प अलग-अलग होगा लेकिन सफल होने और आने वाले दशक में भारत की उच्च उत्पादकता वाली अर्थव्यवस्था को आकार देने के लिए कुछ क्षेत्रों में साहसिक निवेश करना महत्वपूर्ण होगा।

दूसरा, व्यवसायों को एक मजबूत कार्य प्रदर्शन-उन्मुख संस्कृति के साथ एक दीर्घकालिक मूल्य निर्माण मानसिकता विकसित करने की आवश्यकता है; ये दोनों लंबी अवधि में हितधारक मूल्य बनाते हैं। इसका तात्पर्य है निवेश के लिए एक दूरदर्शी दृष्टिकोण को अपनाना, एक ऐसी संगठनात्मक संस्कृति का निर्माण करना जो दीर्घकालिक मूल्य निर्माण पर केंद्रित हो और सभी हितधारकों के प्रति जवाबदेही के साथ एक साझा परिकल्पना और उद्देश्य व्यक्त करती हो। परिणाम-आधारित प्रदर्शन प्रबंधन तथा टीमों और व्यक्तियों के प्रदर्शन के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण के साथ दीर्घकालिक मानसिकता के बने रहने की आवश्यकता है।

तीसरा, फर्मों को बड़े, उच्च-विकास और विश्व-स्तर पर प्रतिस्पर्धी व्यवसायों के रूप में उभरने के लिए सामर्थ्य हासिल करने की क्षमताओं की आवश्यकता होगी:

- **ग्राहक केंद्रित नवाचार** : लुभावने प्रस्ताव बनाने में सक्षम फर्मों को उच्च राजस्व और लाभ वृद्धि हासिल हुई है। सभी क्षेत्रों में बड़ी और छोटी दोनों फर्मों को ऐसी क्षमताओं का निर्माण करने की आवश्यकता है जो उत्पाद डिज़ाइन, मूल्य निर्धारण, वितरण और बैंक-एंड की मूल्य शृंखला के साथ-साथ भारत के लिए स्थानीयकरण एवं उपयुक्तता और नवीनता व ग्राहकों की ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित कर सकें।
- **परिचालन उत्कृष्टता और मापनीय प्लेटफॉर्म** : दक्ष, मापनीय परिचालन प्लेटफॉर्म बनाने के लिए सभी क्षेत्रों की फर्मों को डिजिटल और डाटा क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता होगी। इसमें बैंक-ऑफिस के लिए डिजिटल आर्किटेक्चर स्थापित करना, आपूर्ति शृंखलाओं का डिजिटलीकरण और ग्राहक बिक्री और सेवा इंटरफेज़ को ऑनलाइन स्थानांतरित करना शामिल हो सकता है। स्वचालन और उद्योग 4.0 तकनीकों के सारे पहलुओं को इस दौर में सबसे आगे रखने की ज़रूरत है, जिसमें अन्य के अलावा असंबली-लाइन ऑटोमेशन और आईओटी-सक्षम डाटा एनालिटिक्स, आदि शामिल हैं।
- **परिपाटियों से आगे रहने और अनिरंतरता में जीतने की क्षमता** : कंपनियां जो अपने क्षेत्रों में अग्रणी हैं और नए पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देती हैं उनमें मूल्य शृंखला पर बहुत अधिक पकड़ बनाने की प्रवृत्ति होती है। भविष्य की फर्मों के लिए स्थापित व्यावसायिक कार्य प्रणालियों को फिर से आकार देना, रचनात्मकता और सजगता को बढ़ावा देना



उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और एएसईईएम का इंटरलॉक

आतिथ्य सेवा एवं संबंधित उपक्रमों पर फोकस के साथ ईसीएलजीएस का विस्तार

2 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधारी के साथ सीजीटीएमएसई में सुधार

आरएमपी कार्यक्रम का कार्यान्वयन: 5 वर्षों के दौरान 6,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एमएसएमई के प्रदर्शन को बढ़ावा

@PIB_India @PIBHindi @pibindia @pibindia @PIBIndia @PIB_India @PIBHindi @PIBHindi

और पूंजी आवंटन संबंधी साहसिक निर्णय लेना महत्वपूर्ण क्षमताएं समझी जाएंगी।

- **बखूबी निष्पादित विलय, अधिग्रहण और भागीदारियां** : भारत के विघटित कॉर्पोरेट परिदृश्य में विशेष रूप से खुदरा, रसद और निर्माण जैसे क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ पुनः हासिल करने के लिए समेकन महत्वपूर्ण हो सकता है। फर्मों को अपने विलय एवं अधिग्रहण और साझेदारी की शक्ति को विकसित करने की आवश्यकता है और साथ ही, उन्हें अलग-अलग और विस्तारित निकायों को समेकित करके मूल्य शृंखला पर पकड़ कायम करना सीखना होगा। भारत एक पूर्ण परिवर्तनकाल में है। अगले दशक में 9 करोड़ रोज़गार सृजन के साथ नवोदित क्षेत्रों को निरंतर उच्च विकास दर बनाए रखने के लिए प्रेरित करने की चुनौती का सामना करते हुए देश को अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधारों को लागू करने की आवश्यकता होगी। ऐसे समय में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस महामारी ने गंभीर आघात किया है, 8.0 से 8.5 प्रतिशत जीडीपी विकास दर को बहाल करना एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। फिर भी भारत ने पिछले तीन दशकों में बार-बार दिखाया है कि वह सबसे बड़े संशयवादियों को भी गलत साबित कर सकता है और उन महत्वपूर्ण बदलावों को लागू कर सकता है जो इसकी अर्थव्यवस्था को बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम बनाते हैं। अगले दशक में भारत को एक बार फिर से ऐसा कर दिखाने की आवश्यकता है।

यह भारत का सूर्यनमस्कार है!

(अमिताभ कांत मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), नीति आयोग हैं; नमन अग्रवाल नीति आयोग में विशेषज्ञ और सिद्धे शिंदे यंग प्रोफेशनल हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

ई-मेल : ceo-niti@gov.in naman, agrawal@nic.in
siddhey.shinde@nic.in

बेहतर और प्रतिस्पर्धी कृषि

—डॉ. के. के. त्रिपाठी

बजट 2022-23 में एक बार फिर से उस लक्ष्य की पुष्टि की गई है जिसके तहत कृषि संबंधी उद्यम को ज़्यादा लाभकारी बनाने की बात है। इसके लिए कृषि गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों और सेवाओं के आधुनिकीकरण, तकनीक की पहुंच तथा कृषि उत्पादों की विपणन क्षमता में बढ़ोत्तरी और कृषि से जुड़े नवाचार में निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य है। बजट 2022-23 भविष्योन्मुखी है और कृषि विकास को लेकर किए गए उपायों से साफ है कि सरकार फसलों का विविधीकरण सुनिश्चित करने को लेकर प्रतिबद्ध है। कृषि लॉजिस्टिक्स, कृषि सेवाओं में पर्याप्त निवेश और कृषि आधारित गतिविधियों के लिए सहयोग मुहैया कराए जाने से लॉजिस्टिक्स की समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी; मसलन कृषि उत्पाद, भंडारण और आपूर्ति शृंखलाओं से जुड़ी दिक्कतों को दूर किया जा सकेगा। बजट में किए गए उपायों से कृषि बाज़ार का उदारीकरण संभव होगा और बाज़ार से जुड़ी मुश्किलों को दूर किया जा सकेगा। इस तरह, खेती को बेहतर और प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी।

हाल में जारी 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि पिछले दो साल के दौरान कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर रहा। अगर हम देश की अर्थव्यवस्था पर कोरोना के बुरे असर की बात करें, तो सेवा और उद्योग क्षेत्र की तुलना में कृषि क्षेत्र पर इस महामारी का असर काफी कम रहा। भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों की हिस्सेदारी 18.8 प्रतिशत है। वित्तवर्ष 2019-20 यानी महामारी के पहले जीवीए की वृद्धि दर 4.3 प्रतिशत थी, जबकि 2021-22 में 3.9 प्रतिशत की विकास दर का अनुमान है।

आर्थिक सर्वेक्षण में विकास दर को बढ़ावा देने वाले कई पहलुओं के बारे में बताया गया है। सर्वे में ग्रामीण और कृषि विकास के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, कृषि संबंधी बाकी सुविधाओं और सेवाओं की पहुंच, बीमा कवरेज और जोखिम कम

करने से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार, उत्पादों के विपणन आदि पर जोर दिया गया है। इसमें फसलों के विविधीकरण (अलग-अलग फसलों की खेती) की अहमियत पर फोकस करने की बात कही गई है और ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत वाली खेती मसलन गन्ना और धान के बजाय कपास, बागवानी, दलहन, तिलहन आदि की खेती को बढ़ावा देने का सुझाव दिया गया है। इस दस्तावेज़ में अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्रों की जल्द रिकवरी के लिए नीतिगत मोर्चे पर पहल के अलावा, राजस्व और वित्तीय संबंधी उपायों के ज़रिए मांग और आपूर्ति पक्ष के बेहतर प्रबंधन की वकालत की गई है ताकि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर में बढ़ोत्तरी का लक्ष्य हासिल हो और अलग-अलग क्षेत्रों का प्रदर्शन सुधरे।

बजट से उम्मीदें

बजट को लेकर आम लोगों की उम्मीदें आधारभूत संरचना



और निवेश को बढ़ावा देकर ग्रामीण कृषि और गैर-कृषि क्षेत्र में विकास की रफ्तार को फिर से तेज करने से जुड़ी थी, ताकि कृषि के क्षेत्र में आविष्कार और नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके। लोगों को यह भी उम्मीद थी कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कारोबार का टिकाऊ माहौल सुनिश्चित कर लोगों के लिए कल्याणकारी पहल संबंधी अपना वादा पूरा करेगी, जिससे कृषि और संबंधित क्षेत्र को काफी बढ़ावा मिलेगा। इसके तहत, ग्रामीण आधारभूत संरचना और ज़मीनी-स्तर पर तकनीक को बढ़ावा देने के लिए आवंटन बढ़ाए जाने की अपेक्षा थी। बजट से जुड़ी इन उम्मीदों का लक्ष्य विकास दर को तेज करना, लाभकारी खेती के लिए अवसर उपलब्ध कराना आदि था, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से संबंधित रोज़गार के अवसर पैदा हो सकें और बेरोज़गारी की समस्या दूर करने में मदद मिल सके। इस तरह, वित्तवर्ष 2022-23 के बजट के लिए उम्मीद जताई गई कि कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी अन्य गतिविधियों में निवेश बढ़ाकर कृषि को 'स्मार्ट' और ज़्यादा लाभकारी बनाने की कोशिश की जाएगी। बजट में कृषि क्षेत्र के लिए किए गए ऐलान खेतीबाड़ी से जुड़े लोगों के लिए बेहद सकारात्मक जान पड़ते हैं। बजट का फोकस कृषि संबंधी आयात को कम करने, तिलहन और ज्वार-बाजरा जैसे अनाजों का उत्पादन बढ़ाने, रासायनिक खाद और कीटनाशक मुक्त प्राकृतिक खेती को अपनाने, तकनीकी हस्तक्षेप बढ़ाने आदि पर है। इन उपायों का मुख्य मकसद कृषि मूल्य शृंखला और आपूर्ति शृंखला को बेहतर बनाकर आय, रोज़गार की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

इस लेख में बजट से जुड़े कुछ ऐलानों का विश्लेषण किया गया है जिसका लाखों-करोड़ों किसानों और मजदूरों व उनके परिवारों पर सकारात्मक असर होगा। लेख में केंद्र सरकार के नीतिगत रूझानों और आर्थिक इरादों के बारे में बताने की कोशिश की गई है। इसके तहत, कृषि विकास से जुड़े कुछ ऐसे क्षेत्रों पर विचार-विमर्श किया गया है, जिन्हें केंद्रीय बजट 2022-23 में प्राथमिकता दी गई है।

तालिका-1 : वित्तवर्ष 2020-21 और 22-23 के दौरान कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का बजट आवंटन और वास्तविक खर्च (करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	2022-23	2021-22	2020-21	2022-23 में आवंटन में बढ़ोतरी (प्रतिशत में)	
		बजट अनुमान	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान के मुकाबले 21-22	वास्तविक 20-21 के मुकाबले
1	2	3	4	5	6	7
1	कृषि और किसान कल्याण विभाग	1,24,000	1,18,294.24	1,23,017.57	0.79	12.68
2	कृषि शोध और शिक्षा विभाग	8,513.62	8,513.62	8,513.62	0.00	11.27
3	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय	1,32,513.62	1,26,807.86	1,31,531.19	0.74	12.59

स्रोत : केंद्रीय बजट 2022, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार



कृषि क्षेत्र को बजटीय आवंटन

कृषि आधारित ग्रामीण आर्थिक विकास को रफ्तार देने के लिए बजट 2022-23 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के दो विभागों को 1,32,513.62 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके तहत कृषि और किसान कल्याण विभाग को 1,24,000 करोड़ रुपये का आवंटन मिला, जबकि कृषि शोध और शिक्षा विभाग के लिए 8,513.6 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। तालिका-1 में वित्तवर्ष 2021-22 और 2022-23 के बजट अनुमानों और 2020-21 के वास्तविक खर्च से जुड़े आंकड़ों की तुलना की गई है। वित्तवर्ष

तालिका-2 : कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कृषि और किसान कल्याण विभाग की प्रमुख योजनाओं के लिए बजट आवंटन

क्र. सं.	योजना	22-23 बजट अनुमान (करोड़ रुपये में)	कुल योजना बजट आवंटन में हिस्सेदारी (प्रतिशत में)
1	2	3	4
केंद्रीय योजनाएं			
1	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)	15,500	12.56
2	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान))	68,000	55.13
3	किसान उत्पादक संगठनों का गठन और उसका प्रचार-प्रसार	500	0.40
4	कृषि आधारभूत संरचना फंड (एआईएफ)	500	0.40
5	राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)	100	0.08
6	संशोधित इंटररेस्ट सबवेंशन स्कीम (एमआईएसएस)	19,500	15.81
6	अन्य	1,610	1.30
केंद्र की कुल योजनाएं		1,05,710	85.72
केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं			
7	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)	10,433	8.45
8	कृष्णोन्नति योजना	7,183	5.85
केंद्र द्वारा प्रायोजित कुल योजनाएं		17,616	14.28
केंद्र सरकार की और केंद्र द्वारा प्रायोजित कुल योजनाएं		1,23,326	100.0

स्रोत: केंद्रीय बजट 2022, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

2022-23 के बजटीय अनुमानों में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से जुड़ी योजनाओं के आवंटन में 2021-22 के मुकाबले मामूली बढ़ोत्तरी की गई है। हालांकि, वित्तवर्ष 2020-21 के दौरान हुए वास्तविक खर्च की तुलना में 2022-23 के आवंटन में 12.59 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। इससे पता चलता है कि केंद्रीय बजट में अब मंत्रालयों/विभागों की वास्तविक मांग के हिसाब से आवंटन किया जाता है, ताकि कल्याणकारी योजनाओं के लिए फंड का ज़्यादा-से-ज़्यादा उपयोग किया जा सके।

बजट 2022-23 में एक बार फिर से उस लक्ष्य की पुष्टि की गई है, जिसके तहत कृषि संबंधी उद्यम को ज़्यादा लाभकारी बनाने की बात है। इसके लिए कृषि गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों और सेवाओं के आधुनिकीकरण, तकनीक की पहुंच तथा कृषि उत्पादों की विपणन क्षमता में बढ़ोत्तरी और कृषि से जुड़े नवाचार में निवेश आकर्षित करने की बात है। तालिका-2 में कृषि और किसान कल्याण विभाग से जुड़ी कुछ योजनाओं के बजटीय आवंटन के बारे में बताया गया है।

केंद्रीय योजनाओं व कृषि और किसान कल्याण विभाग से जुड़ी केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन क्रमशः 85.72 प्रतिशत और 14.28 प्रतिशत है (तालिका-2)। कुल 1,23,326 करोड़ रुपये के योजना बजट में 85.72 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार

सीधे तौर पर अपनी एजेंसियों के ज़रिए खर्च करेगी, जबकि 14.28 प्रतिशत बजट संसाधन राज्य/केंद्रशासित सरकारों के ज़रिए खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए बजट में 15,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे कृषि संबंधी गतिविधियों से जुड़े जोखिम को कम करने में मदद मिलेगी। फसल बीमा योजना के तहत, 2022-23 में 65 लाख किसानों और 4.2 करोड़ हेक्टेयर में मौजूद फसलों को इसके दायरे में शामिल किया जाएगा। हालांकि, इस योजना की असली चुनौती दावों का समय पर निपटान है, ताकि बीमा कराने वाले किसानों को इसका बेहतर अनुभव मिल सके। इसके अलावा, प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 68,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस योजना का फायदा 12.67 लाख किसानों को मिलेगा। इस योजना के ज़रिए किसानों के लिए निश्चित आय का इंतज़ाम करने में मदद मिलेगी और भुगतान की बेहतर सुविधा भी उपलब्ध होगी। किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और कृषि आधारभूत संरचना फंड (एआईएफ) के लिए बजट में 500-500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, ताकि कर्ज़ की उपलब्धता बढ़ सके और ग्रामीण इलाकों में कृषि आधारित आधारभूत संरचना का निर्माण हो सके।

इसी तरह, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में खाद्य सुरक्षा, टिकाऊ खेती, तिलहन उत्पादन, कृषि विस्तार आदि पर फोकस

किया गया है। इस योजना को इस साल पुनर्गठित किया गया है और इसके तहत कई योजनाओं मसलन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति, परंपरागत कृषि विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य से जुड़ी राष्ट्रीय परियोजना, रेनफेड एरिया डेवेलपमेंट, फसलों के अपशिष्ट के प्रबंधन आदि योजनाओं का विलय कर दिया गया है। इस एकीकृत योजना के लिए 10,433 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता का प्रावधान किया गया है, जिसका मकसद कृषि क्षेत्र में ऊंची विकास दर हासिल करना, किसानों को बेहतर मुनाफा दिलाना और कृषि गतिविधियों का सम्मिलन है। बजट 2022-23 में कृष्णोन्नति योजना के लिए 7,183 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस योजना में कई परियोजनाओं को शामिल किया गया है, मसलन एकीकृत बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, कृषि गतिविधियों के विस्तार से जुड़ा मिशन आदि। ऐसी विभिन्न योजनाओं के एकीकरण (कृष्णोन्नति योजना के तौर पर) से जरूरतमंदों पर ज्यादा असरदार तरीके से ध्यान दिया जा सकेगा और सिस्टम बेहतर होगा।

ज्यादा पोषक तत्वों वाले अनाजों को प्राथमिकता

केंद्र सरकार ज्वार-बाजरा जैसे पोषक तत्वों वाले अनाजों की अहमियत को समझती है। ये अनाज लोगों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। साथ ही, किसानों की आय बढ़ाने में भी मददगार साबित हो सकते हैं। बजट 2022-23 में यह भी कहा गया है कि पोषक तत्वों से लैस इन कृषि उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्वार-बाजरा के बाजार और ब्रांड को बढ़ावा दिया जाएगा, घरेलू स्तर पर इसकी खपत को बढ़ाया जाएगा और फसलों की कटाई के बाद इसमें मूल्य संवर्धन किया जाएगा। सरकार का यह कदम बेहद दूरदर्शी है, क्योंकि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आय और रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी।

कृषि के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

खरीफ और रबी फसलों के क्षेत्रफल और गेहूं व चावल के उत्पादन में पिछले कुछ वर्षों से लगातार बढ़ोत्तरी देखने को मिल रही है। साल 2021-22 के खरीफ सीजन में खाद्यान्न का उत्पादन रिकॉर्ड 15.05 करोड़ टन रहने का अनुमान है। बजट भाषण में बताया गया कि केंद्रीय पूल के तहत खाद्यान्नों की खरीद में बढ़ोत्तरी के मद्देनजर, 2021-22 के सीजन में गेहूं और धान की खरीद 1.20 करोड़ मेट्रिक टन रहने का अनुमान है। इससे 1.63 करोड़ किसानों को फायदा होगा। इस पहल की वजह से 2.37 लाख करोड़ रुपये का भुगतान सीधे किसानों के खाते में होगा। यह भुगतान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाजों की खरीद के लिए होगा। इससे न सिर्फ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की गारंटी मिलेगी, बल्कि किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी।

कृषि में तकनीक के ज्यादा-से-ज्यादा इस्तेमाल पर जोर

कृषि में बड़े पैमाने पर तकनीकी बदलाव की जरूरत है। इस बार के बजट में इसके लिए प्रयास किए गए हैं। इसके तहत कृषि



बाजारों, ग्रामीण बाजारों और हाटों, भुगतान प्रणालियों, किसानों को सब्सिडी के भुगतान आदि प्रक्रियाओं के डिजिटाइजेशन के लिए एकीकृत और व्यावहारिक तकनीकी समाधान पेश किया जाएगा। बजट में किए गए ऐलानों से तकनीक और कृषि संबंधी गतिविधियों का बेहतर और व्यावहारिक तरीके से एकीकरण संभव हो सकेगा। इसके लिए ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार ने फसलों के आकलन, ज़मीन रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन, कीटनाशकों के छिड़काव आदि में 'किसान ड्रोन' के इस्तेमाल को ज्यादा-से-ज्यादा बढ़ावा देने का प्रस्ताव किया है।

'किसान सारथी' डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से जहां किसानों को सही दाम हासिल करने और अपने उत्पादों को नियंत्रण और बिना नियंत्रण वाले बाजारों में स्थापित करने में मदद मिलेगी, वहीं ड्रोन आधारित निगरानी और आकलन की तकनीक से खेती के तौर-तरीकों और उपज में भी बेहतरी आएगी।

बजट में उत्पादों की ढुलाई से जुड़ी आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। इससे वस्तुओं और सेवाओं की तेज आवाजाही सुनिश्चित हो सकेगी और किसानों को अपनी पसंद के हिसाब से बाजार का चुनाव करने में भी सहूलियत होगी। साथ ही, बिना किसी बाधा के उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा और जल्द नष्ट होने वाले कृषि उत्पादों की बर्बादी को भी कम किया जा सकेगा। किसानों को डिजिटल और उच्च तकनीक संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बजट 2022-23 में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पर आधारित

योजना का ऐलान किया गया है। इसमें कृषि तकनीक के क्षेत्र में सक्रिय खिलाड़ियों और कृषि-मूल्य शृंखला से जुड़े लोगों की मदद ली जाएगी। कृषि-मूल्य शृंखला में तकनीक के इस्तेमाल से इस क्षेत्र को वैश्विक और घरेलू अनिश्चितताओं, झटकों और कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचाया जा सकेगा।

कृषि तकनीक से जुड़ी स्टार्टअप कंपनियों को बढ़ावा

कृषि तकनीक के क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए बजट 2022-23 में एक योजना का ऐलान किया गया है। इस योजना के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की तरफ से फंड उपलब्ध कराया जाएगा। नाबार्ड, सह-निवेश मॉडल के तहत एक मिला-जुला फंड तैयार करेगा जिससे कृषि स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों को वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी। इस योजना से कृषि-उत्पाद मूल्य शृंखलाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ऐसी स्टार्टअप कंपनियां जो किसान उत्पादक संगठनों की सहायता के लिए उन्हें सेवाएं मुहैया करा रही हैं, उन्हें इस फंड के ज़रिए मदद मिलेगी। किसानों के लिए किराये पर कृषि उपकरणों का इंतज़ाम करने वाली इकाइयों और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित नेटवर्किंग और अन्य तकनीकी सहायता के लिए भी इस फंड का इस्तेमाल किया जा सकेगा। सरकार की इस पहल से तकनीक और तकनीकी विशेषज्ञता को बढ़ावा मिलेगा और नवाचारी, टिकाऊ व लाभकारी कृषि मूल्य शृंखला नेटवर्क तैयार करने में मदद मिलेगी। इससे किसानों की आय बढ़ने के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में रोजगार और समृद्धि में भी बढ़ोत्तरी होगी।

प्राकृतिक/जैविक खेती को बढ़ावा

आज के दौर में जैविक कृषि उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बजट में रासायनिक खाद-कीटनाशक मुक्त खेती को बढ़ावा देने का संकल्प जताया गया है। इसके तहत, शुरू में गंगा नदी के पास मौजूद 5 किलोमीटर लंबे कॉरीडोर में मौजूद ज़मीन पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। परंपरागत कृषि विकास योजना के ज़रिए प्राकृतिक खेती समेत खेती के पारंपरिक व देसी तौर-तरीकों को बढ़ावा दिया गया है। फिलहाल, प्राकृतिक खेती के दायरे में 4.09 लाख हेक्टेयर ज़मीन को शामिल किया गया है। हालांकि, बजट में प्राकृतिक खेती पर जोर होने के कारण जैविक कृषि उत्पादों के लिए खासतौर पर पर्याप्त मार्केटिंग सुविधाएं भी उपलब्ध कराने की ज़रूरत होगी। साथ ही, जैविक खेती को लोकप्रिय बनाने के लिए जैविक कृषि विज्ञान संबंधी तौर-तरीकों को अपनाना होगा और अन्य ज़रूरतों को भी ध्यान में रखना होगा।

कृषि सहकारी समितियों का डिजिटाइजेशन

किसानों को पर्याप्त और सस्ता कर्ज उपलब्ध कराने के लिए भी बजट में खासतौर पर प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत, कुल 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को डिजिटाइज़ करने के लिए 350 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। देशभर में कुल

95,509 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां हैं। इस योजना का मकसद सामुदायिक मालिकाना हक वाली और लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण है, ताकि इन समितियों का संचालन व प्रदर्शन बेहतर हो सके और वित्तीय लेन-देन में अधिकतम पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

निष्कर्ष

सरकार ने मौजूदा योजनाओं की समीक्षा करने के साथ-साथ उसमें बदलाव कर देश के कृषि क्षेत्र को ज़्यादा लाभकारी बनाने की अहमियत को रेखांकित किया है। इस बजट का मकसद कृषि क्षेत्र के लिए स्टार्टअप संस्कृति विकसित कर शोध और नवाचार के क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने पर फोकस करना है। सरकार का इरादा कृषि-मूल्य शृंखलाओं के लिए आधारभूत संरचना में बेहतरी, किसान उत्पादक संगठनों का एकीकरण और स्टार्टअप्स के ज़रिए कृषि तकनीक से संबंधित निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों को बेहतर विकल्प मुहैया कराना है। साथ ही, फसलों के उत्पादन, निगरानी और आकलन के लिए ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल को आसान बनाना, ज्वार-बाजरा जैसे पोषण से भरपूर अनाजों को बढ़ावा देना और फसलों का विविधीकरण सुनिश्चित करना है।

कृषि लॉजिस्टिक्स, कृषि सेवाओं में पर्याप्त निवेश और कृषि आधारित गतिविधियों के लिए सहयोग मुहैया कराए जाने से लॉजिस्टिक्स की समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी, मसलन कृषि उत्पाद, भंडारण और आपूर्ति शृंखलाओं से जुड़ी दिक्कतों को दूर किया जा सकेगा। बजट में किए गए उपायों से कृषि बाज़ार के उदारीकरण और इससे जुड़ी मुश्किलों को दूर किया जा सकेगा। इस तरह, खेती को बेहतर और प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी।

बजट में कृषि विकास से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के लिए कई योजनाओं और निवेश का ऐलान किया गया है। इन उपायों के ज़रिए कृषि क्षेत्र के विकास की रफ्तार को फिर से तेज किया जा सकता है। बजट में सार्वजनिक, निजी और सामुदायिक हिस्सेदारी के ज़रिए निवेश के नए अवसर पैदा करने की बात कही गई है। इसके अलावा, ग्रामीण और कृषि आधारभूत संरचना तैयार करने, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं के एकीकरण और सम्मिलन का भी प्रस्ताव है ताकि ग्रामीण विकास, भूमि, कृषि और किसानों के कल्याण के लिए उचित माहौल उपलब्ध हो सके। हालांकि असली चुनौती ग्रामीण/कृषि उद्यमों और स्टार्टअप के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर-कृषि गतिविधियों के लिए बेहतर माहौल सुनिश्चित करने से कृषि और ग्रामीण गतिविधियों को टिकाऊ और लाभकारी बनाया जा सकेगा।

(लेखक सहकारिता मंत्रालय में विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) हैं। लेख में व्यक्त विचार उनके निजी हैं।)

ई-मेल : tripathy123@rediffmail.com

ड्रोन भारत में कृषि का भविष्य

—डॉ. आर.एस. सेंगर, कृषानु, वर्षा रानी

बजट 2022-23 में देश में कृषि को नया आयाम देने तथा श्रम की बचत के लिए 'ड्रोन शक्ति' के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। यदि ड्रोन का उपयोग कृषि विकास में किया जाएगा तो निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में रसायन मुक्त खेती करने में ड्रोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। देश के लघु एवं सीमांत किसानों की समस्याओं को देखते हुए सरकार ने गंगा किनारे 5 किलोमीटर दायरे में रसायन मुक्त खेती अर्थात् प्राकृतिक खेती का कोरिडोर विकसित करने का सराहनीय कदम उठाया है। इससे गंगा किनारे के इन गांवों एवं किसानों की आय में वृद्धि हो सकेगी; साथ ही, गंगा के आसपास के क्षेत्रों में सफाई भी होगी। प्राकृतिक खेती निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में किसानों के लिए एक वरदान साबित होगी।

भारत ने हरितक्रांति के माध्यम से खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल कर विगत वर्षों में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। इस सफलता का पूरा श्रेय देश के किसानों और वैज्ञानिकों को जाता है क्योंकि वैज्ञानिकों ने जो आधुनिक तकनीकी की खोज की, उन तकनीकों का समावेश अपने खेतों में किसानों के द्वारा किया गया और आज उसका परिणाम है कि हमारा देश अनाज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। देश के किसानों ने उन्नत किस्म के बीज, मशीनों आदि का प्रयोग करते हुए खेती में अपेक्षित बदलाव लाकर बढ़ती हुई जनसंख्या को पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने तथा उत्पादन लक्ष्य को समय पर प्राप्त करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। इस उत्पादकता को और अधिक बढ़ाने तथा श्रम को कम करने में ड्रोन टेक्नोलॉजी एक नई क्रांति ला सकती है।

समय व जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ खेती में जहां समस्याओं का आकार व स्वरूप बदला है, वहीं किसानों पर लागत में कमी लाते हुए अधिक उत्पादन का दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही, कृषि में आय को बढ़ाने के लिए लगातार

प्रयास किए जा रहे हैं जिससे किसानों की आय दुगुनी हो सके। किसानों की आय को दुगुनी करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक खेती के नए तौर-तरीके अपनाए जा रहे हैं।

इनमें अत्याधुनिक कृषि मशीनों तथा अन्य उपकरणों का विशेष तौर पर जिक्र किया जा सकता है। क्रमिक विकास के फलस्वरूप अन्य मशीनों और यंत्रों की भांति ड्रोन भी विकास के इस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां उसे खेती में भी प्रयोग में लाया जा सकता है और कृषि के क्षेत्र में ड्रोन की उपयोगिता को देखते हुए इसकी लगातार मांग बढ़ रही है। बजट 2022-23 में ड्रोन के ज़रिए कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों व पोषक तत्वों के छिड़काव में मदद मिलेगी।

खाद्यान्न उत्पादन में निरंतर वृद्धि जारी है। आंकड़ों के



अनुसार वर्ष 2020-21 के दौरान देश में खाद्यान्न उत्पादन बीते 5 वर्षों में सर्वाधिक रहा। सोचने और समझने की बात है कि देश में विगत कई वर्षों से, जो हमारी खेती का क्षेत्रफल है, वह सीमित है लेकिन किसानों और वैज्ञानिकों की मदद से 'हाईटेक' खेती को अपनाते हुए खाद्यान्न उत्पादन लगातार बढ़ रहा है जिसके लिए देश के किसान और वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं।

कृषि क्षेत्र स्वतंत्रता के पश्चात 10 वर्ष तक जीडीपी में 50 प्रतिशत योगदान करता रहा है। वर्ष 2015-16 में यह 15.4 प्रतिशत रह गया। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 54.6 प्रतिशत आबादी कृषि क्षेत्र से जुड़ी है। वर्ष 2019-20 में देश के सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में 17.8 प्रतिशत योगदान कृषि संबंधित गतिविधियों का रहा है। कृषि क्षेत्र ने वर्ष 2020-21 में देश की अर्थव्यवस्था को 3.6 प्रतिशत की दर से महामारी के कठिन समय में संभाला है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रति वर्ष 3 किस्तों में किसानों को 6000 रुपये दिए जा रहे हैं जिसका सीधा लाभ किसानों को मिला है। इसके अलावा, 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी शुरू की गई जिससे देश के किसान लाभान्वित हो रहे हैं।

क्या है ड्रोन

ड्रोन एक ऐसा मानव रहित विमान है जिसे दूर से ही नियंत्रित तरीके से उड़ाया जा सकता है; इसके खेती में प्रयोग की अपार संभावनाएं हैं। एक सामान्य ड्रोन चार विंग यानी पंखों वाला होता है। इसलिए इसे 'क्वाड कॉप्टर' भी कहा जाता है। असल में यह नाम इसके उड़ने के कारण इसे मिला। यह बिल्कुल एक मधुमक्खी की तरह उड़ता है और एक जगह पर स्थिर भी रह सकता है।



केंद्रीय बजट
2022-23
की मुख्य बातें

कृषि फसलों का आकलन, भू-दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन, कीटनाशकों और पोषक तत्वों का का छिड़काव करने लिए

'किसान ड्रॉन्स'
का इस्तेमाल किया जाएगा

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
GOVERNMENT OF INDIA

my GOV
मेरी सरकार

ड्रोन को कई तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है जैसे उसके उड़ने की ऊंचाई के आधार पर, उसके आकार के आधार पर, उसके वजन उठाने की क्षमता के आधार पर, उसकी पहुंच क्षमता के आधार पर इत्यादि परंतु मुख्य रूप से इसे वायु गतिकीय के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।

किसानों के लिए ड्रोन लाभकारी

सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में हाल ही में ड्रोन के माध्यम से खेतों में कीटनाशकों व खरपतवार नाशक रसायनों का छिड़काव करने का प्रदर्शन किया गया। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर आर.के. मित्तल के अनुसार ड्रोन एक तकनीक से परिपूर्ण होने के कारण युवा पीढ़ी को अवश्य ही आकर्षित करेगा और खेती की तरफ कदम बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इसकी भविष्य में अति आवश्यकता है। इस समय बहुआयामी क्षमताओं से परिपूर्ण ड्रोन कृषि उत्पादन में प्रबंधन के लिए बेहद उपयोगी और लाभप्रद साबित होगा। ड्रोन पर भारत के साथ-साथ कई अन्य देशों में गहन अध्ययन जारी हैं। इसको कृषि के विभिन्न कार्यों में दक्षता व सरलता से प्रयोग में लाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान भी इसको खरीद कर अपनी खेती-किसानी में प्रयोग कर सकेंगे। अब वह दिन दूर नहीं है जब ड्रोन का रिमोट किसानों के हाथ में होगा। इसके लिए कृषि विश्वविद्यालय प्रयास कर रहा है और परिसर में इसके प्रदर्शन से इसकी संभावनाएं और बढ़ गई हैं।

समय व जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ खेती में जहां समस्याओं का आकार व स्वरूप बदला है, वहीं किसानों पर लागत में कमी लाते हुए अधिक उत्पादन का दबाव भी बढ़ा है। ऐसे में किसानों की आय को दुगुनी करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक खेती के नए तौर-तरीके अपनाए जाने होंगे। इसमें आधुनिक कृषि मशीनों तथा अन्य उपकरणों का विशेष तौर पर उपयोग करना होगा।

ड्रोन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन है जो खेती के लिए काफी उपयोगी है। जहां यह किसानों के स्वास्थ्य के साथ-साथ उनके समय को बचाएगा, वहीं उनके खर्च में भी कमी आएगी और नैनो फर्टिलाइज़र आदि का समान रूप से छिड़काव अपने खेत में किसान बहुत ही कम समय में कर सकेंगे।

कृषि में ड्रोन की बढ़ सकेंगी भूमिका

ड्रोन कृषि प्रबंधन के संचालन के लिए पारंपारिक हवाई वाहनों की अपेक्षा उच्च परिशुद्धता और कम ऊंचाई की उड़ान भरकर छोटे आकार के खेतों में कार्य करने की क्षमता रखता है। ड्रोन खेतों के हालात जानने के लिए डाटा उत्तरण और उनका विश्लेषण करने, ऐसे कार्यों में विभिन्न अवयवों व घटकों के उचित और सटीक रूप से प्रबंधन में सहायक सिद्ध हो सकता है।

ऐसे ड्रोन की कीमत लगभग 6 लाख रुपये तक आती है। इसके टैंक की क्षमता 10 लीटर तक की गुल को लेकर आसानी से खेत पर छिड़क सकता है। 15 मिनट में लगभग एक एकड़

प्राकृतिक खेती से किसानों की आय बढ़ेगी

प्राकृतिक खेती छोटे और सीमांत किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। प्राकृतिक खेती में उत्पादन लागत बहुत कम आती है। जब देश की अर्थव्यवस्था कोरोना विषाणु के चलते पूरी तरह शिथिल पड़ चुकी थी, तब भारत अपनी पारंपरिक जैविक कृषि के कारण उत्पादन के पिछले रिकार्डों को तोड़ता दिखाई दिया। देश में वर्ष 2019-20 के दौरान प्रमुख फसलों का अनुमानित उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर रहा जिसमें चावल का उत्पादन 11.5 करोड़ टन, गेहूँ 10.5 करोड़ टन, दाल 2.3 करोड़ टन और तिलहन का उत्पादन 3.15 करोड़ टन हुआ। निश्चित ही इस रिकॉर्ड स्तर का उत्पादन देश का रासायनिक खेती से इतर प्राकृतिक खेती की ओर कदम बढ़ाने का ही नतीजा था। यह आंकड़े वर्ष 2019-20 के थे लेकिन अगर 2020 और 21 के आंकड़े देखें तो पता चलेगा कि हमारी उत्पादन क्षमता लगातार बढ़ रही है।



प्राकृतिक खेती का मतलब बिना केमिकल के केवल प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए खेती करना है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो किसान जो भी फसल उगाएँ, उसमें रासायनिक खादों, कीटनाशकों का इस्तेमाल ना करें। इसमें रासायनिक खाद के स्थान पर वह जानवरों के सड़े हुए गोबर से तैयार की हुई खाद का उपयोग अपने खेतों में करें। यह खाद गाय और भैंस के गोबर, गोमूत्र, चने के बेसन, गुड़, मिट्टी तथा पानी से बनती है। इसमें फसल में रोग नहीं लगता और पैदावार भी बड़ी आसानी से बढ़ती है। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने से उत्पादन बढ़ता जरूर है लेकिन एक समय के बाद भूमि धीरे-धीरे बंजर होने लगती है और उत्पादकता घटनी शुरू हो जाती है जिसको रोकने की आवश्यकता है।

एक रिपोर्ट के अनुसार देश की आबादी जो 1971 में 66 करोड़ थी, बढ़कर 139 करोड़ के पार हो गई है लेकिन अनाज का उत्पादन 1 किलो प्रति व्यक्ति से बढ़कर 1.74 किलो तक ही हो पाया। हमारा मानना है कि रसायनयुक्त कृषि हमारे अनुकूल नहीं है। इससे ज़मीन की उपजाऊ क्षमता तेजी से घटती है। बेशक हम खेती में कम रसायन का उपयोग कर सकते हैं तथा किसी को जीरो बजट खेती का प्रारूप प्रदान कर सकते हैं अर्थात् प्राकृतिक खेती आसानी से कर सकते हैं। हरितक्रांति से उत्पादन एक निश्चित समय तक बढ़ा जरूर था लेकिन इसने कैंसर, डायबिटीज और दिल के दौरों के अलावा पेट से संबंधित कई बीमारियों को बढ़ा दिया है लिहाजा रासायनिक खाद की विफलता को देख तथा उसकी हानि का अनुमान लगाकर भारत ने आत्मनिर्भरता की राह पर चलने का निर्णय किया है।

प्राकृतिक कृषि पद्धति को स्थानीय रूप से चार मुख्य तत्वों

की सहायता से करने की प्रणाली विकसित की गई है— पहला, गोमूत्र और गोबर में रखे बीजों का उपयोग; दूसरा, मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बढ़ाने के लिए गोबर; तीसरा, गोमूत्र एवं अन्य सामग्री का उपयोग; चौथा, मृदा की नमी और शक्ति को बनाए रखने के लिए ऑर्गेनिक पदार्थों का प्रयोग तथा मृदा को अनुकूल रखने के लिए उसमें पर्याप्त वायु संचरण। इन तत्वों के साथ आवश्यकतानुसार प्राकृतिक कीट प्रबंधन पद्धति का भी उपयोग किया जाता है। भारत में रासायनिक कृषि के विकल्प के रूप में होम्यो फॉर वैदिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, अग्निहोत्रा फार्मिंग, अमृतवाणी फार्मिंग और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग प्रसिद्ध हुए हैं। मेरा मानना है कि मृदा में प्राकृतिक रूप से पौधों के लिए सभी पोषक तत्व होते हैं। हमें केवल सूक्ष्मजीवों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यदि सूत्रों की संख्या ज़मीन में बढ़ती है तो वह प्राकृतिक रूप से पौधों को पोषण उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाते हैं।

आज भारत के केवल कुछ राज्यों में ही प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप कोरोना विषाणु जनित आपदा के समय देश की अर्थव्यवस्था को डूबने से बचाने के लिए प्राकृतिक खेती मजबूत नाव का सहारा बन कर उभरी। भारत में सिक्किम ने सबसे पहले ऑर्गेनिक राज्य होने का दर्जा प्राप्त किया है। आंध्र प्रदेश में भी शुरू की गई कृषि प्रणाली अत्यंत व्यवस्थित है, यह किसी प्रस्तुत किए सिद्धांतों पर आधारित है। आंध्र प्रदेश इसे डेल्टा स्वस्थ एवं पहाड़ी जंगली क्षेत्रों में भी आजमा कर प्रमाण प्रस्तुत कर चुका है कि रासायनिक कृषि की तुलना में नेचुरल फार्मिंग से काफी ज़्यादा उपज प्राप्त की जा सकती है। इसमें इनपुट लागत नहीं के बराबर तथा खाद और कीटनाशकों की भी जरूरत नहीं पड़ती। नेचुरल फार्मिंग का यह मॉडल अकाल, बाढ़ और कोरोना जैसी महामारी के दौरान अनुकूल साबित हुआ है। यह

प्रणाली जलवायु परिवर्तन की वर्तमान स्थितियों में सर्वथा उपयुक्त है। इस प्रणाली में विभिन्न प्रकार की फसल लगाई जा सकती हैं। इससे पोषण और आय दोनों में लाभ होता है और बिजली और पानी की खपत भी कम होती है। किसानों का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है तथा जैविक विविधता भी मज़बूत होती है यानी इको फ्रेंडली तकनीक होने के कारण इसका लाभ ही लाभ है।

प्राकृतिक खेती देश के कई हिस्सों में कारगर सिद्ध हो रही है। प्राकृतिक कृषि प्रणाली को देश के कई क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। इसके लिए किसानों में नवाचार की प्रवृत्ति विकसित करने के लिए उनको प्रशिक्षण और सुविधाएं सरकार के द्वारा मुहैया कराई जा रही हैं। उसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में भी किसान अब प्राकृतिक खेती की तरफ काफी आगे बढ़ रहे हैं। आंध्र प्रदेश के 7 लाख किसानों को रासायनिक खाद और कीटनाशकों पर आधारित मौजूदा खेती के तरीके से हटा कर आज नेचुरल फार्मिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। एनएसएसओ की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 70 प्रतिशत किसान खेती में अपनी कमाई से अधिक खर्च करते हैं। यही वजह है कि आधे से अधिक किसान कर्ज में डूबे हुए हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में 90 प्रतिशत से अधिक किसान कर्ज में दबे हुए हैं जहां प्रत्येक परिवार पर एक लाख रुपये का कर्ज दिखाई देता है। यदि वह रासायनिक खेती को बदलकर नेचुरल फार्मिंग करते हैं तो निश्चित रूप से उनको मुनाफा होगा और कर्ज से निजात पा सकेंगे।

सरकार का प्रयास है कि 2024 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य प्राप्त किया जाए। इसको प्राप्त करने के लिए कृषि लागत घटाने और उन्हें ऋण से बचाने के लिए ज़रूरी है कि वे नेचुरल फार्मिंग की ओर आगे बढ़ें। साथ-साथ सह-फसली खेती और बहुफसली खेती करें।

राज्य सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2024 तक प्रदेश की 80 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर खेती करने वाले 60 लाख किसानों को पूरी तरह नेचुरल फॉर्मिंग के अंतर्गत शामिल किया जाए। आंध्र प्रदेश का रॉयलसीमा क्षेत्र सूखा संकट से जूझता हुआ क्षेत्र है। इस नेचुरल फॉर्मिंग से वहां भी अनेक सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं लेकिन अभी भी भारत में नेचुरल फॉर्मिंग सही तरीके से लागू नहीं हो सकी है। इसके लिए प्रत्येक मंडल में से कम-से-कम एक पंचायत को इस नई विधि में स्थानांतरित करने की दिशा में काम किया जाना चाहिए जिससे इस कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार राज्य की प्रत्येक पंचायत में सुचारू रूप से किया जा सके और वर्ष 2024 तक पूर्ण कवरेज के साथ इसे लागू किया जा सके।

इस कार्यक्रम के संचालन में लगभग 16500 करोड़ रुपये की लागत आने की संभावना है। इसके लिए किसानों और मज़दूरों को प्रशिक्षित किए जाने की भी आवश्यकता है। जहां एक ओर, आंध्रप्रदेश नेचुरल फॉर्मिंग का गढ़ बनता जा रहा है वहीं दूसरी ओर, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और केरल ने भी इस दिशा में कदम

बढ़ा दिए हैं; किंतु बाकी राज्य इस मामले में अभी भी काफी पिछड़े हुए हैं। ऐसी खेती को बढ़ावा देने के पीछे सरकार का मकसद यह है कि किसानों को किसी भी फसल को उगाने के लिए किसी तरह का कर्ज ना लेना पड़े। नेचुरल फॉर्मिंग से किसान कर्ज मुक्त होगा और 'आत्मनिर्भर' भारत का सपना भी साकार होगा। साथ ही, देश की 'लोकल से ग्लोबल' की अवधारणा साकार होने में मदद मिलेगी; किसानों के जीवन-स्तर में सुधार होगा और सरकार का किसानों की आय को दुगुना करने का लक्ष्य आसानी से पूरा हो सकेगा।

देश में किसानों को रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ाने के लिए सपोर्ट किया जाएगा; ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा; अनाजों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा और किसानों को डिजिटल सर्विस देने की भी योजना है। साल 2023 को 'मोटा अनाज' वर्ष मनाने की घोषणा की गई है। पांच नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। प्राकृतिक खेती के लिए गंगा के किनारे 5 किलोमीटर तक के गांव में नेचुरल फार्मिंग के लिए योजनाएं चलाई जाएंगी। किसानों को डिजिटल सुविधा मुहैया कराई जाएगी तथा उनको आर्थिक रूप से मज़बूती दी जाएगी।

कृषि क्षेत्र में विविधीकरण अपनाने से जहां ज़रूरत-आधारित खेती को बढ़ावा मिलेगा, वहीं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने में भी मदद मिलेगी। वर्ष 2015-16 से 2020-21 के दौरान तिलहनी फसलों को प्रोत्साहन मिला है। सरकारी तौर पर इन फसलों के अधिकतम समर्थन मूल्य-एमएसपी में ज़बरदस्त वृद्धि की गई है। इसकी वजह से तिलहनी फसलों के उत्पादन में 43 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि आम बजट में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन के लिए भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति प्रोग्राम को प्राथमिकता दी जाएगी।

नेचुरल फार्मिंग से धारणीय विकास के अनेक लक्ष्य जैसे मृदा की गुणवत्ता में सुधार, जैव विविधता, स्वास्थ्य, नारी सशक्तीकरण एवं पोषण आदि को प्राप्त करना आसान हो सकेगा। कृषकों की आत्महत्या के मामले में आंध्र प्रदेश प्रथम पांच राज्यों में से एक है। अतः यदि हम इस कृषि प्रणाली के माध्यम से किसानों के जीवन की रक्षा कर सकेंगे तो इससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं हो सकती। इसलिए अब देश को केवल कुछ राज्यों तक नेचुरल फॉर्मिंग में सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि समूचे देश में धीरे-धीरे हमें प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना चाहिए।

आज जब हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि नेचुरल फॉर्मिंग और प्राकृतिक खेती की उपेक्षा करके आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। नेचुरल फार्मिंग अर्थात् प्राकृतिक खेती को बढ़ाने के लिए सामाजिक क्रांति की दरकार है और सामाजिक क्रांति को बढ़ाने के लिए एक वैचारिक क्रांति लानी होगी, तभी हम देश में प्राकृतिक खेती को किसानों के बीच आसानी से स्थापित कर सकेंगे।

क्षेत्रफल में अच्छी तरह से छिड़काव किया जा सकता है। इससे छिड़काव करने पर समय की बचत के साथ-साथ मजदूरी की भी बचत होती है।

ऐसी परिस्थितियों में, जहां परंपरागत मशीनों का उपयोग करना चुनौतीपूर्ण है, वहां पर इसका उपयोग किया जा सकता है। जब किसानों के खेत गीले हो, उसमें चलने में कठिनाई हो रही हो; इसके अलावा, गीले धान का खेत हो, गन्ना हो, मक्का व कपास की फसल, नारियल और चाय बागान, लीची के बागान, आम के बागान इत्यादि में विभिन्न ऊंचाइयों पर जाकर ड्रोन की सहायता से आसानी से छिड़काव किया जा सकता है।

ड्रोन कृषि प्रबंधन के संचालन के लिए पारंपारिक हवाई वाहनों की अपेक्षा उच्च परिशुद्धता और कम ऊंचाई की उड़ान भरकर छोटे आकार के खेतों में कार्य करने की क्षमता रखता है। ड्रोन खेतों के हालात जानने के लिए डाटा उत्तरण और उनका विश्लेषण करने और ऐसे कार्यों में विभिन्न अवयवों व घटकों के उचित और सटीक रूप से प्रबंधन में सहायक सिद्ध हो सकता है। कृषि विश्वविद्यालय में ड्रोन के द्वारा किए गए छिड़काव को किसानों ने भी देखा और सराहा। निसंदेह यह तकनीक भविष्य में किसानों के लिए काफी लाभकारी होगी।

सीड कॉप्टर ड्रोन से बीजारोपण

कोरोना काल में मानव संक्रमण के खतरे को देखते हुए एआई i40 जैसी तकनीक काफी कारगर साबित हुई है। ड्रोन ने बुजुर्गों एवं क्वारंटाइन किए गए लोगों तक दवाइयों की इमरजेंसी डिलीवरी कराने और लोगों पर निगरानी रखने में भी अहम भूमिका निभायी है। ड्रोन तकनीक से एक सीमित समय में एक क्षेत्र में 50 गुना अधिक गति से सैनिटाइज़ किया जा सकता है। इससे क्रॉप इंफेक्शन का खतरा नहीं रहता जिससे संक्रमण पर भी काबू पाया जा सकता है।

देश में कई प्रकार के ड्रोन विकसित हो चुके हैं जिसे पब्लिक मॉनीटरिंग/वार्निंग ड्रोन आदि के लिए उपयोग किया जा रहा है। आज ड्रोन के माध्यम से तेजी से बीजारोपण भी किया जा सकता है। यदि बुवाई में ड्रोन का उपयोग तेजी से बढ़ा तो निश्चित रूप से देश में एक 'ड्रोन' क्रांति अवश्य कुछ ही वर्षों में दिखाई देगी।

कंपनियों के द्वारा कई ऐसे ड्रोन विकसित किए गए हैं जिससे 20 से 25 एकड़ खेत की बुवाई कम समय में आसानी से की जा सकती है। ड्रोन में एक बार में 25 से 30 किलो बीज रखकर आसानी से बुवाई की जा सकती है। पूर्णतः स्वचालित यह ड्रोन 1 घंटे में 10 एकड़ खेत में बुवाई कर सकते हैं। ड्रोन से दवा के छिड़काव के लिए किसानों को खुद खेत में नहीं जाना पड़ेगा इसे

भारत में निर्मित सबसे बड़ा 'डॉन' माना जा रहा है जिसे भारत के किसानों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है।

खेती में ड्रोन की उपयोगिता

- कीटनाशक व खरपतवारनाशक रसायनों के छिड़काव में
- फसल में रोगों व कीटों के स्तर की जांच व उपचार में
- खेतों की भौगोलिक स्थिति का आकलन करने में
- तरल और ठोस उर्वरकों का छिड़काव करने में
- फसल अवशेषों के अपघटन के लिए जैविक रसायनों का छिड़काव करने में
- सिंचाई व हाइड्रोजैल का छिड़काव करने में
- खेतों एवं जंगलों में बीजों का छिड़काव करने में
- फसल को कीटों एवं टिड्डियों के आक्रमण से बचाने में
- मवेशियों व जंगली जानवरों से फसल को बचाने में
- मृदा के 3डी मानचित्र के विश्लेषण में।

युवाओं को कृषि में देगा रोज़गार

ड्रोन रोज़गार का एक नया क्षेत्र है। इसमें ड्रोन का परिचालन सीख कर ऐसे युवा, जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, लगभग 20 हजार से 30 हजार रुपये प्रतिमाह की कमाई आसानी से कर सकेंगे। इसके लिए पायलट के पास प्रशिक्षण प्रमाणपत्र होना आवश्यक है। देशभर में कई सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं ने ड्रोन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ कर दिए हैं। युवाओं में ड्रोन के प्रति नया उत्साह देखने को मिल रहा है।

नगर विमानन महानिदेशालय के अनुसार ड्रोन को टेक ऑफ़ वेट के

अनुसार पांच भागों में वर्गीकृत किया गया है—

- नैनो 250 ग्राम से कम या बराबर (सूक्ष्म)
- 250 ग्राम से बड़ा और 2 किलोग्राम से कम या बराबर (मिनी)
- 2 किलोग्राम से बड़ा और 25 किलोग्राम से कम या बराबर (बड़ा)

150 किलोग्राम से बड़े व्यावसायिक क्षेत्र में इनको उड़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों व नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

ड्रोन कृषि प्रबंधन के संचालन के लिए पारंपारिक हवाई वाहनों की अपेक्षा उच्च परिशुद्धता और कम ऊंचाई की उड़ान भरकर छोटे आकार के खेतों में कार्य करने की क्षमता रखता है। ड्रोन खेतों के हालात जानने के लिए डाटा एकत्रण और उनका विश्लेषण करने व ऐसे कार्यों में विभिन्न आवेदन वाहक घटकों के उचित और सटीक रूप से प्रबंधन में सहायक सिद्ध हो सकता है। ऐसी परिस्थितियां जहां परंपरागत मशीनों का उपयोग करना चुनौतीपूर्ण साबित हुआ है, वहां पर ड्रोन काफी सफल साबित हो

यदि बुवाई में ड्रोन का उपयोग तेजी से बढ़ा तो निश्चित रूप से देश में एक 'ड्रोन' क्रांति अवश्य कुछ ही वर्षों में दिखाई देगी। कंपनियों के द्वारा कई ऐसे ड्रोन विकसित किए गए हैं जिससे 20 से 25 एकड़ खेत की बुवाई कम समय में आसानी से की जा सकती है। ड्रोन में एक बार में 25 से 30 किलो बीज रखकर आसानी से बुवाई की जा सकती है। पूर्णतः स्वचालित यह ड्रोन 1 घंटे में 10 एकड़ खेत में बुवाई कर सकते हैं। ड्रोन से दवा के छिड़काव के लिए किसानों को खुद खेत में नहीं जाना पड़ेगा इसे भारत में निर्मित सबसे बड़ा 'डॉन' माना जा रहा है जिसे भारत के किसानों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है।



हैं। इसको कृषि के विभिन्न कार्यों में दक्षता व सरलता से प्रयोग में लाया जा सकेगा। वह दिन दूर नहीं है जब ड्रोन का रिमोट किसान के हाथ में होगा और मोबाइल की तरह इसे अपने जीवन में तेजी से अपना कर इससे भरपूर फायदे के लिए खेतों में काम करते हुए नज़र आएंगे।

सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन और इसकी लांचिंग के दौरान कृषि विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र में आने वाले विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों के किसानों ने इस टेक्नोलॉजी के प्रदर्शनों को बहुत पास से देखा और इसको काफी उपयोगी पाया। किसानों का मानना है कि यदि ड्रोन की कीमत कम हो जाती है या

सकते हैं। इनके उपयोग से खेती की उत्पादकता को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के लिए धान का खेत, गन्ना, मक्का व कपास की फसल, नारियल और चाय बागान, बागवानी के क्षेत्र में आम के पेड़ों, लीची के पेड़ों, आड़ू इत्यादि के पेड़ों में ड्रोन की उपयोगिता बहुत महत्वपूर्ण व उपयोगी है क्योंकि इस टेक्नोलॉजी से इन बड़े-बड़े वृक्षों पर आसानी से समान रूप से दवाइयों का छिड़काव करके रोग नियंत्रण अथवा कीट नियंत्रण में सफलता हासिल की जा सकती है।

टेक्नोलॉजी के विकास के साथ-साथ ड्रोन के कलपुर्जे सस्ते और दक्षपूर्ण होंगे। इनसे लंबे अंतराल के लिए हवा में सस्ती उड़ान भरी जा सकेगी। इनका उपयोग कृषि प्रबंधन में आर्थिक रूप से भी फायदेमंद साबित होगा। कृषि कार्यों को कम आमदनी का ज़रिया मानकर युवा पीढ़ी का खेती से मोह भंग हो रहा था लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी और डॉन जैसी टेक्नोलॉजी के आ जाने से युवाओं का आकर्षण इस और बढ़ेगा और युवा अब गांव में ही रह कर न केवल खेती की ओर आकर्षित होंगे बल्कि नई टेक्नोलॉजी का समावेश कर उच्च गुणवत्तायुक्त फलों एवं फल-फूलों का उत्पादन कर सकेंगे। यह एक अच्छी सुख-सुविधाओं और ऊंची पगार की नौकरी के लिए शहरों की ओर विस्थापित हो रहे युवाओं को रोकने में काफी सफल साबित होगी।

ड्रोन नई तकनीकी से परिपूर्ण होने के कारण युवा पीढ़ी को अवश्य ही आकर्षित करेगा और खेती की तरफ कदम बढ़ाने के लिए युवाओं को प्रेरित करेगा। इसकी भविष्य में अति आवश्यकता है। इस तरह विभिन्न क्षमताओं से परिपूर्ण ड्रोन कृषि उत्पादन में प्रबंधन के लिए बहुत लाभप्रद साबित होगा। ड्रोन पर भारत के साथ-साथ कई अन्य देशों में गहन अनुसंधान लगातार जारी

फिर सरकारी स्तर पर खरीद कर किसानों को न्यूनतम दर पर छिड़काव के लिए ड्रोन उपलब्ध होते हैं तो निश्चित रूप से कृषि के क्षेत्र में ड्रोन क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में सफल साबित होंगे। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में किसान ड्रोन के रिमोट को अपने हाथ में लेकर अपनी खेती में एक क्रांति लाएगा जोकि 'सदाबहार' क्रांति को लाने में एक नई दिशा प्रदान करेगा।

देश में ड्रोन हब बनाने के लिए बढ़ते कदम

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों 'मन की बात' कार्यक्रम में युवाओं से भारत को ड्रोन तकनीकी से अग्रणी देश बनाने का आह्वान किया था। नई ड्रोन नीति 2021 के अनुसार भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक भारत को वैश्विक 'ड्रोन हब' के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। स्कूलों, कॉलेजों के विद्यार्थी भी इसमें खूब रुचि ले रहे हैं।

संक्षेप में, आज हम सभी लोग यह देख रहे हैं कि ड्रोन का सफल प्रयोग वैक्सीन, दवाइयां, खाना पहुंचाने से लेकर आपदा प्रबंधन, सुरक्षा, देश के बॉर्डर की निगरानी, कृषि कार्यों में दवाई छिड़कने तथा कीट नियंत्रण के अलावा बीजारोपण आदि में किया जा रहा है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आने वाले समय में भारतीय कृषि परिदृश्य में ड्रोन टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होगा। कृषकों की आय बढ़ाने में भी इसकी अहम भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता। निसंदेह आने वाली सदी में यह टेक्नोलॉजी गांवों में बहुत तेजी से दस्तक देगी।

(लेखक सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ में कृषि बायोटेक्नोलॉजी विभाग में विभागाध्यक्ष रह चुके हैं।)

ई-मेल : sengarbiotech7@gmail.com

कृषि उत्पादों का विपणन और मूल्यवर्धन

—शिशिर सिन्हा

विपणन और मूल्यवर्धन के नए-नए तरीके और उसके साथ तकनीक के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल से कृषि को बाज़ार में हो रहे परिवर्तन के हिसाब से तैयार करना है। और यह परिवर्तन केवल घरेलू बाज़ार ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भी पैठ बनाने के लिए ज़रूरी है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में खाद्यान्न और कृषि उत्पादों की कीमत लगातार बढ़ रही है। अगर निर्यात बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। इसके लिए ज़रूरी है कि विपणन और मूल्यवर्धन को लेकर समग्र रणनीति पर मज़बूती से अमल किया जाए। यह काम केवल बजट के ज़रिए ही नहीं, बल्कि बजट के बाहर से भी पूरा करना संभव हो, यही सरकार की सोच है।

भले ही कृषि क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) सेवा व उद्योग क्षेत्र से कम हो, लेकिन हकीकत यह है कि महामारी के दौर में यही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें लगातार विकास देखने को मिला। यही नहीं, महामारी पूर्व के उत्पादन से कहीं ज़्यादा हासिल करने में इसने उद्योग व सेवा क्षेत्र को पीछे छोड़ दिया। सांख्यिकी मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 2019-20 में जहां कृषि (वानिकी व मत्स्य पालन समेत) की विकास दर 4.3 फीसदी थी, वहीं वित्तवर्ष 2020-21 में 3.6 फीसदी की दर से बढ़ी जबकि वित्तवर्ष 2021-22 में यह दर 3.9 फीसदी रहने का अनुमान है। ध्यान रहे कि वित्तवर्ष 2020-21 में विकास दर (-) 7.3 फीसदी (बाद में संशोधित - 6.6 फीसदी) दर्ज की गई और उद्योग व सेवा क्षेत्र, दोनों में ही, नकारात्मक बढ़ोत्तरी देखने को मिली।

दूसरी ओर, आर्थिक समीक्षा (2021-22) बताती है कि कृषि सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार देता है (अनुमान है कि कुल श्रमशक्ति का करीब आधा) कृषि पर निर्भर है। साथ ही, यह भी कहा गया कि वित्तवर्ष 2021-22 के दौरान जीवीए में कृषि की हिस्सेदारी 18.8 फीसदी रहने का अनुमान है। यहां यह सवाल उठना वाजिब है कि दो तिहाई से ज़्यादा आबादी जिस क्षेत्र में लगी है, आधी श्रमशक्ति जिस पर निर्भर हो, क्या उसके लिए 18.8 फीसदी की हिस्सेदारी को सही कहा जा सकता है? जवाब नहीं, बिल्कुल नहीं। उससे भी ज़्यादा अहम यह है कि जीवीए में कम हिस्सेदारी का कुछ और मतलब है क्या? बिल्कुल है और वो यह है कि जीवीए के आंकड़े दरअसल उत्पादकों की स्थिति को दर्शाते हैं और हिस्सेदारी कम होने का मतलब यह है कि किसान को कम कीमत मिल रही है और उसे बढ़ाए जाने की ज़रूरत है और यह संभव होगा कृषि विपणन और मूल्यवर्धन के मामले में और ज़्यादा प्रयासों की बदौलत।

अच्छी बात यह है बीते कुछ वर्षों से किसानों की आमदनी बढ़ाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और उसमें सफलता भी मिली है। अब इन प्रयासों को तेज करने की दिशा में आम बजट में कुछ कदमों का ऐलान किया गया है जिन पर पहले नज़र डाल लेते हैं।

- वर्ष 2023 को मोटे अनाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। इस दौरान फसल कटने के बाद मूल्यवर्धन, घरेलू बाज़ार में खपत बढ़ाने और राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर



- 163 लाख किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान
- रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा
- फसल कटाई के बाद मोटे अनाज से बने उत्पादों के मूल्यवर्धन, उपभोग एवं ब्रांडिंग को बढ़ावा
- पीपीपी मोड में किसानों को डिजिटल एवं हाईटेक सेवाओं की डिलिवरी
- किसानों की सहायता के लिए किसान ड्रोन का उपयोग
- कृषि स्टार्टअप के वित्तपोषण के लिए विशेष पूंजी के साथ फंड की स्थापना
- 9.1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का बढ़ता दायरा

कृषि उत्पादों के मूल्यवर्धन में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की खासी भूमिका है। एक ओर जहां यह किसानों के लिए ज़्यादा कमाई के रास्ते खोलता है, वहीं दूसरी ओर, विनिर्माण की गति तेज करने और रोज़गार के नए मौके पैदा करने में अहम भूमिका निभाता है। लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने जानकारी दी कि तमाम चुनौतियों के बावजूद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) 2014–15 के 1.34 लाख करोड़ रुपये से 2019–20 में बढ़कर 2.24 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचा। कृषि के जीवीए में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की हिस्सेदारी 11.38 फीसदी है, जबकि विनिर्माण में 9.87 फीसदी।

खाद्य प्रसंस्करण की मौजूदा इकाइयों की प्रसंस्करण व परिरक्षण क्षमता विकसित करने के साथ-साथ उनके विस्तार एवं आधुनिकीकरण के लिए एक विशेष योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना चलाई जा रही है। इसके तहत 5 करोड़ रुपये तक की सहायता दी जाती है। एक अन्य योजना (पीएम-एफएमई) के तहत दो लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को मदद दी जा रही है।

पर मोटे अनाज की ब्रांडिंग के लिए समर्थन दिया जाएगा।

- किसानों को डिजिटल और हार्डटेक सेवाएं प्रदान करने के लिए पीपीपी (सार्वजनिक व निजी क्षेत्र की साझेदारी) मॉडल में एक योजना शुरू की जाएगी, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसंधान और विस्तार संस्थानों के साथ-साथ निजी एग्रीटेक प्लेयर्स और स्टेकहोल्डर्स, जोकि एग्रीवैल्यू चेन से जुड़े हैं, शामिल होंगे।
- सह निवेश मॉडल के तहत तैयार किए जाने वाले मिश्रित पूंजीयुक्त कोष के लिए नाबार्ड से सहायता मिलेगी। इसका उद्देश्य कृषि और ग्रामीण उद्यमों के लिए स्टार्टअप्स, जोकि कृषि उत्पाद मूल्य शृंखला के लिए संगत होंगे, को वित्तपोषित करना है। इन स्टार्टअप्स के क्रियाकलापों में अन्य बातों के अलावा एफपीओ को सहायता, कृषि-स्तर पर किराया आधार

पर किसानों को विकेंद्रीकृत मशीनरी उपलब्ध कराना और प्रौद्योगिकी जैसे कार्य आएंगे।

- फलों और सब्जियों की उपयुक्त किस्म की अपनाने के लिए और उत्पादन एवं फसल कटाई की यथोचित तकनीक का प्रयोग करने के लिए किसानों की सहायता करने हेतु केंद्र सरकार, राज्य सरकारों की भागीदारी से एक व्यापक पैकेज प्रदान करेगी।

यह सब कुछ तो बजट भाषण का हिस्सा है, लेकिन बजट के दस्तावेजों जैसे परिणाम बजट पर नज़र डालेंगे तो और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। मसलन विपणन और मूल्यवर्धन दोनों के लिए ही ज़रूरी है कि भंडारण की ज़्यादा-से-ज़्यादा सुविधा विकसित हो। परिणाम बजट बताता है कि बजट के जरिए 500 करोड़ रुपये के आवंटन की बदौलत भंडारण क्षमता विकसित करने से जुड़ी 70 से भी ज़्यादा परियोजनाओं को मदद दी जाएगी। इन परियोजनाओं की बदौलत 10 लाख टन के करीब भंडारण क्षमता विकसित होगी।

इसी तरह किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को ले लीजिए। इस संगठन की एक बड़ी अहमियत देश में छोटे व सीमांत किसानों की बड़ी संख्या को लेकर है। कृषि मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि देश में करीब 86 फीसदी किसान छोटे व सीमांत वर्ग में आते हैं जिनके पास दो हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है। अब जोत के छोटे आकार की वजह से इन किसानों के लिए अगर खेतों की जुताई और बुवाई और फिर फसल तैयार होने की प्रक्रिया में एक तरफ आधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल में परेशानी होती है, वहीं एक बड़ी परेशानी अपनी उपज की बिक्री को लेकर है।

इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए एफपीओ के उद्देश्यों में कुछ खास बातों को शामिल किया गया जैसे किसान सदस्यों की उपज के छोटे समूहों का एकत्रीकरण करना, उन्हें विपणन योग्य बनाना, उत्पादन व विपणन में उचित निर्णय लेने के लिए उत्पाद के बारे में बाज़ार की जानकारी को सुसाध्य बनाना, साझा लागत के आधार पर लॉजिस्टिक सेवाओं जैसे भंडारण, परिवहन, माल चढ़ाने-उतारने आदि की सुविधा प्रदान करना और खरीद के बेहतर मोल-भाव

तालिका-1 : कृषिन्नोति योजना: कृषि विपणन पर इंटीग्रेटेड स्कीम (वित्तवर्ष 2022-23)

आउटले	आउटपुट	आउटकम
500 करोड़ रुपये	1. कृषि विपणन अवसंरचना उप-योजना : वित्तीय मदद के लिए विपणन से जुड़ी आधारभूत संरचना की परियोजनाओं की संख्या - 72 2. राष्ट्रीय कृषि मंडी उप-योजना: • ई-मंडी के माध्यम से जुड़ी मंडियों की संख्या - 800 • जागरूकता के लिए किसानों, व्यापारियों की संख्या - 1.50 लाख • ई-नाम के तहत प्रशिक्षित किसानों की संख्या - 60,000	विकसित होने वाली कुल भंडारण क्षमता - 10 लाख टन ई-नाम के माध्यम से कारोबार किए गए उत्पाद की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन - 2 प्रतिशत

योजना में दो और उपयोजनाएं - बाज़ार अनुसंधान व सूचना तंत्र, एगमार्क ग्रेडिंग सुविधा का सुदृढीकरण
स्रोत : परिणाम बजट

के सामर्थ्य के साथ, बेहतर व लाभकारी कीमतों की पेशकश करने वाले विपणन माध्यमों में एकत्रित उत्पादों का विपणन शामिल है। मतलब साफ है कि छोटे व सीमांत किसानों के उत्पाद के विपणन में एफपीओ की अहम भूमिका है। परिणाम बजट बताता है कि वित्तवर्ष 2022-23 के दौरान 4500 एफपीओ गठित करने का लक्ष्य है जिसके तहत छह लाख किसानों को लाया जाएगा।

मूल्यवर्धन में खाद्य प्रसंस्करण खासा मददगार रहा है। इसीलिए किसानों की आमदनी बढ़ाने के क्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) में शामिल किया गया। बजट दस्तावेज़ बताते हैं कि पीएलआई के तहत चार प्रमुख खाद्य खंडों (रेडी-टू-कुक व रेडी-टू-इट, प्रसंस्कृत फल व सब्जियां, समुद्री उत्पाद और मोज्जारिला चीज़) में 60 आवेदकों के प्रस्ताव को मंजूरी देने का लक्ष्य है जिसकी बंदौलत 88 हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा कीमत के खाद्य उत्पादों की बिक्री हो सकती है।

ध्यान देने की बात यह है कि उपरोक्त योजनाएं पहले से ही चालू हैं और अब बजट का जोर चालू योजनाओं में तेजी तो लाना ही है; साथ ही, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर करना है जिससे विपणन व मूल्यवर्धन में मदद मिले। बात चाहे विपणन की हो या फिर मूल्यवर्धन की, दोनों ही में कुछ बातें समान होती हैं। मसलन, खेत से खाने की मेज पर उत्पाद किस रफतार और किस स्वरूप में पहुंचता है, फसल काटने की तकनीक कैसी है, भंडारण की सुविधा किस तरह की है, प्रसंस्करण की कितनी संभावना है, आदि। इन सब की बंदौलत कृषि उत्पादों की बेहतर से बेहतर कीमत किसानों को मिल सकती है, वहीं उपभोक्ता को बेहतर उत्पाद।

चूंकि बात हो रही है कि सरकार का जोर पुरानी योजनाओं

तालिका-2 : खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम (पीएलआई) (वित्तवर्ष 2022-23)

आउटले	आउटपुट	आउटकम
1,022 करोड़ रुपये	<p>चार प्रमुख खाद्य उत्पाद खंडों के निर्माण को प्रोत्साहित करना :</p> <ul style="list-style-type: none"> रेडी टू कुक/रेडी टू ईट खंड के तहत समर्थन के लिए आवेदक-12 प्रसंस्कृत फल और सब्जियां खंड के तहत समर्थन के लिए आवेदक-33 समुद्री उत्पाद खंड के तहत समर्थन के लिए आवेदक-11 मोज्जारिला चीज़ खंड के तहत समर्थन के लिए आवेदन-4 	<p>चार खंडों में खाद्य उत्पादों का उन्नत विनिर्माण (करोड़ रु में)</p> <ul style="list-style-type: none"> रेडी टू कुक/रेडी टू ईट खंड के तहत चयनित आवेदकों के खाद्य उत्पादों की बिक्री-51000 प्रसंस्कृत फल और सब्जियां खंड के तहत चयनित आवेदकों के खाद्य उत्पादों की बिक्री-24000 समुद्री उत्पाद खंड के तहत के तहत चयनित आवेदकों के खाद्य उत्पादों की बिक्री-12,500 मोज्जारिला चीज़ खंड के तहत चयनित आवेदकों के खाद्य उत्पादों की बिक्री-750

योजना के तहत तीन और उपयोजनाएं

स्रोत : परिणाम बजट

PMFME प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकरण

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण

मौजूदा 2 लाख उद्यमों को औपचारिक ढांचे में शामिल किया गया

भंडारण, पैकेजिंग आदि जैसी सामान्य सेवाओं तक पहुंच को बढ़ावा

किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), उत्पादक सहकारी समितियों को सहायता

2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी से सहायता मिली

को और बेहतर तरीके से जारी रखना है तो यह जानना ज़रूरी होगा कि बीते तीन वर्षों में विपणन के लिए सरकार ने क्या किया है। एक नजर ऐसे प्रयासों पर:

- उत्पादन और विपणन में किफायत का लाभ लेने और किसानों को बेहतर उत्पादकता और लाभकारी कीमतों के लिए मोलभाव करने की क्षमता को बढ़ाने पर मुख्य ध्यान देने के साथ वर्ष 2020 में 10000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के

जैविक खेती

बदलती जीवनशैली के साथ-साथ दुनिया भर में जैविक कृषि उत्पादों की मांग काफी तेजी से बढ़ी है और भारत कोई अपवाद नहीं। एक तरफ यह जहां विविधिकरण को बढ़ावा देता है, वहीं दूसरी ओर, मूल्यवर्धित उत्पादों के ज़रिए किसानों की आय बढ़ाने में मदद करता है। देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए परम्परागत कृषि विकास योजना की शुरुआत 2015-16 में की गई। संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक, अब तक इसके लिए किसानों के 19,043 समूह बनाए गए हैं जिससे 9.52 लाख किसानों को फायदा मिल रहा है। इसके अलावा, 'नमामि गंगे' कार्यक्रम के तहत 1,23,620 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैविक मूल्य शृंखला विकास मिशन शुरू किया गया है। इसके तहत 170 किसान उत्पादक कंपनियां बनाई गई हैं जिनमें 1.55 लाख किसान शामिल हैं और 1.55 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र को शामिल किया गया है।

साथ ही, सस्ती कीमत पर जैविक प्रमाणीकरण और दृष्टिकोण को आसानी से अपनाने की सुविधा देने के लिए भागीदार गारंटी प्रणाली पीजीए उपलब्ध है। इसके ज़रिए 11 लाख छोटे और सीमांत किसानों को प्रमाणित किया गया जो उन्हें अपने उत्पाद बेचने में मदद करता है। इसी के साथ छोटे व सीमांत किसानों को अपने उत्पाद सीधे-सीधे उपभोक्ताओं को बेचने में सहायता के लिए एक 'जैविक खेती' पोर्टल तैयार किया गया है। पोर्टल पर अब तक साढ़े पांच लाख से ज़्यादा किसान पंजीकृत हो चुके हैं।

गठन और संवर्धन के लिए योजना शुरू की गई। इस व्यवस्था से उत्पादन की लागत में कमी लाने और किसानों की आय में वृद्धि करने का लक्ष्य है। इससे स्थानीय व्यापारियों और बिचौलियों पर किसानों की निर्भरता कम होगी।

- किसानों/एफपीओ के लिए विपणन सुविधाओं का विस्तार करने, उन्हें प्रतिस्पर्धी और लाभकारी मूल्य प्राप्त करने की सुविधा के लिए सरकार ने देश में 1000 ई-नाम मंडियों को समेकित किया था। ई-नाम कमीशन एजेंट के पास जाए बिना किसानों को ऑनलाइन आधारित प्रतिस्पर्धी व पारदर्शी बोली प्रणाली के माध्यम से अपनी उपज बेचने की अनुमति देता है।
- कृषि उपज मंडी समिति की मंडियों में उपज को लाए बिना अपने संग्रह केंद्रों से अपने कृषि उत्पाद के व्यापार के वास्ते एफपीओ को सुविधा देने के लिए ई-नाम प्लेटफॉर्म में विशेष ट्रेडिंग मॉड्यूल शुरू किया गया। यही नहीं, चयनित गोदामों से उपज बेचने की सुविधा के लिए विशेष मॉड्यूल बनाया गया।
- किसानों और अन्य हितधारकों की कृषि उपज के परिवहन के मुद्दे को सुलझाने के लिए अप्रैल 2020 में 'किसान रथ' मोबाइल ऐप शुरू किया गया।

- ब्याज छूट के माध्यम से सरकार ने वेयरहाउसिंग सुविधा और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों सहित फसलोपरांत बाज़ार की अवसंरचना हेतु मध्यम और दीर्घकालिक वित्तीय सहायता ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए एक लाख करोड़ रुपये की नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की। मंडियों में अवसंरचना को मज़बूत करने के लिए, कृषि उत्पाद मंडी समितियों (एपीएमसी) को एआईएफ* के तहत पात्र संस्थाओं में से एक के रूप में मान्यता दी गई है।
- सरकार विभिन्न योजनाओं जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-कृषि और संबद्ध क्षेत्र कायाकल्प हेतु लाभकारी दृष्टिकोण (आर्केवीआई-रपतार) और समेकित कृषि विपणन योजना (आईएमएएम) की उप-योजना कृषि विपणन अवसंरचना के माध्यम से कृषि विपणन के लिए बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने में लगी है।

इन सबके साथ ही बजट के ज़रिए स्टार्टअप को खासा प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। तकनीक और नवाचार के सहारे स्टार्टअप ने अलग-अलग क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर विभिन्न उपभोक्ता सामग्री को आम लोगों तक पहुंचाने में मदद की है। याद कीजिए, देशव्यापी तालाबंदी के दौरान फल और सब्जियों को खेत से शहर तक पहुंचाने में कई स्टार्टअप सामने आए और कामयाब हुए। अब इसी का बड़े पैमाने पर विस्तार किया जाना है जिससे कृषि उद्यमिता की बढौलत कृषि के विपणन में मदद मिले। साथ ही, मूल्यवर्धित कृषि उत्पादों को कम-से-कम समय में ग्राहकों तक पहुंचाया जा सके। कुछ इसी सब को ध्यान में रखते हुए बजट में 500 कृषि उद्यमियों/स्टार्टअप को वित्तीय मदद देने का प्रस्ताव रखा गया है।

विपणन और मूल्यवर्धन के नए-नए तरीके और उसके साथ तकनीक के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल से कृषि को बाज़ार में हो रहे परिवर्तन के हिसाब से तैयार करना है। और यह परिवर्तन केवल घरेलू बाज़ार ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भी पैठ बनाने के लिए ज़रूरी है। गौर करने की बात यह है कि चालू कारोबारी साल के दौरान भारत से कृषि उत्पादों का निर्यात 43 अरब डॉलर से भी ज़्यादा होने का अनुमान है और यह पूरी संभावनाओं का एक हिस्सा है। यहां यह ज़िज़र करना भी ज़रूरी होगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में खाद्यान्न और कृषि उत्पादों की कीमत लगातार बढ़ रही है। अगर निर्यात बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। इसके लिए ज़रूरी है कि विपणन और मूल्यवर्धन को लेकर समग्र रणनीति पर मज़बूती से अमल किया जाए। यह काम केवल बजट के ज़रिए ही नहीं, बल्कि बजट के बाहर से भी पूरा करना संभव हो, यही सरकार की सोच है।

(लेखक आर्थिक पत्रकार हैं।)

ई-मेल : hblshishir@gmail.com

*Alternative Investment Fund

आर्थिक सुधार और रोज़गार सृजन

—डॉ. इशिता जी. त्रिपाठी

बजट 2022-23 में समावेशी विकास, आर्थिक सुधार और रोज़गार सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। ये घोषणाएं उद्योग जगत की निवेश, अवसंरचना, एमएसएमई व्यवस्था में नई जान डालने और रोज़गार के अवसरों का सृजन करने से संबंधित बजट-पूर्व अपेक्षाओं को पूर्ण करने की पेशकश करती हैं। आधुनिक समय को ध्यान में रखते हुए बजट में ऐसी कई दूरदर्शी घोषणाएं की गई हैं जो डिजिटल अर्थव्यवस्था को एकीकृत करने और मज़बूती प्रदान करने पर आधारित हैं।


दुनिया को कोविड-19 महामारी और इसके विभिन्न प्रतिफलों और परिणामों की चपेट में आए करीब दो साल हो गए हैं। इसके कारण उपजी चुनौतियों से निपटने के लिए विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं ने विविध राजकोषीय और मौद्रिक व्यवस्थाओं का सहारा लिया है। ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन कायम कर पाना; तथा सरकार की प्राप्तियों को सरकार के व्यय के बराबर कर पाना, वह भी विशेषकर तब जबकि व्यय के सभी संघटक संभवतः इतने महत्वपूर्ण हों, कि उन्हें प्राथमिकता देने की आवश्यकता हो, आसान नहीं है। निरंतर आर्थिक विकास के लिए शारीरिक स्वास्थ्य एक अनिवार्य आवश्यकता है। यह बात दुनिया भर में महसूस किए गए महामारी के प्रभाव और वैक्सीन कवरेज पर जोर दिए जाने सहित सरकार के दृष्टिकोण से ज़ाहिर होती है।

वर्ष 2021-22 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की विकास दर 2020-21 की तुलना में अधिक रहने की संभावना है, ज़ाहिर तौर पर इसका कारण वे प्रोत्साहन पैकेज हैं, जो व्यापक

प्रभाव देना प्रारंभ कर चुके हैं।¹ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में कहा गया है कि 2020-21 में 7.3 प्रतिशत की गिरावट के बाद, 2021-22 के दौरान भारत की जीडीपी विकास दर 9.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है।² बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच यह सर्वोच्च अनुमान है। वर्ष 2022-23 में जीडीपी विकास 8.0 फीसदी से 8.5 फीसदी के बीच रहने का अनुमान है। वृहद् आर्थिक मापदंडों में से एक, जो दो साल की महामारी के बावजूद अधिशेष में रहा है, वह है भुगतान संतुलन की स्थिति। वर्ष 2021-22 में भारत का निर्यात 16.5 प्रतिशत बढ़ने और उसके महामारी से पहले के स्तर से उच्च-स्तर हासिल करने की संभावना है।³ उक्त अवधि के दौरान भारत के पूंजी बाजारों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। महामारी के कारण उत्पन्न अनिश्चितताओं से निपटने के लिए सरकार ने सभी क्षेत्रों में तत्काल और नियमित उपायों को मिलाकर बहु-आयामी दृष्टिकोण का अनुसरण किया है।

महामारी और उसके कारण लगाए गए लॉकडाउन के कारण जहां एक ओर कृषि और संबद्ध क्षेत्र सबसे कम प्रभावित रहे





(2020–21 और 2021–22 में क्रमशः 3.6 प्रतिशत और 3.9 प्रतिशत का सकल मूल्य वर्धन—जीवीए) वहीं सेवा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित रहा (2020–21 और 2021–22 में क्रमशः –8.4 प्रतिशत और 8.2 प्रतिशत का जीवीए)¹। उद्योग के सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) के वर्ष 2020–21 की 7 प्रतिशत गिरावट से उबरने और वर्ष 2021–22 में 11.8 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है। वर्ष 2011–12 से 2019–20 तक, उद्योग का जीवीए 4.53 प्रतिशत की दर से बढ़ा था।¹ आर्थिक सर्वेक्षण 2021–22 के अनुसार, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अधिकांश संघटकों ने महामारी से पहले का स्तर बहाल कर लिया है।¹ औद्योगिक क्षेत्र को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए केंद्रीय बजट 2022–23 में अनेक घोषणाएं की गई हैं। नीचे दिए अनुच्छेदों में बजट 2022–23 में, विशेष रूप से औद्योगिक विकास के संबंध में, की गई कुछ महत्वपूर्ण घोषणाओं की समीक्षा की गई है।

बजट 2022–23 का अवलोकन

एक फरवरी, 2022 को प्रस्तुत बजट 2022–23² में सरकार ने दीर्घकालिक विज्ञान की आधारशिला रखी है। बाधित आपूर्ति शृंखलाओं, घटती मांग और बढ़ती बेरोजगारी से उचित रूप से निपटने के लिए वर्ष 2020–21 और 2021–22 के दौरान शुरू की गई पुनःस्थापन की घोषणाओं और गतिविधियों को जारी रखते हुए बजट में कमजोर क्षेत्रों को सहायता प्रदान करना जारी रखने का उचित दृष्टिकोण अपनाया गया है।

एमएसएमई

वर्ष 2020 में घोषित किए गए 'आत्मनिर्भर भारत' पैकेज में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए प्रबल घोषणाएं की गई थी।³ इनमें एमएसएमई की परिभाषा में संशोधन; उद्यम पोर्टल के माध्यम से सुगमतापूर्वक एमएसएमई के पंजीकरण की सुविधा; आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना; स्ट्रेस्ड एसेट्स वाले एमएसएमई के लिए विशेष योजना; इक्विटी इन्फ्यूजन के लिए योजना; और 200 करोड़ रुपये तक की वैश्विक निविदाओं को अस्वीकार करना शामिल है। इनकी घोषणा के बाद से, इनमें से कुछ योजनाओं का विस्तार किया गया है और समय-समय पर उनकी प्रयोजनीयता को बढ़ाया गया है। बजट में आत्मनिर्भर भारत के कम से कम दो संघटकों अर्थात् उद्यम और ईसीएलजीएस की प्रभावशीलता को मजबूत करने का प्रस्ताव किया गया है।

अध्ययनों से इंगित होता है कि लॉकडाउन के दौरान, शेष अर्थव्यवस्था की तरह ही एमएसएमई भी बंद रहे।³ यह भी देखा गया कि महामारी की पहली और दूसरी लहर के दौरान एमएसएमई ने 'उद्यम' नामक नए पंजीकरण पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करना जारी रखा। इस पोर्टल को महामारी की पहली लहर के दौरान 1 जुलाई, 2020 को शुरू किया गया था, ताकि एमएसएमई की पंजीकरण की प्रक्रिया को एमएसएमई की नई परिभाषा के अनुरूप बनाया जा सके, जिसे सरकार ने 26 जून, 2020 को अपनाया था। नई परिभाषा संयंत्र और मशीनरी में निवेश और इकाइयों के कारोबार पर विचार करती है, ताकि उन्हें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में वर्गीकृत किया जा सके, जबकि पिछली परिभाषा केवल निवेश के मानदंड पर आधारित थी। इसके अलावा, विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकरण के लिए निवेश के स्तरों की उच्चतम सीमा को संशोधित कर उच्चतर किया गया है। परिणामस्वरूप, इकाइयां अब अधिक निवेश करने पर अपने एमएसएमई के दर्जे को खो देने के प्रति आशंकित नहीं हैं। उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र एमएसएमई को एमएसएमई मंत्रालय की योजनाओं और बैंकों के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) का लाभ उठाने में मदद करता है।

तालिका-1 : ईसीएलजीएस

मापदंड	2020–21	2021–22 (19 नवम्बर, 2021 तक)
एमएसएमई सहित जारी की गई प्रतिभूतियों की संख्या	95,36,825	20,62,038
जारी की गई प्रतिभूतियों की मात्रा (करोड़ रुपये में)	2,33,980.22	31,412.07

स्रोत : राज्यसभा तारांकित प्रश्न संख्या— 153 उत्तर दिया गया— 13 दिसम्बर, 2021


बजट में 'उद्यम' पोर्टल को निम्नलिखित के साथ जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है:

- (i) राष्ट्रीय कैरियर सेवा, जो नागरिकों को रोजगार और करियर से संबंधित सेवाओं की एक विस्तृत शृंखला प्रदान करने से संबंधित वन-स्टॉप समाधान है;
- (ii) ई-श्रम, जो आधार से जुड़े असंगठित श्रमिकों का केंद्रीकृत डाटाबेस है;
- (iii) कृत्रिम आसूचना पर आधारित असीम (आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी-नियोक्ता मानचित्रण) पोर्टल, जो टिकाऊ आजीविका के अवसर तलाशने में मदद करता है।

यह प्रस्तावित इंटरलिंगिंग डिजिटल मोड के जरिए सूक्ष्म-स्तरीय सर्व-समावेशी कल्याण पर ध्यान केंद्रित करती है। इस साझा मंच की परिकल्पना एमएसएमई के लिए पंजीकरण सुविधाओं के अलावा, रोजगार की संभावनाओं के लिंक, ऋण सुलभता और सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों की पेशकश करने के लिए की गई है। इसके अलावा, बजट में अगले पांच वर्षों में 6,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वर्धन एवं त्वरण एमएसएमई प्रदर्शन (आरएएमपी) कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित कार्यक्रम का उद्देश्य महामारी के कारण प्रस्तुत चुनौतियों से निपटने के लिए एमएसएमई को पुख्ता रूप से तैयार करना है।

महामारी के कारण एमएसएमई के लिए ऋण की उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य शायद सबसे महत्वपूर्ण समस्या रही है। इस समस्या का समाधान करने के लिए बजट में न केवल ईसीएलजीएस के दायरे को बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपये किया गया है, बल्कि इसकी प्रयोजनीयता भी 31 मार्च, 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2023 कर दी गई है। ईसीएलजीएस का विवरण तालिका-1 में दिया गया है। 5 लाख करोड़ रुपये के कवरेज में से 50,000 करोड़ रुपये विशेष रूप से आतिथ्य और संबंधित उद्यमों के लिए निर्धारित किए गए हैं जो सबसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित क्षेत्रों में से एक रहे हैं। बजट की एक अन्य घोषणा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी ट्रस्ट - (सीजीटीएमएसई) के लिए 2 लाख करोड़ रुपये तक की ऋण वृद्धि है। इससे ऋण खातों और रोजगार के अवसरों की संख्या में वृद्धि होगी।

वर्ष 2021-22 में आयातों के 29.4 प्रतिशत की दर से बढ़ने और महामारी से पहले के स्तर को पार कर जाने की संभावना है।¹ एमएसएमई को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ पहुंचाने के लिए, बजट में छातों पर शुल्क 20 प्रतिशत तक बढ़ाते हुए छाते जैसे कुछ उत्पादों के आयात को और अधिक महंगा बनाने का प्रस्ताव किया गया है। छातों तथा कृषि क्षेत्र के लिए उपकरणों और औजारों के कुछ हिस्सों पर छूट या तो वापस ले ली गई है या इसे युक्तिसंगत बनाया गया है। स्टील स्क्रैप को दी जाने वाली सीमा शुल्क छूट एक साल के लिए बढ़ा दी गई है। स्टेनलेस स्टील और कोटेड स्टील प्लैट उत्पादों, एलॉय स्टील और हाई स्पीड स्टील की बार पर एंटी-डंपिंग और काउंटरवेलिंग ड्यूटी इस बात पर विचार करते



हुए हटा दी गई है कि इनकी कीमतें पहले से ही बहुत अधिक हैं। निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में हस्तशिल्प, वस्त्र और चमड़े के वस्त्र, चमड़े के जूते और अन्य सामानों के वास्तविक निर्यातकों को सजावट, ट्रिमिंग्स, फास्टनर्स, बटन, जिपर्स, लाइनिंग मेटिरियल्स, स्पेसिफाइड लेदर, फर्नीचर फिटिंग्स और पैकेजिंग बॉक्स पर छूट प्रदान करने का प्रस्ताव है। तालिका-2 वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए एमएसएमई मंत्रालय के बजट की तुलना प्रस्तुत करती है।

तालिका-2 : एमएसएमई मंत्रालय का बजट (करोड़ रुपये में)

संशोधित अनुमान 2021-22			बजट अनुमान 2022-23		
राजस्व	पूंजी	कुल	राजस्व	पूंजी	कुल
15,335.45	364.20	15,699.65	20,916.00	506.00	21,422.00

स्रोत : बजट 2022-23

• **कौशल विकास**

भारत के पास मौजूद जनसांख्यिकीय लाभ का फायदा उठाने के लिए कौशल विकास आवश्यक है। हालांकि, ग्रामीण-शहरी के बीच अंतर शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों के पुरुषों और महिलाओं में औपचारिक प्रशिक्षण की कमी से स्पष्ट हो जाता है। राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे को संरक्षित करने, कौशल और आजीविका के लिए डिजिटल व्यवस्था का शुभारंभ और 'ड्रोन शक्ति' संबंधी बजट घोषणाएं उद्योग की जरूरतों के अनुरूप हैं।



भारत@75
अमृत काल का बजट

my
GOV
मेरे सरकार

60 लाख नई नौकरी सृजित करने की क्षमता वाले 14 क्षेत्रों में उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को उत्साहवर्द्धक प्रतिक्रिया मिली

• अवसंरचना

निवेश से सार्थक और लक्षित लाभ प्राप्त करने के लिए एक मजबूत बुनियादी ढांचे की आवश्यकता को बजट में स्वीकार किया गया है और यह 'गतिशक्ति' की घोषणा से जाहिर होता है जिसमें देशभर में व्यापक विस्तारित राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्गों और लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा पारेषण, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, व्यापक जल एवं सीवरेज और सामाजिक अवसंरचना संबंधी रोडमैप का प्रस्ताव किया गया है। वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य ढांचागत परियोजनाओं के लिए बजट में बहुपक्षीय एजेंसियों की सहायता सहित सार्वजनिक और निजी पूंजी तथा पीपीपी मोड पर जोर दिया गया है। गतिशीलता, दक्षता, रोजगार सृजन, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों को अधिक उत्पादक बनाने और शहरी-ग्रामीण भेद को कम करने के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, जहां तक दूरसंचार क्षेत्र का संबंध है, ग्राहकों में से 45 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों और 55 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में हैं। निःसंदेह, इस शहरी-ग्रामीण भेद में कमी आ रही है।

उत्पादकता आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना 2020 में उदीयमान और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने, घरेलू स्तर पर निर्मित वस्तुओं की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता को बेहतर बनाने, घरेलू क्षमता और लागत लाभ में वृद्धि करने तथा निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। पीएलआई

के दायरे में 14 क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें नवीनतम शामिल किया जाने वाला क्षेत्र ड्रोन और ड्रोन संघटकों का है। पीएलआई योजना की सफलता के आधार पर पीएलआई योजना के एक भाग के रूप में इस वर्ष के बजट में 5जी के लिए मजबूत व्यवस्था बनाने हेतु डिज़ाइन आधारित विनिर्माण की योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। निर्यात को बढ़ावा देने तथा मौजूदा और नए औद्योगिक क्षेत्र को शामिल करते हुए उपलब्ध बुनियादी ढांचे का बेहतर उपयोग करने के दोहरे उद्देश्यों के साथ बजट में विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम के स्थान पर नया कानून लाने का प्रस्ताव किया गया है।

महामारी के कारण यथोचित डिजिटल बैंकिंग की आवश्यकता पहले से कहीं ज्यादा महसूस की गई। तदनुसार, बजट में 2022 में शत-प्रतिशत यानी 1.5 लाख डाकघरों को कोर बैंकिंग प्रणाली के अंग के रूप में कवर किए जाने और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिटों की स्थापना करने की घोषणा की गई है। इसमें भुगतान प्लेटफार्मों के उपयोग पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का भी प्रस्ताव किया गया है। सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के तहत वार्षिक संग्रह का पांच प्रतिशत ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में किफायती ब्रॉडबैंड और मोबाइल सेवा प्रसार को सक्षम करने के लिए आवंटित किया गया है। इसके अलावा, भारतनेट के तहत पीपीपी के माध्यम से 2025 तक सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जाने की संभावना है।



केंद्रीय बजट
2022-23

की मुख्य बातें

'ड्रोन शक्ति'
की सुविधा और
ड्रोन-एज-ए-सर्विस
(DrAAS)

के लिए स्टार्टअप को
बढ़ावा दिया जाएगा

#startupindia

my
GOV
मेरे सरकार



• **कारोबारी सुगमता**

पिछले कुछ वर्षों से सरकार कारोबारों के फलने-फूलने के लिए सक्षम वातावरण बनाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। इसके परिणामस्वरूप 25 हजार से अधिक अनुपालनों को कम कर दिया गया है और 1486 संघीय कानूनों को भंग कर दिया गया है। इसी क्रम में, बजट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है, जहां राज्यों को भी मौजूदा प्रणाली में शामिल और एकीकृत किया जाएगा। ईज ऑफ लिविंग की भी शुरुआत की जाएगी। व्यवसायों को सुविधाजनक बनाने और नागरिकों की मदद करने के लिए परिवेश पोर्टल के विस्तार, ई-पासपोर्ट जारी करने, विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या और 'वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन' सॉफ्टवेयर अपनाने के प्रस्ताव डिजिटल साधन अपनाने की दिशा में उठाए गए कदमों में शुमार हैं। कुशल दिवाला समाधान सुनिश्चित करने के लिए बजट में दिवाला और दिवालियापन संहिता में संशोधन का प्रस्ताव करने के अलावा, कंपनियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए त्वरित कॉर्पोरेट निकास प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की परिकल्पना की गई है।

1. वित्त मंत्रालय (2022) 'आर्थिक सर्वेक्षण, 2021-22'
 2. वित्त मंत्रालय (2022) 'केंद्रीय बजट 2022-23'
 3. लोकसभा (2022) तारांकित प्रश्न संख्या 32, 3 फरवरी, 2022 को उत्तर दिया

कर रियायतों के संदर्भ में स्टार्टअप्स को निगमीकरण से दस वर्षों में से तीन क्रमिक वर्षों के लिए कर प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र स्टार्टअप्स के निगमीकरण की अवधि 31 मार्च, 2022 के स्थान पर बढ़ाकर 31 मार्च, 2023 करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसी तरह नव-निगमित घरेलू विनिर्माण कंपनियों के लिए 15 प्रतिशत रियायती कर व्यवस्था प्राप्त करने के लिए विनिर्माण या उत्पादन के आरंभ करने की अंतिम तिथि एक वर्ष यानी 31 मार्च, 2023 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2024 कर दी गई है। बजट में किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण पर होने वाली किसी भी आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर का प्रस्ताव किया गया है।

• **निवेश**

आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 इंगित करता है कि सकल स्थायी पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) वर्ष 2021-22 में 15 प्रतिशत की दर से बढ़ेगा और महामारी से पहले के स्तर तक पहुंच जाएगा।¹ सभी बजट प्रस्तावों को प्रभावी बनाने और अर्थव्यवस्था को उच्चतर पथ की दिशा में अग्रसर करने के लिए, सार्वजनिक और निजी, दोनों प्रकार के निवेशों की आवश्यकता है। वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय को बढ़ाया गया है (तालिका-3)। राज्यों को और ज़्यादा मज़बूती प्रदान करने के लिए 'राज्यों को वित्तीय सहायता के लिए पूंजी निवेश योजना' के परिव्यय को वर्ष 2021-22 में 10,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2022-23 में 15,000 करोड़ रुपये कर दिया है।

तालिका-3 : व्यय

वर्ष	पूंजीगत व्यय (करोड़ रुपये में)
2021-22	5.54
2022-23	7.50

स्रोत : केंद्रीय बजट, 2022-23

सारांश

संक्षेप में, बजट में समावेशी विकास, आर्थिक सुधार और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें की गई घोषणाओं में उद्योग की निवेश, अवसंरचना, एमएसएमई व्यवस्था में नई जान डालना; और नौकरियों के सृजन से संबंधित बजट-पूर्व अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रस्ताव है। आधुनिक समय को ध्यान में रखते हुए बजट में कई दूरदर्शी घोषणाएं की गई हैं, जो अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने सहित डिजिटल अर्थव्यवस्था को एकीकृत करने और मज़बूती प्रदान करने पर आधारित हैं।

(लेखिका भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारी हैं। वर्तमान में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) में अपर विकास आयुक्त हैं। लेख में व्यक्त विचार उनके निजी हैं।)

ई-मेल : igtripathy@gmail.com

ग्रामीण अवसंरचना विकास

—अरविंद कुमार सिंह

कोरोना की तीसरी लहर की आशंका और कई चुनौतियों के बीच 1 फरवरी को संसद में प्रस्तुत भारत सरकार के 2022-23 के आम बजट में ग्रामीण अवसंरचना विकास के लिए संसाधनों का जैसा आवंटन किया गया है, वह पहले से चली आ रही योजनाओं को गतिशील बनाने के साथ नई संभावनाएं जगाता है। बीते दो सालों में दुनिया के तमाम देशों की तरह भारत पर भी कोरोना संकट की मार करीब हर क्षेत्र पर पड़ी। लेकिन शहरों की तुलना में ग्रामीण भारत की आर्थिक गतिविधियों पर फर्क नहीं पड़ा। कृषि क्षेत्र ने खाद्य सुरक्षा के साथ तमाम मोर्चों पर देश को ताकत दी। बहुत-सी योजनाओं जैसे मनरेगा से लेकर भारत नेट और ग्रामीण सड़कों के निर्माण की गति बनी रही।

वर्ष 2022-23 के बजट में ग्रामीण विकास मद में 2,06,293 करोड़ रुपये और कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए 1,51,521 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण भारत का विकास करने वाली कई दूसरी योजनाओं को भी खास तवज्जो दी गई है जो अन्य मंत्रालयों से संबंधित हैं। संसद में बजट पर चर्चा के दौरान कई सांसदों ने ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए और अधिक धन आवंटन की मांग की। वहीं सरकार ने इसका सकारात्मक जवाब दिया कि इसके लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने संसद में अपने अभिभाषण में कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों, संसाधनों और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से देश की उन संभावनाओं को उड़ान मिल रही है जो दशकों से उपेक्षित पड़ी हुई थी।

जब हम ग्रामीण अवसंरचना पर चर्चा करते हैं तो ज़मीनी हकीकत को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। आज़ादी मिली तो हमारा ग्रामीण बुनियादी ढांचा बेहद कमज़ोर था। सड़कों की बात हो या फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति और दूसरी अनिवार्य सेवाओं और सुविधाओं की, सब में यह क्षेत्र कमज़ोर रहा। इसी नाते डॉक्टर और अच्छे शिक्षक भी ग्रामीण इलाकों में जाने से कतराते थे। तमाम सुविधाओं के विकास में भी कमज़ोर ढांचा आड़े हाथ आया। सरकारी प्राथमिकताएं भी अलग-अलग दौर में बदलती रहीं। इस नाते आवास, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी तथा सड़कों से लेकर कई क्षेत्रों को अधिक संसाधन नहीं दिए जा सके। कई क्षेत्रों में व्यापक असंतुलन बना और गांव और शहर के बीच की खाई बढी।

लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में इस बात का खास उल्लेख किया गया कि सभ्य जीवन जीने के लिए आवास, पानी, स्वच्छता, बिजली, खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन जैसी बुनियादी ज़रूरतों तक पहुंच में पहले की तुलना में अच्छी प्रगति रही। इससे गांव और शहर का अंतर घटा, ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता सुधरी और रोजगार के नए अवसर पैदा हुए।

फिर भी हमारा विशाल राष्ट्र है, जहां अवसंरचना विकास की राह में भौगोलिक जटिलताएं और जलवायु की स्थितियां भी आती हैं। देश की करीब 70 फीसदी आबादी और श्रमशक्ति का निवास गांवों में ही है। भारत के पास दुनिया का 2.4 प्रतिशत क्षेत्र और

4 प्रतिशत जल संसाधन हैं जबकि दुनिया की करीब 17 प्रतिशत आबादी और 15 प्रतिशत पशुधन का भार भी इस देश पर है। गांवों में आबादी के बढ़ने के साथ ज़मीनों पर बढ़ता दबाव खेती पर निर्भर 58 प्रतिशत से ज़्यादा आबादी के जीवनयापन पर असर डाल रहा है। लेकिन तमाम चुनौतियों के बाद भी हमारे किसानों और श्रमिकों ने मिल कर दूध, घी, दालों, अदरक, केला, अमरुद, पपीता और आमों के उत्पादन में भारत को दुनिया में पहले नंबर पर ला दिया है। धान, गेहूं और कई फल-सब्जियों के मामले में हम दूसरे नंबर पर हैं।





पीएम गतिशक्ति



विश्वस्तरीय आधुनिक बुनियादी ढांचे के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान



- वर्ष 2022-23 में 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरा करना
- यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म
- ओपन सोर्स मोबिलिटी स्टैक



- डाक एवं रेल नेटवर्क का एकीकरण
- एक स्टेशन एक उत्पाद
- 400 नई पीढ़ी के वंदे भारत ट्रेन



- शहरी परिवहन एवं रेलवे स्टेशनों के बीच मल्टीमोडल नेवटीविटी
- राष्ट्रीय रोपवेज विकास योजना
- बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए क्षमता निर्माण

[@PIB_India](#)
[@PIBHindi](#)
[@pibindia](#)
[@pibindia](#)
[PIBIndia](#)
[@PIB_India](#)
[@PIBHindi](#)



कृषि उत्पादन प्राकृतिक संसाधनों यानी भूमि, जल और जैव विविधता पर निर्भर करता है। भारत को प्रकृति ने दुनिया की करीब सभी तरह की जलवायु, सूर्य के प्रकाश की लंबी अवधि और अच्छी बारिश का सुयोग दिया है। हमारी कुल भूमि का 52 प्रतिशत खेती लायक है जबकि विश्व का औसत 11 प्रतिशत है। दुनिया की मिट्टी की 60 में से भारत के पास 46 किस्में हैं। भारत असिंचित भूमि के मामले में विश्व में दसवें नंबर और सिंचित भूमि में पांचवें नंबर पर है। हमारे पास विशाल पशुधन और विस्तृत समुद्री क्षेत्र भी है। फिर भी हमारी फसलों की उत्पादकता कम है। हमारे घरेलू परिवहन की ऊंची लागत होने के कारण निर्यात अप्रतिस्पर्धी हो जाता है। अनेक कृषि उत्पादों की घरेलू कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से अधिक हो जाती हैं। उचित सुविधाओं के अभाव में फसल कटाई के बाद करीब 92,651 करोड़ रुपये के कृषि उत्पादों की बर्बादी हो रही है।

कृषि जनगणना 2015-16 के मुताबिक देश में लघु एवं सीमांत किसानों की संख्या 12.56 करोड़ है। इसमें भी 35 प्रतिशत किसानों के पास 0.4 हेक्टेयर से कम और 69 प्रतिशत के पास एक हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है। कृषि सबसे जोखिम भरा व्यवसाय है क्योंकि किसानों की बड़ी संख्या मौसम पर निर्भर है। ऊपर से जलवायु परिवर्तन बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहा है। हर साल मानसून के पैटर्न में बदलाव आ रहा है। बाढ़ों की विकरालता और प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं।

ग्रामीण इलाकों की बढ़ती ज़रूरत ही हमें अपनी करीब 134 करोड़ की आबादी और 51.2 करोड़ से अधिक पशुधन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अनाज और चारा चाहिए, जिसकी पूर्ति हो रही है। लेकिन हमारी पैदावार अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना में अभी भी कम है और प्रमुख फसलों की औसत पैदावार में बढ़ोत्तरी की व्यापक संभावनाएं हैं।

चाहे कृषि उपज बढ़ाना हो या किसानों को फसलों का वाजिब दाम दिलाना, या फिर ग्रामोद्योगों और कुटीर उद्योगों को नया जीवन, इसमें ग्रामीण अवसंरचना विकास की अपनी अहमियत है। ग्रामीण आधारभूत ढांचे में ग्रामीण सड़कें और पुल, सिंचाई परियोजनाएं, जलापूर्ति, स्वच्छता, ग्रामीण ऊर्जा, ग्रामीण बाज़ार शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे कई तत्व शामिल हैं। इन क्षेत्रों में निवेश होने पर रोज़गार का अतिरिक्त अवसर उपलब्ध होता है।

भारत में गांवों की संख्या 6 लाख 62,336 है जो 2,57,816 ग्राम पंचायतों और ग्रामीण स्थानीय निकायों के तहत आते हैं। पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या कुल 31.88 लाख है। काफी संख्या में प्रतिनिधि महिलाएं, अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी से संबंधित हैं। देश के कुल कार्यबल में 54.6 प्रतिशत कामगार कृषि और सहायक क्षेत्रों से संबंधित हैं जो गांवों में काम करते हैं। ग्रामीण भारत का आधार खेतीबाड़ी, पशुपालन, मछलीपालन, वानिकी, छोटे और मध्यम उद्यम और

ग्रामोद्योग आदि हैं।

बीते दशकों से ग्रामीण विकास मंत्रालय ही नहीं अन्य मंत्रालयों ने भी ग्रामीण सेक्टर की स्कीमों में मदद कर तस्वीर बदलने में अहम भूमिका निभायी है। इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, सौभाग्य-ग्रामीण, मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, डिजिटल इंडिया जैसी योजनाएं काफी खास हैं। अन्य योजनाओं में भूमि सुधार, बंजर भूमि का विकास और रोज़गार सृजन को प्राथमिकता दी गई। लेकिन हाल के वर्षों में अवसंरचना से संबंधित ग्रामीण स्कीमों को गति मिलने से ग्रामीणों का सशक्तीकरण हुआ है और गांवों की दुनिया बदल रही है।

फरवरी 2018 में सौ फीसदी ग्रामीण विद्युतीकरण के बाद गांवों के कायाकल्प में खास मदद मिल रही है। इससे खेती की लागत कम करने से लेकर ग्रामोद्योगों को नई ताकत मिली है। ग्रामीण जीवन के हर क्षेत्र और खासतौर पर संचार सुविधाओं के विकास में बिजली बेहद कारगर साबित हो रही है। जो बिजली पहले शहरी इलाकों की ज़रूरत मानी जाती थी, वह ग्रामीण अर्थतंत्र को मज़बूत बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। सिंचाई, मड़ाई, ओसाई, चारा काटने, पशुपालन, मुर्गीपालन और कई दूसरे क्षेत्रों में बिजली बेहद कारगर साबित हो रही है। खेती पर आधारित तेलघानी, चावल मिल, दाल मिल और आटा चक्की भी बिजली पर निर्भर हैं। पंपसेट तो हर गांव की ज़रूरत बने हुए हैं और सिंचाई के सबसे अहम काम में आ रहे हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बदलती सड़कों की तस्वीर

ग्रामीण भारत के कायाकल्प में सड़कों का तेज गति से विकास बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की उपलब्धियां गर्व करने लायक हैं। वर्ष 2020-21 में ग्रामीण इलाकों में 100 किमी. प्रतिदिन की रफ्तार से 36 हजार 500 किमी. सड़कें बनाई गई हैं। हजारों बसावटों को सभी मौसम लायक सड़क संपर्कता से जोड़ा गया है। वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आम बजट में इस योजना के लिए 2022-23 में पिछले साल के संशोधित अनुमान से 36 प्रतिशत राशि बढ़ा कर 19,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके तहत 1900 करोड़ की राशि पूर्वोत्तर क्षेत्र पर व्यय होगी, जबकि एक हजार करोड़ रुपये की राशि नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण पर खर्च की जाएगी।



ग्रामीण भारत के लिए सबसे मददगार रही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अब तक 7,82,844 किमी. लंबी 1,82,506 ग्रामीण सड़कों और 9,456 पुलों को मंजूरी दी गई। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में कहा गया है कि जनवरी, 2022 तक इन मंजूर सड़कों में से 6,84,994 किमी. लंबी और कुल 1,66,798 सड़कें बनाई जा चुकी हैं। विश्व बैंक ने 2019 में ग्रामीण सड़कों पर अपने मूल्यांकन में पाया कि इसने मानवीय पूंजी निर्माण से लेकर बच्चों की शिक्षा तक के क्षेत्र में सकारात्मक योगदान दिया।

इस बार बजट में पीएम गतिशक्ति पर भी खास जोर है जिसे 'परिवर्तनकारी' कहा गया है। इस अभियान में जिस समन्वित परिवहन की परिकल्पना की गई है, उसमें ग्रामीण सड़कें भी काफी अहम माध्यम बनने जा रही हैं। देश में आर्थिक विकास की गति तेज होने के साथ रेलवे और सड़कों पर भारी बोझ है। इस नाते सरकार ने जलमार्गों के विकास पर भी ध्यान दिया है। ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में कृषि उत्पादों की तेज गति से आवाजाही के लिए अच्छी सड़कें चाहिए। सरकार ने पहले ही 22 हजार ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि बाजार के रूप में विकसित करने का फैसला किया है। हाटों और मंडियों तक मजबूत नेटवर्क के बिना सलीके से कृषि उपज की आवाजाही सुनिश्चित नहीं हो सकती है। इन सारे पक्षों को 2019 में समाहित करते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण की मंजूरी दी गई थी और 80.250 करोड़ रुपये की लागत से करीब 1.25 लाख किमी. सड़कें बनाने का काम हाथ में लिया गया।

इस योजना के पहले चरण में 97 प्रतिशत गांव सड़कों से जोड़े जा चुके हैं। इसके तहत 1.66 लाख गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ा गया है। तीसरा चरण 2024-25 तक साकार हो जाएगा तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई ताकत मिलेगी चूंकि

तीसरे चरण में ग्रामीण कृषि बाजारों, विद्यालयों तथा अस्पतालों से जोड़ने वाली प्रमुख ग्रामीण संपर्क सड़कें शामिल हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दूसरे चरण का लक्ष्य चयनित ग्रामीण सड़कों का उन्नयन था। इस योजना ने दूरदराज और बिखरे हुए ग्रामीण इलाकों को संपर्कता के साथ नई ताकत दी।

इस योजना की खूबी यह रही कि इसमें राजस्व ग्राम की जगह बसावट को इकाई माना गया। मैदानी इलाकों में 500 या इससे अधिक आबादी और पहाड़ी इलाकों में 250 या उससे अधिक आबादी की बसावटें इसके दायरे में शामिल की गईं जबकि नक्सल-प्रभावित इलाकों में 100 या उससे अधिक आबादी को भी योजना में रखा गया। दो चरणों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने ग्रामीण जीवन में व्यापक सुधार किया है। वर्ष 2010 से 2014 के दौरान 1.33 लाख किमी. ग्रामीण सड़कें बनी थीं, जबकि 2014 से 2018 के दौरान 1.69 लाख किमी. से अधिक सड़कें बनीं। वर्ष 2003-04 से 2013-14 के दौरान रोज़ 91 किमी. सड़कें बनीं वहीं अब यह 100 किमी. पार कर गई हैं।

हालांकि संपर्कविहीन बसावटों को बारहमासी सड़कों के साथ जोड़ने के इरादे से 25 दिसंबर, 2000 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में इस योजना को आरंभ किया गया था। इसके तहत सड़कें बनाने का जिम्मा राज्यों पर है लेकिन निगरानी और दिशानिर्देश भारत सरकार तय करती है। सड़कों के रखरखाव में भी केंद्र सरकार मदद देती है। पहले कमजोर ग्रामीण सड़क नेटवर्क के नाते बहुत-सी परेशानियां आती थीं। लेकिन इस योजना ने दुर्गम इलाकों तक पहुंच बना कर गांवों में रोज़गार का नया अवसर सुलभ कराया जिसके कारण शहरों की तरफ पलायन रोकने में भी मदद मिली और कई इलाकों में समृद्धि के राजमार्ग के रूप में ये उभरीं।


सूचना और संचार क्रांति से बदलते गांव

ग्रामीण भारत में तेज बदलावों में सूचना और संचार क्रांति की ताकत को नजरंदाज नहीं किया जा सकता है। आज देश के हर इलाके में इसके असर को देखा-समझा जा सकता है। 134 करोड़ से अधिक आबादी वाला भारत दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे मजबूत दूरसंचार बाजार बन चुका है। दुनिया में भारत सबसे सस्ता मोबाइल टैरिफ वाला देश है और पिछले पांच वर्षों के दौरान मोबाइल डाटा के मासिक उपयोग में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। गांवों में संचार क्रांति के चलते खेतीबाड़ी से जुड़ी सूचनाएं हासिल करना, मंडी में उत्पाद भेजना, बेहतर तकनीक हासिल करना, ई-कामर्स, ई-शिक्षा और ई-स्वास्थ्य तक पहुंचना आसान हुआ है। इसका असर भविष्य में गांवों में कुम्हार, बुनकर, बढ़ई, कारीगर जैसे पेशेवरों के लिए नई संभावनाएं पैदा करेगा।

कोरोना संकट के बीच सूचना और संचार क्रांति ने अपनी ताकत दिखा दी है। देश की सभी ढाई लाख गांव पंचायतों में ब्राडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए भारत नेट परियोजना चरणबद्ध तरीके से चल रही है। डिजिटल संचार को सरकार ने राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे का अहम हिस्सा बना दिया है। आम बजट 2022-23 में घोषणा की गई है कि दूरदराज के क्षेत्रों सहित सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए पीपीपी के माध्यम से भारत नेट परियोजना के लिए ठेके दिए जाएंगे। इसको 2025 तक साकार करने की योजना है। ऑप्टिकल फाइबर के बेहतर और अधिक प्रभावी उपयोग को समर्थ बनाने के उपाय भी किए जाएंगे।

हमारे ग्रामीण भारत में इंटरनेट तक पहुंच मुख्यतया मोबाइल बेतार प्रौद्योगिकी के माध्यम से हो रही है। इनकी बदौलत ग्रामीण क्षेत्रों में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी नयी क्रांति ला रही है। ट्राई के आंकड़ों के मुताबिक 31 मार्च, 2021 तक भारत में 82.53 करोड़ इंटरनेट ग्राहकों में से 32.27 करोड़ ग्रामीण इलाकों में थे जबकि शहरी इलाकों में 50.25 करोड़ ग्राहक। कुल 1.57 लाख गांव पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट और ब्राडबैंड ढांचे से जोड़ा जा चुका है और 5.25 लाख किमी. से अधिक ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है। देश में इंटरनेट सेवा मोबाइल वायरलैस 3जी और 4जी प्रौद्योगिकी और फिक्सड वायरलैस ब्राडबैंड के माध्यम से दी जा रही है, जिसका उपयोग देश की 95 फीसदी से अधिक आबादी कर रही है। अब 5जी ने भी इस साल से दस्तक दे दी है। डाटा और प्रौद्योगिकी संचालित दुनिया के वेब से मोबाइल संचार और सोशल मीडिया लोगों को आपस में जोड़ रहा है। आज भारत 49 करोड़ से अधिक स्मार्ट फोनों के साथ सबसे तेजी से बढ़ते डाटा वाला राष्ट्र बन गया है। किसी देश में ब्राडबैंड की पहुंच में 10 फीसदी वृद्धि होने पर जीडीपी में करीब एक फीसदी की वृद्धि होती है।

ग्रामीण भारत में आज सूचना और संचार क्रांति नया इतिहास रच रही है। देश में 118 करोड़ से अधिक मोबाइल फोन हैं, जिनकी पहुंच करीब हर इलाके तक हो गई है। यहां तक कि 50 फीसदी से अधिक जनजातीय आबादी वाले 93 जिलों की 96 फीसदी आबादी



को भी दूरसंचार कनेक्टिविटी उपलब्ध है। बाकी बचे कुछ बेहद कठिन और दुर्गम भूभाग वाले गांवों को भी जोड़ने का काम चल रहा है। ग्रामीण इलाकों में बिजली की विश्वसनीय उपलब्धता और इंटरनेट की सुविधा से कृषि उत्पादों को नया बाजार मिल रहा है। सरकार को इसी कारण ई-कृषि मंडी और ई-पंचायत जैसी नई योजनाएं लागू करने में मदद मिली है।

सूचना और संचार क्रांति का ग्रामीण समाज पर काफी असर दिख रहा है। मोबाइल-जनधन और आधार के समीकरण से 44 करोड़ से अधिक उन लोगों का बैंकिंग प्रणाली के साथ जुड़ाव हुआ, जो खाता खुलवाने में भी सक्षम नहीं थे। इससे उनके खातों में कैश ट्रांसफर सुलभ हुआ। दिसंबर 2021 में देश में आठ लाख करोड़ रुपये से अधिक का लेन-देन यूपीआई प्लेटफॉर्म के माध्यम से संभव हुआ। सूचना और संचार क्रांति का आरंभिक लंबे समय तक असली फायदा शहरी इलाकों को हुआ लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है।

आधारभूत ढांचे में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी बहुत ताकतवर क्षेत्र बन गया है। जो देश इसमें पीछे रहे, वे विकास की दौड़ में भी फिसड़ेंगे। भारत ने समय के साथ इसका महत्व समझा और इसमें काफी निवेश किया जिस कारण दुर्गम इलाकों तक लोगों को सेवाएं सुलभ हुईं। 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम को सरकारी स्तर पर सर्वोच्च प्राथमिकता मिलने का सकारात्मक असर कोरोना संकट के दौरान दिखा। इस दौरान शहरी और ग्रामीण भारत के बीच का डिजिटल अंतर भी दूर हुआ।

आर्थिक समीक्षा 2020-21 में इस बात का खुलासा हुआ कि कोविड-19 महामारी के दौरान व्यापक स्तर पर ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा मिला। 2018 में जहां 36.5 प्रतिशत छात्रों के पास ही



स्मार्ट फोन थे, वहीं 2020 में 61.8 प्रतिशत छात्रों के पास स्मार्ट फोन हो गए। कोविड-19 के दौरान राज्यों को डिजिटल माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए 818.17 करोड़ रुपये का आवंटन भी किया गया। इस दौरान स्कूलों के बंद होने के कारण लाखों छात्र कक्षाओं से बाहर हो गए। लेकिन यह सवाल भी उभरा कि कितने लोग डिजिटल तरीके से जीने के लिए तैयार हैं। बुनियादी ढांचे की उपलब्धता, कम्प्यूटर और स्मार्ट फोन जैसे आवश्यक उपकरणों तक पहुंच, इंटरनेट की गति और उपलब्धता के मुद्दे भी उठे। गांवों में भी सवाल उठे कि ऑनलाइन मोड की शिक्षा कितनी और कितने दिन कारगर रहेगी। फिर भी यह काम तो आयी ही, लेकिन यह स्कूल का विकल्प तो नहीं ही बन सकती है।

सूचना और संचार क्रांति की मदद से ग्रामीण डाकघरों की भी शक्ल बदली है। देश के 1.55 लाख डाकघरों में से 1.31 लाख गांवों में हैं, जो बचत बैंक से लेकर मनी ट्रांसफर और आधार बनाने से लेकर ई-कामर्स, कोर बैंकिंग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जैसी सुविधाएं दे रहे हैं। ग्रामीण भारत के साथ इनका पुराना रिश्ता रहा है और विश्वसनीयता भी रही है। ग्रामीणों को भी अब डाकघर बचत बैंक वही सुविधाएं दे रहे हैं जो शहर में रहने वाले उठाते रहे हैं।

इन बदलावों के कारण ही भारतीय डाक ग्रामीण इलाकों की धड़कन बने रहने में सफल रहा है। महत्वाकांक्षी परियोजना इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक भी 2018 में ज़मीन पर उतरी जो संचार और सूचना प्रौद्योगिकी की ताकत के बल पर कोरोना संकट के दौरान काफी मददगार रही। ग्रामीण इलाकों में वित्तीय समावेशन में यह बड़ी ताकत बन कर उभरा। बचत और चालू खातों, मनी ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, बिल और कई सेवाओं को यह दरवाजे तक पहुंचा रहा है। इसके लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म

का उपयोग हो रहा है और काउंटर सेवाएं, मोबाइल बैंकिंग ऐप, एसएमएस और आईवीआर इस सेवा की ताकत है।

ग्रामीण आवास— बेघरों को सम्मान से जीने का हक

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2022-23 में 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए 48 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए। इसके तहत ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में आवास बनेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अब तक की ग्रामीण आवास योजनाओं में सबसे कारगर मानी जा रही है। पहले की योजनाओं की कमजोरियों से सबक लेते हुए नई योजना 20 नवंबर, 2016 को आरंभ की गई थी। इसमें घरों में स्वच्छ जल, गैस, शौचालय और बिजली की आपूर्ति जैसी सुविधाएं शामिल कर और सार्थक बनाया गया। इसमें मनरेगा से 90 से 95 दिन तक अकुशल श्रमिकों की मदद भी लेने का प्रावधान किया गया जबकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से तालमेल बना कर एलपीजी कनेक्शन और सौभाग्य योजना से तालमेल कर बिजली कनेक्शन की व्यवस्था भी समाहित की गई। ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम भी इसमें शामिल किया गया है।

बेशक इस योजना से बड़ी संख्या में छोटे किसानों और खेत मजदूरों को लाभ पहुंच रहा है। जितने भी घर बन रहे हैं, सबके लिए पैसा सीधे गरीबों के बैंक खातों में दिया जा रहा है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के मुताबिक इस योजना के तहत 18 जनवरी 2022 तक 2.17 करोड़ घर स्वीकृत हुए, जिसमें से 1.69 करोड़ घर बने हैं। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में अब तक सबसे अधिक 47.3 लाख मकान 2018-19 के दौरान बने। वर्ष 2019-20 में 21.9 लाख, 2020-21 में 35.3 लाख और 2021-22 में 32.9 लाख मकान बने। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की सराहना



हर घर को नल और हर खेत को जल

हर घर नल योजना के लिए 2022-23 के दौरान 60,000 करोड़ रुपये की राशि व्यय होगी। इसमें 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल करने की रणनीति बनाई गई है। सरकार ने अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन आरंभ किया है, जिसके तहत 2024 तक हर ग्रामीण घर को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन मुहैया कराने की महत्वाकांक्षी योजना 'हर घर नल' बनाई गई। इस पर पांच साल की अवधि में 3.60 लाख करोड़ रुपये का व्यय होना है, जिसमें केंद्रीय अंश 2.08 लाख करोड़ रुपये है। योजना के आरंभ के दौरान देश में 17.87 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 14.60 करोड़ ग्रामीण परिवार यानी 81.67 फीसदी के पास घरेलू जल नल कनेक्शन नहीं थे। केवल 3.27 करोड़ यानी महज 18.33 फीसदी के पास जल कनेक्शन या पाइप से जलापूर्ति मिल रही है। सिक्किम, गुजरात, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब और पुडुचेरी जैसे छह राज्य ऐसे थे जहां ग्रामीण घरों को 50 फीसदी से अधिक जलापूर्ति कनेक्शन थे।

2024 तक हर ग्रामीण परिवार को निर्धारित गुणवत्ता के साथ पर्याप्त मात्रा में नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पीने लायक साफ पानी उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ सरकार ने इस दौरान स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों आदि में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था के तहत एक अभियान चला कर देश में 8.44 लाख विद्यालयों और 8.863 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों से नल जल आपूर्ति सुलभ कराया है। 'नल से जल' परियोजना से अभी तक 8.7 करोड़ घरों को कवर किया गया है जिसमें से 5.5 करोड़ घरों को बीते दो सालों में फायदा पहुंचा है।

भारत सरकार ने मई 2019 के दौरान जल शक्ति मंत्रालय का गठन दो मंत्रालयों जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय और पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय का विलय करके किया। इसके बाद कई अहम परियोजनाएं साकार हो रही हैं, लेकिन 'हर घर नल' इसमें सबसे अहम है।



संसद में राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में भी की।

रोज़गार के साथ स्थायी परिसंपत्तियों की चमक

मनरेगा को लेकर संसद में काफी चर्चाएं हुई हैं। कोरोना संकट के दौरान यह गांवों के लिए वरदान बन कर उभरी और रोज़गार के साथ गांवों में टिकाऊ परिसंपत्तियां भी खड़ी की। 2020-21 में मनरेगा का बजट 61,500 करोड़ रुपये रखा गया था लेकिन सरकार ने कोरोना संकट के दौरान रोज़गार की भारी मांग को देखते हुए बजट को रिकॉर्ड 1,11,500 करोड़ रुपये तक पहुंचाया। तब मनरेगा से सबसे अधिक 389 करोड़ से अधिक श्रम दिवसों का सृजन हुआ। मनरेगा के तहत 2021-22 में बजट आवंटन 73,000 करोड़ रुपये था, जबकि अनुमान 98,000 करोड़ रुपये रहा। वित्त मंत्रालय ने मनरेगा के लिए 10,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधियों का आवंटन किया। वर्ष 2022-23 में मनरेगा के लिए 73,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। मनरेगा मांग-आधारित मजदूरी कार्यक्रम है, जिसका मकसद ग्रामीण इलाकों में परिवारों को उस दौरान आजीविका सुरक्षा उपलब्ध करना है, जब बेहतर रोज़गार का कोई अवसर उपलब्ध न हो।

मनरेगा के तहत 262 अनुमेय कामों में से 164 कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित हैं। मनरेगा के तहत अब तक 4.61 करोड़ से अधिक बनी परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग की जा चुकी है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति ने 4 फरवरी, 2022 को संसद में दी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इसके तहत सृजित परिसंपत्तियों का टिकाऊपन बढ़ा मुद्दा रहा है। तालाबों, पंचायत भवनों और सड़कों जैसी टिकाऊ परिसंपत्तियां भी इससे बनती हैं।

मनरेगा को सामान्यतया पहली नज़र में बहुत से लोग रोज़गार

कार्यक्रम ही मानते हैं। लेकिन इससे केवल ग्रामीण श्रमिकों को ही मदद नहीं मिली है बल्कि चुनौतियों से घिरे छोटे और सीमांत किसानों को भी काफी फायदा पहुंचा। इन किसानों की निजी भूमि पर जो काम हुए, उससे उनकी खेती की लागत कम करने के साथ आर्थिक सुरक्षा में मदद मिली।

मनरेगा का कार्यक्षेत्र विस्तृत है। कृषि उत्पादों के लिए सामूहिक भंडारण सुविधाएं, जैविक उर्वरक तैयार करना, ऊबड़-खाबड़ ज़मीनों का उपचार, गरीबों के लिए मकान निर्माण, स्वच्छता अभियान आदि भी इसके दायरे में हैं। पशुपालन और मत्स्यपालन के आधार तैयार करने से लेकर ग्रामीण पेयजल और आंगनवाड़ी केंद्र और खेल के मैदान तक का निर्माण भी इसमें शामिल है। विभिन्न राज्यों में कई ग्रामीण कृषि मंडियों का उन्नयन भी मनरेगा की मदद से हो रहा है। बहुत कुछ इसकी मदद से साकार हो रहा है। हाल के सालों में मनरेगा के तहत आंगनवाड़ी केंद्र, खेत, तालाब, ग्रामीण आवास और कई तरह की सामुदायिक परिसंपत्तियों का सृजन हुआ है। देश के कई हिस्सों में भयावह सूखे में भी सबसे अधिक मददगार मनरेगा रही। इसी नाते विश्व बैंक ने इसे ग्रामीण क्षेत्रों में क्रांति लाने वाला कार्यक्रम माना और इस बात की तारीफ की कि इसने सूखा, बाढ़ और फसल बर्बादी से पैदा होने वाले संकटों में ग्रामीण गरीबों के लिए सुरक्षा जाल दिया।

आम बजट 2022-23 में केन बेटवा लिंक परियोजना के लिए 1,400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। लंबे समय से लटकी इस परियोजना पर कुल 44,605 करोड़ रुपये की लागत आनी है, जिसमें से 39,317 करोड़ रुपये केंद्र वहन करेगा और बाकी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारें। बुंदेलखंड की

केन और बेतवा नदियों को जोड़ने की योजना को सरकार आदर्श परियोजना का रूप देना चाहती है। इस परियोजना से 9.08 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी और 62 लाख लोगों को पेयजल, 103 मेगावॉट जलविद्युत और 27 मेगावॉट सौर ऊर्जा पैदा होगी। सूखाग्रस्त रहने वाले बुंदेलखंड का एक बड़ा हिस्सा हरा-भरा होगा। इसके तहत 221 किमी. लंबी नहर बनेगी। केन बेतवा जोड़ के साथ ही सरकार ने पांच और नदियों को जोड़ने की परियोजनाओं की घोषणा की है।

दमनगंगा-पंजाल, तापी-नर्मदा, गोदावरी-कृष्णा, कृष्णा-पेन्नार और पेन्ना-कावेरी नदियों को जोड़ने वाली परियोजनाओं की रिपोर्ट फाइनल की गई।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16 में आरंभ की गई थी। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में योजना की सराहना करते हुए कहा कि इसके तहत 64 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता विकसित की गई है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में सिंचाई का अत्यंत महत्व है। इसी के बूते हरितक्रांति आई, कृषि पैदावार बढ़ी, उत्पादकता में बढ़ोत्तरी हुई और खाद्यान्न के मामले में देश आत्मनिर्भर हुआ। लेकिन आज भी देश के निचले क्षेत्रों में से 48 प्रतिशत सिंचित और 52 प्रतिशत वर्षा सिंचित हैं। ऐसे राज्यों में कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और तमिलनाडु के अलावा केरल में सूखा या सूखे जैसी परिस्थितियां समय-समय पर देखी जाती हैं। इसी नाते जो योजना बनाई गई, उसके तहत चालू 99 बड़ी और मझोली सिंचाई परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा कर 18 राज्यों के किसानों को फायदा पहुंचाने की रणनीति बनाई गई।

अन्य योजनाएं

इसके साथ कई अन्य योजनाएं भी हैं जो ग्रामीण अवसंरचना विकास में खासी मददगार होंगी। इस बजट में सरकार ने 'वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम' के तहत उत्तरी सीमा पर स्थित गांवों को कवर करने की रणनीति बनाई है। सीमावर्ती गांवों में बुनियादी सुविधाओं, आवास, पर्यटन केंद्रों के निर्माण, सड़क संपर्क, विकेंद्रित नवीकरणीय ऊर्जा जैसी व्यवस्थाओं को जुटाने का काम सरकार करेगी, जिसके लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, 2022-23 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम में उन प्रखंडों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिन्होंने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उचित प्रगति नहीं की है। इन 112 जिलों के 95 प्रतिशत में स्वास्थ्य, पोषण, वित्तीय स्थिति और आधारभूत अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में काफी प्रगति देखने में आयी है। फिर भी कुछ प्रखंड अभी भी पिछड़े हुए हैं, जहां ध्यान दिया जाएगा।

श्यामाप्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन के लिए 550 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। वर्ष 2021-22 में इस मद में 600 करोड़ का

आवंटन किया गया लेकिन वास्तविक व्यय 375 करोड़ रुपये रहा। भारत सरकार ने 16 सितंबर, 2015 को 5142.08 करोड़ रुपये की लागत से श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहरी-ग्रामीण मिशन को स्वीकृति दी। इसके तहत विकास की संभावनाएं समेटे तीन सौ सघन ग्रामीण बसावटों में तीन सालों के दौरान आधारभूत, सामाजिक एवं डिजिटल अवसंरचना का विकास करने के साथ उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनाना शामिल है। इस मिशन का लक्ष्य ऐसे ग्राम समूह को विकसित करना है जो ग्रामीण सामुदायिक जीवन की मौलिकता का संरक्षण और पोषण कर सकें। अनिवार्य रूप से शहरी प्रकृति की मानी गई सुविधाओं के साथ समझौता किए बिना मान्यता और समावेशिता पर ध्यान केंद्रित कर सकें। इसके तहत एक क्लस्टर में 8 से 10 ग्राम पंचायतें हो सकती हैं।

300 रूबर्न क्लस्टर के तहत 14 वांछनीय घटकों में आर्थिक कार्यकलाप और कौशल विकास प्रशिक्षण, कृषि प्रसंस्करण, कृषि सेवाएं, संग्रहण और भंडारण जैसे कामों के साथ पूरी तरह सुसज्जित मोबाइल स्वास्थ्य इकाई, स्कूल, स्वच्छता, पाइप द्वारा जलापूर्ति, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, गलियां और नालियां, स्ट्रीट लाइट, सड़क से जुड़ाव और सार्वजनिक परिवहन, एलपीजी गैस कनेक्शन, डिजिटल साक्षरता और नागरिक सेवा केंद्र शामिल हैं। धीरे-धीरे यह योजना गति पकड़ रही है। निसंदेह इन योजनाओं के ज़मीन पर उतरने के साथ ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलनी ही है।

(लेखक राज्यसभा टीवी में संसदीय और कृषि मामलों के संपादक रह चुके हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के चौधरी चरणसिंह कृषि पत्रकारिता पुरस्कार और भारतीय प्रेस परिषद के ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित।)

ई-मेल : arvindksingh.rstv@gmail.com

सूचना और संचार क्रांति की मदद से ग्रामीण डाकघरों की भी शक्ल बदली है। देश के 1.55 लाख डाकघरों में से 1.31 लाख गांवों में हैं, जो बचत बैंक से लेकर मनी ट्रांसफर और आधार बनाने से लेकर ई-कामर्स, कोर बैंकिंग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जैसी सुविधाएं दे रहे हैं। ग्रामीण भारत के साथ इनका पुराना रिश्ता रहा है और विश्वसनीयता भी रही है। ग्रामीणों को भी अब डाकघर बचत बैंक वही सुविधाएं दे रहे हैं जो शहर में रहने वाले उठाते रहे हैं।



सुदृढ़ ग्रामीण अर्थव्यवस्था का लक्ष्य

—सतीश सिंह

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार और बैंक निरंतर कार्य कर रहे हैं। प्रोडक्शन लिंकड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना की मदद से 14 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकार पहले से ही निवेश करने का काम कर रही है। बजट में कई ऐसे प्रावधानों की घोषणा की गई, जिनकी मदद से देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा। कृषि ढांचागत सुविधाओं को बढ़ाने, खेती-किसानी एवं संबद्ध क्षेत्र और उद्योगों को बजट में बढ़ावा देने से उद्यमिता को बढ़ावा मिलने और रोजगार के नए अवसरों में वृद्धि होने का अनुमान है।

लोकलुभावन बजट पेश करने की जगह वित्तवर्ष 2022-23 के लिए 1 फरवरी को वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बजट में पूंजीगत खर्च में 35.4 प्रतिशत बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव रखा, जिसका यह अर्थ हुआ कि सरकार सरकारी खर्च में इज़ाफा करके आर्थिक विकास दर और रोजगार सृजन दर में तेजी लाना चाहती है। इसी वजह से सरकार ने बजट में राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को 6.4 प्रतिशत रखा, जो पिछले साल 6.8 प्रतिशत था। राजकोषीय घाटे का बजटीय लक्ष्य ज़्यादा रखने का मतलब है कि सरकार जानती है कि पूंजीगत खर्च में इज़ाफा करने से राजकोषीय घाटा ऊंचे स्तर पर बना रहेगा। अभी आर्थिक रिकवरी में तेजी लाना सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ताकि कोरोनाकाल से पहले की अवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था को जल्द-से-जल्द लाया जा सके। बहरहाल, बजटीय प्रावधानों को देखने से लगता है कि इस

बजट से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने की प्रबल संभावना है।

देश के समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए खेती-किसानी और संबद्ध क्षेत्र को सशक्त बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में खेती-किसानी और संबद्ध क्षेत्र का योगदान लगातार कम हो रहा है, जबकि कोरोनाकाल में कृषि क्षेत्र का और क्षेत्रों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन रहने की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत ज़्यादा पतली नहीं हुई। वर्ष 1951 में खेती-किसानी का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 52 प्रतिशत का योगदान था, जो वर्ष 2020 में घटकर 14.8 प्रतिशत रह गया। हालांकि, भारत की 58 प्रतिशत आबादी की आजीविका का स्रोत अभी भी कृषि और संबद्ध क्षेत्र बना हुआ है।

देश में खेती-किसानी के साथ-साथ संबद्ध क्षेत्रों जैसे, पशुपालन, बागवानी, मुर्गीपालन, मछली पालन, वानिकी, रेशम कीट



कृषि और ग्रामीण क्षेत्र : महत्वपूर्ण बजटीय प्रावधान

- भारतीय रेलवे छोटे किसानों और मीडियम एंटरप्राइजेज को माल ढुलाई की सेवा देने के लिए नए उत्पादों और ढुलाई सेवा का विकास करेगा, ताकि कृषि से जुड़े उत्पादों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी हो और किसानों को अपने उत्पादों की वाजिब कीमत मिल सके।
- बजट में केन-बेतवा नदी को आपस में जोड़ने के लिए 44,000 करोड़ रुपये की परियोजना की घोषणा की गई है, जिससे लगभग 9 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकेगी और 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिल सकेगा। साथ ही, 103 मेगावॉट हाइड्रो पॉवर और 27 मेगावॉट सोलर पॉवर का उत्पादन किया जा सकेगा।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की राशि अब सीधे किसानों के खाते में जमा की जाएगी, जिससे किसानों को बिचौलिए को लेवी नहीं देना होगा।
- ग्रामीण क्षेत्र में 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे। साथ ही, पीएम गति शक्ति योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में भी सड़क, परिवहन, लॉजिस्टिक अवसंरचना का विस्तार किया जाएगा।
- बजट में शहरी और ग्रामीण लोगों के लिए 80 लाख घर बनाने का प्रस्ताव है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में मांग और आपूर्ति में तेजी आने और रोजगार सृजन को बल मिलने की संभावना है।
- गंगा के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर जैविक खेती की जाएगी। सरकारी मदद मिलने से रसायन मुक्त फसलों के उत्पादन में बढ़ोत्तरी होने का अनुमान है। इसे प्रोत्साहित करने के लिए सरकार पीपीपी मॉडल अपनाएगी।
- केंद्र सरकार पर्याप्त पैदावार को सुनिश्चित करने हेतु नई तकनीकों को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करेगी और फसल, फल और सब्जियों की उन्नत किस्मों को किसानों तक पहुंचाने का काम करेगी।
- फसलों की बुआई, उनके स्वास्थ्य का आकलन, भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, खेतों में कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए सरकार ड्रोन के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देगी। जनसंख्या के लिहाज से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और क्षेत्रफल के हिसाब से सातवां बड़ा देश। ऐसे में इतनी बड़ी आबादी को अन्न सुरक्षा देना बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसलिए ज़रूरी है कि पारंपरिक खेती की बजाय अधतन तकनीक की मदद से खेती-किसानी की जाए। खेती की बढ़ती लागत और प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल से किसान लागत और समय की बचत कर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। पारंपरिक तरीके से कीटनाशकों का छिड़काव करने से किसानों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इज़राइल समेत कई देशों में खेती के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाता है। इससे फसल की गुणवत्ता की देखरेख और फसल उत्पादन का आकलन किया जा सकेगा। हालांकि, फिलवक्त, सभी किसानों द्वारा इसका इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसकी कीमत ज्यादा है। अभी दस लीटर क्षमता वाले ड्रोन की कीमत 6 से 10 लाख रुपये के बीच है और ड्रोन को उड़ाने के लिए किसानों को ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग लेनी होगी। ड्रोन को केवल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) सर्टिफाइड पायलट ही उड़ा सकते हैं। भारत में ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग देने वाले अभी 40 स्कूल हैं, जो डीजीसीए से मान्यता प्राप्त हैं। ड्रोन की मौजूदा मांग के अनुसार देश में लगभग 1,000 से ज्यादा ड्रोन पायलटों की कमी है। भारत में विगत एक साल के अंदर ड्रोन की मांग में 15 गुना का इज़ाफा हुआ है। ड्रोन इंडस्ट्री अभी करीब 5,000 करोड़ रुपये की है। सरकार का अनुमान है कि यह 5 वर्षों में 15 से 20 हजार करोड़ रुपये की इंडस्ट्री होगी। सरकार इसके इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए लगातार नियमों को आसान बना रही है, जिससे रोजगार बढ़ने की संभावना है। एक अनुमान के अनुसार इस क्षेत्र में 3 साल के अंदर लगभग 10,000 नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं।
- बजट में सह-निवेश मॉडल के तहत नाबार्ड के माध्यम से किसानों का वित्तपोषण करने का प्रस्ताव है। इसका प्रयोग उन स्टार्टअप को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में किया जाएगा, जो खेती और ग्रामीण विकास के लिए काम करेंगे। वैसे, स्टार्टअप के जरिए अभी भी एफपीओ की सहायता की जा रही है, छोटे किसानों को कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं और कृषकों को आईटी आधारित सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। हालांकि, ऐसे स्टार्टअप की संख्या अभी कम है।
- किसानों के लिए आज पराली एक बड़ी समस्या बन गई है इसलिए थर्मल पॉवर प्लांट में कुल प्रयोग होने वाले ईंधन में से 5 से 7 प्रतिशत कृषि अवशेषों का उपयोग किया जाएगा। इससे फसल अवशेष जलाने की घटनाओं में कमी आएगी।
- वर्ष 2023 को पोषक अनाज वर्ष घोषित किया गया है। देश में मोटे अनाज की पैदावार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार कटाई उपरांत उसके भंडारण व खपत को बढ़ाने के लिए सहायता करेगी। साथ ही, सरकार मोटे अनाज से बने उत्पादों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय-स्तर पर ब्रांडिंग करेगी।
- केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को अपने कृषि विश्वविद्यालयों में बदलाव करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी, ताकि छात्रों और किसानों को जीरो बजट व जैविक खेती, आधुनिक कृषि व मूल्य संवर्धन और कृषि प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित किया जा सके।
- कृषि वानिकी और निजी वानिकी को बढ़ावा देने के लिए सरकार योजनाएं बनाएगी और इसे अपनाने के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी।

पालन, कुक्कुट पालन व बत्तख पालन आदि का ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम योगदान है। इसके अलावा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम सूक्ष्म, लघु व मझोले उद्योग और सेवा क्षेत्र भी कर रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि और संबद्ध क्षेत्र की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत है और बचे हुए 50 प्रतिशत में उद्योगों और सेवा क्षेत्र की भागीदारी है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की ज़रूरत

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए खेती-किसानी व संबद्ध क्षेत्र और कृषि पर आधारित उद्योगों व सेवा क्षेत्र के प्रदर्शन में और भी बेहतरी लाने की ज़रूरत है। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्र में सड़क, सिंचाई, पेयजल की आपूर्ति, बिजली, मंडी व भंडारण की व्यवस्था, स्कूल-कॉलेज व स्वास्थ्य केंद्र, बैंकिंग सेवा आदि सुविधाएं उपलब्ध कराने की ज़रूरत है। इन सुविधाओं को तभी मूर्त रूप दिया जा सकता है जब निवेश में बढ़ोत्तरी की जाए, लेकिन सरकार की मामले में सीमाएं हैं। इसलिए निजी और सरकारी भागीदारी या पीपीपी मॉडल को अपनाकर और बैंकों की मदद से इन सुविधाओं को उपलब्ध कराया जा सकता है।

भारतीय बैंक एक लंबे समय से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किसानों व उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। आज एमएसपी की राशि किसानों के खाते में डालनी हो या फिर ड्रोन खरीदने के लिए वित्तपोषण करना हो, जैविक कृषि शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करानी हो या समाज के वंचित तबके को आर्थिक मदद मुहैया करानी हो; किसान सम्मान निधि की राशि किसानों के खाते में डालनी हो या किसानों के खाते में सब्सिडी की रकम जमा करनी हो या फिर किसानों का फसल बीमा करवाना हो अथवा ग्रामीण इलाकों में कृषि उत्पादों पर आधारित सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों का वित्तपोषण करना हो या फिर ग्रामीण विकास से जुड़े अन्य कार्यों को मूर्त रूप देने के लिए वित्तपोषण करना हो, हर मामले में बैंक आगे बढ़कर अपनी सेवाएं मुहैया करा रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्र की बेहतरी के लिए बजटीय प्रावधान

सरकार ने वित्तवर्ष 2022-23 में कृषि क्षेत्र पर 1,51,521 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया है जिसका इस्तेमाल गरीब किसानों को आर्थिक मदद देने, कृषि में तकनीक का इस्तेमाल आदि के लिए किया जाएगा। गरीबों को आर्थिक मदद मुहैया कराने के लिए वित्तवर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए 65,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था, जिसे वित्तवर्ष 2022-23 में बढ़ाकर 68,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस मद में ज्यादा राशि की वृद्धि इसलिए नहीं की गई है, क्योंकि महामारी की दूसरी लहर के बाद आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई है और रोजगार सृजन की गति भी महामारी की पहली व दूसरी लहर से बेहतर है। सरकार ने मनरेगा के लिए वित्तवर्ष 2020-21 में 1,10,527 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए थे, जबकि वित्तवर्ष

“यह बजट वृद्धि को लगातार प्रोत्साहित करता है। यह अमृतकाल के लिए एक समांतर मार्ग की रूपरेखा तैयार करता है जो समावेशी और भविष्य के लिए उपयुक्त है। इससे हमारे युवाओं, महिलाओं, किसानों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को सीधे तौर पर फायदा होगा। साथ ही यह इंडिया@100 के लिए तैयारी के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे के लिए बड़ा सार्वजनिक निवेश होगा।”

—वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण

2021-22 में 97,034 करोड़ रुपये खर्च होने का संशोधित अनुमान लगाया है और वित्तवर्ष 2022-23 में 72,034 करोड़ रुपये खर्च होने का बजटीय अनुमान लगाया गया है। मनरेगा के लिए कम राशि के आवंटन का कारण देशभर में आर्थिक रिकवरी की रफ्तार का तेज होना और प्रवासी मजदूरों का अपने काम पर वापिस लौटना है।

मजबूत होता बैंकिंग क्षेत्र

आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त पूंजी है और गैर-निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) में कमी आई है। बैंकिंग प्रणाली का सकल एनपीए अनुपात 2017-18 के 11.2 प्रतिशत से घटकर सितंबर, 2020 के अंत में 7.5 प्रतिशत और सितंबर 2021 के अंत में 6.9 प्रतिशत पर आ गया। शुद्ध एनपीए अनुपात भी 2017-18 के 6.0 प्रतिशत के उच्च-स्तर से घटकर सितंबर, 2021 में 2.2 प्रतिशत पर आ गया। हालांकि सितंबर, 2020 से सितंबर, 2021 के बीच अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का दबावग्रस्त अग्रिम अनुपात सितंबर 2020 के अंत में 7.9 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर, 2021 के अंत में 8.5 प्रतिशत हो गया। बैंकों का पुनर्गठित मानक अग्रिमों (आरएसए) का अनुपात इस दौरान 0.4 प्रतिशत से बढ़कर 1.5 प्रतिशत हो गया। आर्थिक समीक्षा के मुताबिक कोरोना महामारी के कारण पुनर्गठित संपत्तियों में वृद्धि हुई है, जिसके कारण बैंकिंग प्रणाली के लिए दबावग्रस्त अग्रिम अनुपात सितंबर, 2021 के अंत में बढ़ गया, अपितु बैंकिंग क्षेत्र में निरंतर बेहतरी आ रही है। इसलिए सरकार ने बजट में बैंकों के पुनर्पूँजीकरण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है।

बैंकों का चालू वित्तवर्ष की तीसरी तिमाही में भी शानदार प्रदर्शन रहा है। इस अवधि में बैंक ऑफ बड़ौदा का शुद्ध लाभ 2,197 करोड़ रुपये हो गया, तो भारतीय स्टेट बैंक का शुद्ध लाभ 8,432 करोड़ रुपये रहा, जबकि एक्सिस बैंक का मुनाफा दोगुना हो गया। इस तिमाही में दूसरे बैंकों के मुनाफे में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के अनुसार 'बैड बैंक' 31 मार्च, 2022 तक अपना कामकाज शुरू कर देगा। शुरू में कुल 50,335 करोड़ रुपये के कुल 15 एनपीए खातों को 'बैड बैंक' को अंतरित किया जाएगा। बैंकों को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी, माना जाता है। इसलिए बैंकों का स्वस्थ रहना ज़रूरी है।

‘बैड बैंक’ को एनपीए बेचने से जो नकदी बैंक में वापिस आएगी, उसे पुनः ज़रूरतमंदों को ऋण के तौर पर उपलब्ध कराया जाएगा, क्योंकि बैंक एनपीए के लिए पहले ही प्रावधान कर चुके हैं। अतः बैंक जितनी भी राशि का एनपीए ‘बैड बैंक’ को बेचेंगे, वह राशि सीधे बैंकों के मुनाफे में जुड़ जाएगी।

दुनिया के अनेक देशों में ‘बैड बैंक’ फंसे कर्ज को बेचने में सफल रहा है। वर्ष 2008 के वित्तीय संकट के बाद अमेरिका ने संकटग्रस्त परिसंपत्ति राहत कार्यक्रम शुरू किया था, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था का स्वास्थ्य बेहतर हुआ था। एक अनुमान के अनुसार ‘बैड बैंक’ 5 लाख करोड़ से अधिक के एनपीए के समाधान में कारगर हो सकते हैं। इसके दूसरे भी फायदे हैं, मसलन, एनपीए को ‘बैड बैंक’ को बेचने के बाद बैंक अपने कारोबार को बढ़ाने पर ध्यान दे सकेंगे, क्योंकि बैंकों को एनपीए की वसूली में आर्थिक नुकसान तो होता ही है; साथ ही, मानव संसाधन कारोबार बढ़ाने पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिससे गुणवत्तायुक्त परिसंपत्ति भी एनपीए हो जाती है। बैलेंस शीट के साफ-सुथरा रहने से देसी व विदेशी निवेशकों और जमाकर्ताओं का बैंकों पर भरोसा बढ़ेगा, जिससे बैंक की रेटिंग बढ़ेगी और निवेश की राह भी आसान होगी।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किसानों व गरीबों के लिए प्रावधान

ग्रामीण व कृषि आधारभूत संरचनाओं को सशक्त बनाने के

लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि व संबद्ध क्षेत्र के विकास के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का पैकेज मंजूर किया गया है और 1 लाख करोड़ रुपये का कृषि अवसंरचना फंड बनाने का प्रस्ताव है। गरीबों को देश के किसी भी हिस्से में परेशानी नहीं हो, इसके लिए सरकार ने ‘वन नेशन वन राशनकार्ड’ योजना की शुरुआत 34 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में की है, जिसका लाभ 75 करोड़ लाभार्थियों को मिल रहा है। पचास हजार रुपये तक के मुद्रा ऋण के लिए सरकार 1,500 करोड़ रुपये का इंटरैस्ट सबवेंशन यानी ब्याज में छूट देगी। नाबार्ड 30,000 करोड़ रुपये की राशि वर्किंग कैपिटल के रूप में बैंकों के माध्यम से किसानों को मुहैया कराने की व्यवस्था करेगा। बीते 7 वर्षों में नाबार्ड ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि से राज्यों को 1.81 लाख करोड़ रुपये का ऋण दे चुका है, जिसमें से एक-तिहाई का उपयोग सिंचाई के लिए किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के जरिए किफायती ब्याज दर पर किसानों को 2 लाख करोड़ रुपये का ऋण दिया जाएगा। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के तहत उधमियों को 70,000 करोड़ रुपये मुहैया कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपये मछुआरों को दिए जाएंगे। एनीमल हसबैंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए 15,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है और खाद सब्सिडी देने के लिए 65,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

तालिका-1 : सभी अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का सकल बैंक क्रेडिट वितरण

(करोड़ रुपये में)

इंडस्ट्री	आउटस्टैंडिंग			वर्ष-दर-वर्ष अंतर	
	दिसंबर, 2019	दिसंबर, 2020	दिसंबर, 2021	दिसंबर, 20 / दिसंबर, 2019	दिसंबर, 21 / दिसंबर, 2020
				(प्रतिशत में)	(प्रतिशत में)
फूड प्रोसेसिंग	134172	155377	164290	15.8	5.7
शुगर	24517	26816	20748	9.4	-22.6
एडिबल ऑयल और वनस्पति	18612	18194	19369	-2.2	6.5
चाय	4056	4375	5155	7.9	17.8
अन्य	86987	105993	119017	21.8	12.3
वेवरेज और टोबैको	15022	14518	15794	-3.4	8.8
टेक्सटाइल	188044	190465	212884	1.3	11.8
कॉटन टेक्सटाइल	84619	86597	91792	2.3	6
जूट टेक्सटाइल	2213	2541	2995	14.8	17.9
मानव निर्मित टेक्सटाइल	33375	35282	42667	5.7	20.9
अन्य टेक्सटाइल	67836	66046	75430	-2.6	14.2
लकड़ी और लकड़ी से निर्मित उत्पाद	12143	13110	14259	8	8.8
पेपर और पेपर निर्मित उत्पाद	30574	34397	38234	12.5	11.2
रबड़, प्लास्टिक और इससे निर्मित उत्पाद	49260	51302	65349	4.1	27.4

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

कृषि आधारित उद्योगों को बैंक ऋण

फूड प्रोसेसिंग उद्योग, जिसमें चीनी, खाद्य तेल व वनस्पति, चाय आदि उद्योग शामिल हैं, में वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर सभी अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का आउटस्टैंडिंग ऋण दिसंबर 2019 में 1,34,172 करोड़ रुपये था, जबकि दिसंबर 2020 में यह 1,55,377 करोड़ रुपये और दिसंबर 2021 में 1,64,290 करोड़ रुपये था। दिसंबर 2019 से दिसंबर 2020 में इस क्षेत्र में ऋण वृद्धि दर 15.8 प्रतिशत रही, जबकि दिसंबर 2020 से दिसंबर 2021 के दौरान ऋण वृद्धि दर पिछले वर्ष की तुलना में घटकर 5.7 प्रतिशत रह गई।

वेवरेज एवं टोबैको का बैंक ऋण आउटस्टैंडिंग दिसंबर, 2019 में 15,022 करोड़ रुपये था, जबकि दिसंबर, 2020 में यह 14,518 करोड़ रुपये और दिसंबर, 2021 में 15,794 करोड़ रुपये था। इस उद्योग में ऋण वृद्धि दर दिसंबर, 2019 से दिसंबर, 2020 के दौरान -3.4 प्रतिशत थी, जबकि दिसंबर, 2020 से दिसंबर, 2021 की अवधि में यह पिछले वर्ष के मुकाबले बढ़कर 8.8 प्रतिशत रह गई।

टेक्सटाइल उद्योग, जिसमें कॉटन, जूट, मानव निर्मित और अन्य टेक्सटाइल शामिल हैं, में वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर बैंक ऋण आउटस्टैंडिंग दिसंबर, 2019 में 1,88,044 करोड़ रुपये था, जबकि दिसंबर, 2020 में यह 1,90,465 करोड़ रुपये और दिसंबर, 2021 में 2,12,884 करोड़ रुपये था। इस उद्योग में दिसंबर, 2019 से दिसंबर, 2020 में ऋण वृद्धि दर 1.3 प्रतिशत थी जबकि दिसंबर, 2020 से दिसंबर, 2021 के दौरान ऋण वृद्धि दर पिछले साल की तुलना में 11.8 प्रतिशत रही।

लकड़ी और लकड़ी से निर्मित उत्पादों का बैंक ऋण दिसंबर, 2019 में 12,143 करोड़ रुपये आउटस्टैंडिंग था, जबकि दिसंबर, 2020 में यह 13,110 करोड़ रुपये और दिसंबर, 2021 में 14,259 करोड़ रुपये था। इस उद्योग में ऋण वृद्धि दर दिसंबर, 2019 से दिसंबर, 2020 के दौरान 8.0 प्रतिशत थी, जो दिसंबर, 2020 से दिसंबर, 2021 की अवधि में बढ़कर 8.8 प्रतिशत हो गई।

पेपर और पेपर निर्मित उद्योग का बैंक ऋण आउटस्टैंडिंग दिसंबर, 2019 में 30,574 करोड़ रुपये था, जबकि दिसंबर, 2020 में यह बढ़कर 34,397 करोड़ रुपये हो गया और दिसंबर, 2021 में पुनः बढ़कर 38,234 करोड़ रुपये हो गया। इस उद्योग में ऋण वृद्धि दर दिसंबर, 2019 से दिसंबर, 2020 के दौरान 12.5 प्रतिशत थी, जो दिसंबर, 2020 से दिसंबर, 2021 की अवधि में पिछले वर्ष के मुकाबले घटकर 11.2 प्रतिशत रह गई।

रबड़, प्लास्टिक और इससे निर्मित उद्योग का बैंक ऋण दिसंबर, 2019 में 49,260 करोड़ रुपये आउटस्टैंडिंग था, जबकि दिसंबर, 2020 में यह बढ़कर 51,302 करोड़ रुपये हो गया और दिसंबर, 2021 में पुनः बढ़कर 65,349 करोड़ रुपये हो गया। इस उद्योग में ऋण वृद्धि दर दिसंबर, 2019 से दिसंबर, 2020 के दौरान 4.1 प्रतिशत थी, जो दिसंबर, 2020 से दिसंबर, 2021 की अवधि में पिछले साल की तुलना में बढ़कर 27.4 प्रतिशत हो गई।

तालिका-2 : कुछ प्रमुख क्षेत्रों का सकल बैंक क्रेडिट का वितरण

(करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	मार्च, 2020	मार्च, 2021	मार्च, 2021 / मार्च, 2020 (प्रतिशत में)
कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र	1167917	1280240	9.61
एनबीएफसी	938747	940205	1.55
कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र (प्राथमिक क्षेत्र)	1135700	1244276	9.56

स्रोत-भारतीय रिजर्व बैंक

सभी अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों द्वारा मार्च, 2020 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र को दिए गए ऋण की आउटस्टैंडिंग 11,67,917 करोड़ रुपये थी, जो मार्च 2021 में बढ़कर 12,80,240 करोड़ रुपये हो गई। इस अवधि के दौरान इस क्षेत्र में ऋण वृद्धि दर 9.61 प्रतिशत रही। इसी तरह, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफसी) का ऋण मार्च, 2020 में 9,38,747 करोड़ रुपये आउटस्टैंडिंग था, जो मार्च 2021 में बढ़कर 9,40,205 करोड़ रुपये हो गया। इस दौरान इस क्षेत्र में ऋण वृद्धि दर 1.55 प्रतिशत रही; वहीं कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र (प्राथमिक क्षेत्र) में मार्च, 2020 में ऋण आउटस्टैंडिंग 11,35,700 करोड़ रुपये थी, जो मार्च 2021 में बढ़कर 12,44,276 करोड़ रुपये हो गई। इस तरह, इस अवधि में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र (प्राथमिक क्षेत्र) में ऋण वृद्धि दर 9.56 प्रतिशत रही।

आउटस्टैंडिंग ऋण के मायने

तालिका-1 और तालिका-2 से स्पष्ट हो जाता है कि बैंक कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए लगातार वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। आज बैंक खेती-किसानी, कृषि से जुड़े अन्य क्षेत्र, सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों, कृषि आधारित उद्योगों जैसे, प्रोसेसिंग फूड, कॉटन, जूट, वानिकी, पेपर, रबर आदि के विकास में सहभागी हैं। ग्रामीण अवसंरचना से जुड़े क्षेत्र जैसे, सड़क, ऊर्जा, सिंचाई, पेयजल की आपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को मज़बूत बनाने में भी बैंकों का अहम योगदान है।

डिजिटलीकरण से वित्तीय समावेशन

देश के 1.5 लाख डाकघरों को कोर बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने के कार्य को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा, जिससे इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम के ज़रिए बचत और चालू खातों का संचालन करना संभव हो जाएगा और लोग देश के किसी भी कोने में पैसा अंतरित कर सकेंगे। आज देश में डाकघरों का सबसे बड़ा नेटवर्क है। अतः इससे वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में पोस्ट ऑफिस इंडिया, पोस्ट पेमेंट्स बैंक के ज़रिए भी जमा और भुगतान की सुविधाएं ग्राहकों



को उपलब्ध करा रहा है। वित्तमंत्री ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए बजट में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक स्थापित करने की घोषणा की है, ताकि देश में डिजिटलीकरण को और भी बढ़ावा दिया जा सके।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना के तहत छोटे कारोबारियों को 10 लाख रुपये तक का ऋण बिना जमानत के दिया जाता है। मुद्रा ऋण की ब्याज दरें, दूसरी तरह के ऋणों के मुकाबले कम हैं। यह एक ऐसी योजना है, जो अपने आगाज़ के दिनों से ही असंगठित क्षेत्र में करोड़ों की संख्या में रोज़गार सृजित करने का कार्य कर रही है। इस योजना का लाभ सभी कारोबारी इकाइयों, जैसे खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, मशीन ऑपरेटर, पेशेवर जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, सेवा क्षेत्र से जुड़े लोग, लघु एवं छोटे कारोबारी, मसलन, किराना एवं जनरल स्टोर चलाने वाले दुकानदार, फल या सब्जी विक्रेता, रेहड़ी व खोमचे वाले, हेयर कटिंग सैलून व ब्यूटी पार्लर वाले, शिल्पकार, पेंटर, रेस्त्रां चलाने वाले, साइकिल व बाइक रिपेयर करने वाले आदि उठा रहे हैं।

प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

पीएमईजीपी के तहत सरकार देश के बेरोज़गार युवाओं को अपना खुद का रोज़गार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये से

लेकर 25 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराती है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के बेरोज़गार युवकों को रोज़गार के अवसर प्रदान करना है।

स्टार्टअप और उद्यमिता को मिल रहे हैं पंख

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 जनवरी, 2016 को भारत में "स्टार्टअप इंडिया" का आगाज़ किया था और आज बैंकों की मदद से स्टार्टअप तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर हैं। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार नए स्टार्टअप की संख्या में हाल में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। स्टार्टअप शुरू करने के मामले में दिल्ली बेंगलूरु से आगे निकल गया है, जबकि 11,308 स्टार्टअप के साथ महाराष्ट्र में पंजीकृत स्टार्टअप की संख्या सर्वाधिक है। बजट सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कहा कि देश में स्टार्टअप क्षेत्र के लिए बन रहे माहौल में आज तक 6,00,000 से अधिक नौकरियों का सृजन हुआ है। वर्ष 2021 में देश में 44 स्टार्टअप ने यूनिर्कोर्न का दर्जा हासिल किया, जो एक रिकॉर्ड है। भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका और चीन के बाद यूनिर्कोर्न की संख्या के मामले में तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। वर्ष 2021 में अमेरिका में 487 और चीन में 301 नए यूनिर्कोर्न बने। 14 जनवरी, 2022 तक भारत में 83 यूनिर्कोर्न थे, जिनका राशि में आकार 277.77 अरब डॉलर का था। देश में नए पंजीकृत स्टार्टअप की संख्या वित्तवर्ष 2021-22 में 14,000 की संख्या को पार कर चुकी है, जो वित्तवर्ष 2016-17 में सिर्फ 733 थी।

बजट में कई ऐसे प्रावधानों की घोषणा की गई, जिनकी मदद से देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा। कृषि ढांचागत सुविधाओं को बढ़ाने, खेती-किसानी एवं संबद्ध क्षेत्र और उद्योगों को बजट में बढ़ावा देने से उद्यमिता को बढ़ावा मिलने और रोज़गार के नए अवसरों में वृद्धि होने का अनुमान है। उद्यमशीलता आर्थिक विकास का कारक भी है और वाहक भी। इसके बिना राज्य या देश का औद्योगिकीकरण नहीं किया जा सकता है। उद्यमी ही मांग और आपूर्ति की गति को तेज करता है और आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाता है। कुशल उद्यमी, उद्यम के मुनाफ़े को बढ़ा देता है, जबकि अकुशल उद्यमी घाटे का कारण बनता है। इस तरह, आज उद्यमिता और स्टार्टअप भारत की आर्थिक तस्वीर को गुलाबी बनाने की दिशा में अग्रसर हैं। इनकी वजह से देश के जीडीपी में भी बेहतरी आ रही है।

निष्कर्ष

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने के लिए सरकार और बैंक निरंतर कार्य कर रहे हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना की मदद से 14 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकार पहले से ही निवेश करने का काम कर रही है। यह योजना घरेलू मैनुफ़ैक्चरिंग को बढ़ावा देने और आयात बिलों में कटौती करने के लिए मार्च 2020 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य घरेलू इकाइयों में

निर्मित उत्पादों की बिक्री में वृद्धि पर कंपनियों को प्रोत्साहन देना है।

वर्तमान में देश में 6.33 करोड़ एमएसएमई इकाई हैं, जिनका देश की जीडीपी में 29 प्रतिशत का योगदान है और इस क्षेत्र में लगभग 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इसके दायरे को बढ़ाने के लिए उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस व एएसईइएम (असीम) पोर्टल्स को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव बजट में किया गया है, ताकि ऋण के प्रवाह और एमएसएमई के स्वास्थ्य में बेहतरी आए।

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को मार्च 2023 तक बढ़ाने की घोषणा की गई है। बजट प्रावधानों के अनुसार ईसीएलजीएस गारंटी कवर को 5 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिसमें से 50,000 करोड़ रुपये का प्रावधान आतिथ्य क्षेत्र के लिए किया गया है। इस प्रावधान से बैंकों के एनपीए में बढ़ोत्तरी नहीं होगी; साथ ही, बैंकों के कारोबार में भी इज़ाफा होगा। वित्तमंत्री के अनुसार ईसीएलजीएस के ज़रिए 130 लाख से अधिक एमएसएमई को ऋण कोरोनाकाल में दिया गया है, जिससे महामारी के दौरान इन्हें अपने अस्तित्व को बचाने में मदद मिली है।

ईसीएलजीएस योजना को लागू करने की वजह से 13.5 लाख एमएसएमई खाते एनपीए होने से बच गए हैं। अगर ये खाते एनपीए होते तो 1.5 करोड़ लोगों की नौकरियां चली जाती और लगभग 6 करोड़ लोगों की जीविका भी प्रभावित होती। इस योजना की शुरुआत कोविड की वजह से वर्ष 2020 में की गई थी, जिससे एमएसएमई को बड़े पैमाने पर लाभ हुआ है। नए प्रावधानों से एमएसएमई क्षेत्र को 2 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर्ज मिलेंगे।

बजट में क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्माल एंटरप्राइजेज़ (सीजीटीएमएसई) योजना को पुनर्जीवित करने की बात भी कही गई है। इससे सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 2 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण एमएसएमई क्षेत्र को मिल सकेगा, जिससे रोजगार सृजन में तेजी आएगी। वित्तमंत्री ने बजट में 6,000 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की है, जिससे एमएसएमई क्षेत्र को ज़्यादा लचीला, प्रतिस्पर्धी और दक्ष बनने में मदद मिलेगी।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि भले ही ताज़ा बजट प्रस्तावों से तत्काल में आम लोगों को लाभ मिलता नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आगामी महीनों या सालों में इनके फायदे निश्चित रूप से दृष्टिगोचर होने लगेंगे।

(लेखक बैंकिंग एवं आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के कॉरपोरेट केंद्र, मुंबई के आर्थिक अनुसंधान विभाग में सहायक महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)


ई-मेल : satish5249@gmail.com

फॉर्म-IV

कुरुक्षेत्र (हिंदी) मासिक पत्रिका का स्वामित्व तथा अन्य विवरण

- (1) प्रकाशन का स्थान : नई दिल्ली
- (2) प्रकाशन की अवधि : मासिक
- (3) मुद्रक का नाम : मोनीदीपा मुखर्जी
नागरिकता : भारतीय
पता : प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोधी मार्ग, नई दिल्ली-110003
- (4) प्रकाशक का नाम : मोनीदीपा मुखर्जी
नागरिकता : भारतीय
पता : प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोधी मार्ग, नई दिल्ली-110003
- (5) संपादक का नाम : ललिता खुराना
नागरिकता : भारतीय
पता : प्रकाशन विभाग, कमरा नं. 655 सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोधी मार्ग, नई दिल्ली-110003
- (6) उन व्यक्तियों का नाम व पते जो पत्रिका के पूर्ण स्वामित्व में कुल पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के स्वामित्व/ हिस्सेदार हों : सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली-110001

मैं मोनीदीपा मुखर्जी एतद् द्वारा घोषणा करती हूँ कि ऊपर दिए गए विवरण मेरी पूरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं।



दिनांक : 11.01.2022

(मोनीदीपा मुखर्जी)
प्रकाशक

ऊर्जा सुरक्षा के साथ हरित रोज़गार

—अरविन्द कुमार मिश्रा

आज़ादी के सौ वर्ष अर्थात् अगले ढाई दशक की यात्रा के दौरान हर क्षेत्र नई संभावनाओं, अवसर व चुनौतियों से गुज़रेगा। देश की भावी ज़रूरतों की पूर्ति व भविष्य की चुनौतियों के समाधान के लिए हमें आज ही उन स्मारकों की नींव रखनी होगी, जिन पर स्वर्णिम भारत का फलक विकसित हो। इन अवसरों को पहचानने के क्रम में हरित अर्थव्यवस्था कितनी अहम है, इसका आकलन इसी बात से लगाया जा सकता है कि बजटीय भाषण की प्रारंभिक पंक्ति में ही ऊर्जा संक्रमण से जलवायु न्याय की ओर तेजी से बढ़ने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। निश्चित रूप से विगत कुछ वर्षों में आधारभूत ढांचे में हरित ऊर्जा परियोजनाओं की भागीदारी बढ़ी है। पिछले किसी भी बजट की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 का आम बजट अर्थव्यवस्था में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के प्रयासों को एकीकृत करता है। केंद्रीय बजट में इस दिशा में जिन कदमों की घोषणा की गई है, उनमें भावी पीढ़ी के लिए ऊर्जा सुरक्षा का व्यावहारिक रोडमैप सबसे अहम है।

देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। यह अवसर राष्ट्र नायकों के स्मरण के साथ कुछ नए संकल्पों की ओर बढ़ने का भी है। आज़ादी के अमृत महोत्सव की बेला पर अर्थव्यवस्था से जुड़े दीर्घकालिक लक्ष्य व उन्हें हासिल करने की स्पष्ट कार्ययोजना वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में दिखी। बजट में तात्कालिक आर्थिक अवसरों व चुनौतियों को हल करने के साथ भविष्य के भारत की तैयारी को प्राथमिकता दी गई है। वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बजटीय भाषण की प्रारंभिक पंक्तियों में ही इसे आज़ादी के सौ वर्ष की यात्रा में अग्रसर भारत (इंडिया@100) का दृष्टिपत्र करार दिया है। आज़ादी के सौ वर्ष अर्थात् अगले ढाई दशक की यात्रा के दौरान हर क्षेत्र नई संभावनाओं, अवसर व चुनौतियों से गुज़रेगा। देश की भावी ज़रूरतों की पूर्ति व भविष्य की चुनौतियों के समाधान के लिए हमें आज ही उन स्मारकों की नींव

रखनी होगी, जिन पर स्वर्णिम भारत का फलक विकसित हो। इन अवसरों को पहचानने के क्रम में हरित अर्थव्यवस्था कितनी अहम है, इसका आकलन इसी बात से लगाया जा सकता है कि बजटीय भाषण की प्रारंभिक पंक्ति में ही ऊर्जा संक्रमण से जलवायु न्याय की ओर तेजी से बढ़ने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है।

निश्चित रूप से विगत कुछ वर्षों में आधारभूत ढांचे में हरित ऊर्जा परियोजनाओं की भागीदारी बढ़ी है। पिछले किसी भी बजट की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 का आम बजट अर्थव्यवस्था में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के प्रयासों को एकीकृत करता है। दरअसल, आज भारत समेत पूरी दुनिया ऊर्जा रूपांतरण के दौर से गुज़र रही है। जलवायु संकट जैसी चुनौतियों के समाधान के लिए हर देश अपनी ऊर्जा टोकरी में गैर-जीवाश्म संसाधनों की हिस्सेदारी बढ़ाने में जुटा है। केंद्रीय बजट में इस दिशा में जिन



- विगत 6 वर्षों में 139 गीगावॉट बिजली की संस्थापित क्षमता बढ़ाई गई।
 - 2.82 करोड़ घरों में बिजली कनेक्शन दिया गया (31 मार्च 2021 तक)
 - 45 हजार मेगावॉट की अतिरिक्त सौर उपकरण विनिर्माण क्षमता पीएलआई योजना से सृजित होगी
 - ग्रामीण इलाकों में लगभग 21.5 घंटे प्रतिदिन बिजली उपलब्धता
- स्रोत : केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़े

कदमों की घोषणा की गई है, उनमें भावी पीढ़ी के लिए ऊर्जा सुरक्षा का व्यावहारिक रोडमैप सबसे अहम है।

पीएलआई : सौर ऊर्जा उपकरणों का बढ़ेगा विनिर्माण

सौर ऊर्जा उत्पादन व उसका उपयोग बढ़ाने के लिए सोलर उपकरणों को लागत सक्षम बनाना होगा। केंद्रीय बजट में घरेलू सौर सेल और मॉड्यूल के विनिर्माण को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है। सोलर फोटोवोल्टिक (पीवी) समेत उच्च दक्षता वाले सोलर मॉड्यूल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) के अंतर्गत आवंटित 4,500 करोड़ रुपये की राशि को बढ़ाकर 24 हजार करोड़ रुपये किया गया है। इसके लिए 19,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजटीय आवंटन हुआ है। केंद्र सरकार 2030 तक 2 लाख 80 हजार मेगावॉट सौर क्षमता के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करना चाहती है। ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार पीएलआई योजना से 45 हजार मेगावॉट की अतिरिक्त सौर उपकरण विनिर्माण क्षमता सृजित होगी। केंद्रीय वित्तमंत्री ने भी सौर ऊर्जा के उत्पादन के इन प्रयासों से 60 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद बजट में जताई है।

सौर ऊर्जा संयंत्र में इस्तेमाल होने वाले जिन उपकरणों के विनिर्माण को केंद्र सरकार बढ़ावा दे रही है उनमें सोलर फोटोवोल्टिक सबसे प्रमुख है। सोलर फोटोवोल्टिक ऐसी प्रौद्योगिकी है जो धूप को सीधे बिजली में परिवर्तित करती है। बड़े पैमाने पर पीवी संयंत्रों का इस्तेमाल बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है, जिसे ग्रिड में उपयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा उपकरणों के विनिर्माण को बढ़ावा देकर ही 2030 तक संस्थापित सौर क्षमता को 280 गीगावॉट तक पहुंचाना संभव होगा। सौर ऊर्जा उपकरण सस्ते होंगे तो देश के अलग-अलग हिस्सों में माइक्रो सोलर डोम लगाकर सौर ऊर्जा को सामुदायिक स्तर पर लोकप्रिय बनाया जा सकेगा। इससे माइक्रो सोलर डोम जैसे संयंत्र सामुदायिक स्तर पर लोकप्रिय होंगे। यह एक छोटा उपकरण होता है जो दिन में सौर ऊर्जा किरणों को अवशोषित कर रात में सोलर पीवी के जरिए बिजली पैदा करने का काम करता है। माइक्रो सोलर डोम छोटे मकानों की छत पर भी लगाए जा सकते हैं। इसके ऊपरी हिस्से में सोलर पैनल लगा होता है जोकि सौर ऊर्जा को संग्रहित कर लीथियम बैटरी में संग्रहित करता है। निचले डोम में एक शटर लगा होता है, जोकि दिन में प्रकाश की आवश्यकता न होने पर

बंद हो जाता है। देश के दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में 11 राज्यों में 10 हजार से अधिक माइक्रो सोलर डोम वर्तमान में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। सौर ऊर्जा उपकरणों की उपलब्धता बढ़ने से बॉयोमेट्रिक 'सोलर एटीएम' की मांग भी बढ़ेगी। सुंदरवन से जुड़े परिक्षेत्र में सौर ऊर्जा के जरिए बिजली समस्या को दूर करने के लिए 10 लाख ऑफ ग्रीड सोलर संयंत्र लगाए गए हैं। ऐसे अनेक सफल प्रयोग देश में तरक्की के अक्षय उजाले की कहानी बयां करते हैं।

कर मोर्चे से 'मेक इन इंडिया' अभियान को गति

सौर ऊर्जा क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने के लिए सरकार पहले ही कर के मोर्चे पर संरक्षणवादी कदम उठाती रही है। सौर मॉड्यूल पर आयात शुल्क 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत किया गया है। इससे देश में सौर ऊर्जा संधारण क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक सौर मॉड्यूल का विनिर्माण किया जा सकेगा। बजट में सौर सेल पर आयात शुल्क 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव भी इस क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' को मजबूती प्रदान करेगा।

ताप विद्युत संयंत्रों में जैव अपशिष्ट की बढ़ेगी खपत

कोयले से चलने वाले ताप विद्युत संयंत्रों में जैव अपशिष्ट के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू करने की घोषणा केंद्रीय बजट में की गई है। इससे पराली जलाने और वायु प्रदूषण पर अंकुश लगेगा। ताप विद्युत संयंत्रों में 5 से 7 प्रतिशत बायोमास छर्कों का इस्तेमाल किया जाएगा। यह पहल सालाना 38 एमएमटी CO2 की कटौती करेगी। खास बात यह है कि इससे किसानों को आमदनी का नया स्रोत भी मिलेगा। कृषिजनित अपशिष्ट वस्तुओं को 'बायोमास पेलेट' कहते हैं। व्यावसायिक घास, जंगल में सड़-गल चुके अपशिष्ट पदार्थ आदि 'बायोमास पेलेट' है। सरकार



कार्बन तटस्थ अर्थव्यवस्था की दिशा में संक्रमण

- उच्च प्रभावी मॉड्यूलों के विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन हेतु 19,500 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव
- नये व्यवसायों और रोजगारों में उत्पादकता एवं अवसर सृजित करने के लिए वृत्ताकार अर्थव्यवस्था का संक्रमण
- थर्मल पावर संयंत्रों में 5 से 7 प्रतिशत बायोमास पेलेट को जलाने का प्रस्ताव, 38 एमएमटी कार्बन डाईऑक्साइड की कमी का अनुमान
- कोल गैसीकरण तथा कोयले को रसायन में बदलने के लिए 4 प्रमुख परियोजनाएं भी लाई जाएंगी

फेम इंडिया स्कीम-II में प्राथमिकता के क्षेत्र

- इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग को प्रोत्साहन
- चार्जिंग केंद्रों के नेटवर्क की स्थापना
- प्रचार, आईसी (सूचना, शिक्षा एवं संचार) गतिविधियों सहित स्कीम का प्रशासन

स्रोत : भारी उद्योग मंत्रालय

किसानों से इसे खरीदने की व्यवस्था करेगी और इसे ताप विद्युत संयंत्र तक पहुंचाया जाएगा। कार्बन उत्सर्जन और कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार कोयले को गैस और रसायन में बदलने के लिए चार परियोजनाएं लगाएगी।

बैटरी स्वैपिंग नीति : कहीं भी बदलें वाहन की बैटरी

परिवहन क्षेत्र ऊर्जा खपत में एक बड़ी हिस्सेदारी रखता है। हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने का कोई भी प्रयास इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के बिना संभव नहीं है। ईवी के उपयोग में फिलहाल चार्जिंग स्टेशनों की पर्याप्त उपलब्धता न होना एक बड़ा संकट है। इसके लिए सरकार चार्जिंग स्टेशनों की श्रृंखला विकसित करने के साथ बैटरी स्वैपिंग नीति लागू करेगी। चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क देश में बढ़े, इसके लिए संचालकों को बिजली की सस्ती दर पर उपलब्धता सुनिश्चित करने की तैयारी है। यदि राष्ट्रीय बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को व्यावहारिक रूप से सफलतापूर्वक लागू कर लिया जाता है तो इलेक्ट्रिक वाहनों की उपभोक्ताओं के बीच स्वीकार्यता बढ़ेगी। बिजली के करंट से दौड़ने वाले वाहनों की मांग बढ़ने का सीधा लाभ ईवी निर्माताओं को मिलेगा। बैटरी स्वैपिंग के तहत उपभोक्ता को यह सुविधा मिलेगी कि वह वाहन की खत्म हो चुकी बैटरी को निर्धारित स्थानों पर चार्ज बैटरी में बदल सकें। हालांकि यह योजना इससे जुड़े मानकों व उसकी स्वीकार्यता पर निर्भर करेगी।

बैटरी स्वैपिंग नीति लागू होने से देश में बैटरी मानकीकरण (स्टैंडर्डाइज़ेशन) शुरू होगा यानी सभी गाड़ियों में एक ही आकार और क्षमता वाली बैटरियां लगाई जाएंगी। अंततः यह ग्राहकों के लिए ही लाभ का सौदा होगा। स्वैप स्टेशन दरअसल एटीएम जैसी स्वचालित इकाई होगी, जिसमें कुछ चार्ज बैटरियां रखी होंगी। इसे किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान से संबद्ध करने के साथ स्वतंत्र रूप से भी स्थापित किया जा सकेगा।

ग्रीन मोबिलिटी ज़ोन : प्रदूषण रहित मार्ग

बजट में ग्रीन मोबिलिटी ज़ोन बनाने का उल्लेख पहली बार किया गया है। स्पेशल मोबिलिटी ज़ोन बनने के बाद इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को एक बड़ा समर्थन मिलेगा। कई राज्यों में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी पर पहले ही सब्सिडी और अन्य कर राहत प्रदान की जा रही है। सोसाइटी ऑफ मैनुफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मौजूदा समय में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग प्रति वर्ष लगभग दो लाख है। यदि प्रारंभिक रूप से देश के दो महानगरों में भी इलेक्ट्रिक वाहन केंद्रित विशेष मोबिलिटी ज़ोन बनाए जाते हैं तो बिजली से चलने वाले

वाहनों की मांग में छह गुना वृद्धि होगी। भारी उद्योग मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान (एनईएमएमपी) 2020 एक राष्ट्रीय मिशन है जो देश में बिजली से चलने वाले वाहनों के त्वरित अंगीकरण तथा उनके विनिर्माण के लिए दृष्टि तथा कार्ययोजना उपलब्ध कराता है। इस योजना की रूपरेखा राष्ट्रीय ईंधन सुरक्षा बढ़ाने, लागत सक्षम व पर्यावरण के अनुकूल परिवहन उपलब्ध कराने तथा भारतीय वाहन उद्योग को वैश्विक विनिर्माण का केंद्र बनाने के लिए तैयार की गई है। एनईएमएमपी 2020 के हिस्से के रूप में, भारी उद्योग मंत्रालय ने 2015 में भारत में इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों (एक्स-ईवी) के अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए 'फेम इंडिया स्कीम' नामक एक योजना का निर्माण किया है। फेम इंडिया स्कीम के इस चरण के चार प्राथमिकता क्षेत्र प्रौद्योगिकीय विकास, मांग सृजन, प्रायोगिक परियोजना तथा चार्जिंग अवसंरचना थे। फेम इंडिया के दूसरे चरण के तहत लगभग 827 करोड़ रुपये की राशि के बराबर मांग प्रोत्साहन के माध्यम से 1 फरवरी, 2022 तक 2,31,257 इलेक्ट्रिक वाहनों को सहायता दी गई है।

ऊर्जा परियोजनाओं के लिए हरित वित्त की व्यवस्था

हरित ऊर्जा परियोजनाओं के समक्ष निवेश एक वैश्विक चुनौती है। नवंबर 2021 में ग्लासगो में आयोजित सीओपी-26 में विकसित और विकासशील देशों के बीच जलवायु न्याय के मुद्दे पर असहमति की सबसे बड़ी वजह हरित वित्त रहा है। भारत जहां एक ओर विकसित देशों को विकासशील देशों में हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण करने की वकालत कर चुका है, वहीं घरेलू मोर्चे पर हरित निवेश जुटाने की दिशा में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया है। केंद्रीय बजट में हरित निवेश को लेकर ग्रीन बांड जारी किए जाने की घोषणा इसी क्रम में लिया गया एक अहम फैसला है। ग्रीन बांड के ज़रिए जहां पर्यावरण अनुकूल हरित परियोजनाओं में निवेश बढ़ेगा, वहीं इससे एक सामान्य नागरिक की सहभागिता भी बढ़ेगी। विशेषज्ञों के मुताबिक ग्रीन बांड में जो लोग निवेश करेंगे, उसका पैसा सिर्फ हरित ऊर्जा परियोजनाओं में लगेगा अर्थात् यह हरित अर्थव्यवस्था में आर्थिक निवेश के नए अवसर लेकर आएगा।

ऊर्जा संरक्षण में हो जनसहभागिता

ऊर्जा के किसी भी संसाधन का संरक्षण ही उसका संवर्धन है। घर से लेकर व्यापार के संचालन में ऊर्जा दक्षता अत्यंत महत्वपूर्ण है। केंद्रीय बजट में बड़ी इमारतों में ऊर्जा ऑडिट किए जाने की घोषणा की गई है। बड़े वाणिज्यिक भवनों में ऊर्जा सेवा कंपनी (ईएससीओ) की स्थापना से ऊर्जा दक्षता बढ़ेगी। इससे ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के क्रियान्वयन को भी प्रभावी बनाया जा सकेगा। ईएससीओ द्वारा ऊर्जा संरक्षण हेतु परियोजना की डिज़ाइनिंग से लेकर उसके निवेश स्तर पर कार्य किया जाता है। ऊर्जा दक्षता बाज़ार का कुल अनुमानित आकार 74,000 करोड़ रुपये है। अब तक इस बाज़ार का केवल 5 प्रतिशत ईएससीओ मोड के माध्यम से मुख्य रूप से प्रकाश और कुछ औद्योगिक अनुप्रयोगों के

क्षेत्रों में दोहन किया गया है। एक व्यावहारिक ईएससीओ उद्योग विकसित करने तथा ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए ऊर्जा मंत्रालय ने एनटीपीसी लिमिटेड, पीएफसी, आरईसी और पॉवरग्रिड के एक संयुक्त उद्यम एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) की स्थापना की है।

ऊर्जा संरक्षण के लिए शून्य कार्बन उत्सर्जन इमारतों को प्रोत्साहित किया जाना इसका एक दीर्घकालिक उद्देश्य है। शून्य कार्बन उत्सर्जन इमारतों में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वह सोलर सिस्टम से पूरी की जाती है। यूरोप के कई देशों में इसे कार्बन फुटप्रिंट कम करने के अनुप्रयोग के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। दिल्ली में पर्यावरण और वन मंत्रालय का कार्यालय इंदिरा पर्यावरण भवन ऊर्जा दक्ष भवन संरचना का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह भवन पूर्ण रूप से प्राकृतिक ऊर्जा पर निर्भर है। इस इमारत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कार्यालयी कामकाज के प्रभावी संचालन के लिए बाहरी ऊर्जा (बिजली) की आवश्यकता नहीं है। लगभग 32 हजार वर्ग मीटर के क्षेत्र में बनी इस सात मंजिला इमारत की छत पर लगे सोलर संयंत्र से बिजली आपूर्ति होती है। घरों एवं बड़े व्यावसायिक भवनों में ऊर्जा दक्षता को प्रेरित करने के लिए मानकों का चलन बढ़ रहा है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (बीईई) द्वारा एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड (ईसीबीसी) तैयार किया गया है। ईसीबीसी को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा बनाए गए नेशनल बिल्डिंग कोड के साथ भी समन्वित किया जा रहा है।

ऊर्जा भंडारण : सुगम पारेषण की अवसंरचना

घरेलू मोर्चे पर ऊर्जा के विभिन्न संसाधनों का उत्पादन जिस गति से बढ़ रहा है, उसी अनुपात में ऊर्जा भंडारण की चुनौती का समाधान करना होगा। बजट में ऊर्जा भंडारण को आधारभूत ढांचे का दर्जा देने की घोषणा की गई है। बिजली, तेल और प्राकृतिक गैस की भंडारण अवसंरचना सुदृढ़ होने से बिजली की एकीकृत ग्रिड (वन नेशन वन ग्रिड) प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए तैयार वन नेशन वन गैस ग्रिड और हरित ऊर्जा कॉरिडोर की संवहन क्षमता बढ़ेगी। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के पहले चरण में 66.5 गीगावॉट का लक्ष्य तय किया गया है। जनवरी 2022 में ही केंद्र सरकार ने इंद्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के फेज-2 को भी स्वीकृति दे दी है। इस परियोजना पर लगभग 12,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे 10,750 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण होगा। केंद्रीय बिजली मंत्रालय लोगों को एकल आधार पर ऊर्जा भंडारण प्रणाली (ईएसएस) स्थापित करने की अनुमति देने की दिशा में भी कार्य कर रहा है। सरकार ईएसएस नीति के तहत इसे लाइसेंस-मुक्त करने की योजना बना रही है। देश में

- सौर ऊर्जा उत्पादन केंद्रित प्रयासों से 60 लाख रोजगार सृजित होने की उम्मीद
- कैन बेतवा लैंक परियोजना से 103 मेगावॉट जलविद्युत व 27 मेगावॉट सौर ऊर्जा उत्पादन का प्रारंभिक लक्ष्य
- भारत की हरित अर्थव्यवस्था 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंचने का अनुमान
- देश में 2070 तक 5 करोड़ नए रोजगार सृजित होंगे।

बड़े पैमाने पर ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए मसौदा नीति पर कंपनियों, उद्योग और विभिन्न सरकारी प्रतिनिधियों के सुझाव मांगे गए हैं। इस नीति का उद्देश्य बिजली क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य शृंखला यानी उत्पादन, पारेषण और वितरण स्तरों पर भंडारण प्रणाली का निर्माण करना है।

हरित हाइड्रोजन से बदलेगा ऊर्जा परिदृश्य

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में जलवायु संकल्प को लेकर भारत की ओर से पंचामृत का लक्ष्य प्रस्तुत किया है। पंचामृत मंत्र में 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन और 2030 तक 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा उत्पादन करने, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 50 प्रतिशत ऊर्जा आवश्यकताओं को प्राप्त करना, कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक अरब टन की कटौती और अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45 प्रतिशत से कम करने के लक्ष्य शामिल हैं। स्पष्ट है कि इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अक्षय ऊर्जा के तमाम अपरिष्कृत स्रोतों (फीडस्टॉक) को बिजली और ईंधन में बदलना होगा।

हाइड्रोजन अक्षय ऊर्जा का अपरीमित स्रोत है। हाइड्रोजन ऊर्जा के महत्व को समझते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, 2021 को 'हाइड्रोजन मिशन' के शुभारंभ की घोषणा की। वित्तीय वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन प्रस्तावित किया गया था। हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य जीवाश्म ईंधन के बजाय पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त करने के लिए अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके हरित हाइड्रोजन उत्पादित करना है। हरित हाइड्रोजन में स्टील, शिपिंग और परिवहन जैसे प्रमुख ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक क्षेत्रों को कार्बन शून्य बनाने की क्षमता है।

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन दस्तावेज़ का मसौदा अंतर-मंत्रालयी व उद्योग जगत के परामर्श के लिए प्रस्तुत किया जा चुका है। एक अनुमान के अनुसार देश की रिफाइनरी, उर्वरक उद्योग और सिटी गैस ग्रिड में इस दशक के अंत तक दो मिलियन मीट्रिक टन सालाना (एमएमटीपीए) हाइड्रोजन ऊर्जा की मांग रहेगी। राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति की प्रासंगिकता इस तथ्य से भी प्रमाणित

केंद्रीय बजट में हरित निवेश को लेकर ग्रीन बांड जारी किए जाने की घोषणा इसी क्रम में लिया गया एक अहम फैसला है। ग्रीन बांड के जरिए जहां पर्यावरण अनुकूल हरित परियोजनाओं में निवेश बढ़ेगा, वहीं इससे एक सामान्य नागरिक की सहभागिता भी बढ़ेगी। विशेषज्ञों के मुताबिक ग्रीन बांड में जो लोग निवेश करेंगे, उसका पैसा सिर्फ हरित ऊर्जा परियोजनाओं में लगेगा अर्थात् यह हरित अर्थव्यवस्था में आर्थिक निवेश के नए अवसर लेकर आएगा।



5 करोड़ नए रोजगार सृजित होंगे। इस तथ्य की पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की उस रिपोर्ट से होती है जिसमें बताया गया है कि 2030 तक भारत की हरित अर्थव्यवस्था 30 लाख रोजगार सृजित करेगी। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर (सीईईडब्ल्यू) और नेचुरल रिसोर्स डिफेंस काउंसिल (एनआरडीसी) के संयुक्त अध्ययन में बताया गया है कि हरित ऊर्जा से जुड़े अधिकांश रोजगार छोटी और मझोली परियोजनाओं में पैदा होंगे। वर्तमान में एक लाख 11 हजार 400 कार्यबल सौर एवं पवन ऊर्जा परियोजनाओं से संबद्ध हैं। हालांकि नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के विकास के साथ हमें इस क्षेत्र

होती है कि अक्षय ऊर्जा के इस स्रोत से जुड़ी परियोजनाओं पर 60 अरब डॉलर के व्यापक निवेश की ज़रूरत है। एनटीपीसी ने सिम्हाद्री (विशाखापत्तनम के पास) में इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग करके हाइड्रोजन उत्पादन के साथ ही “एकल ईंधन-सेल आधारित माइक्रो-ग्रिड” परियोजना की शुरुआत की है। यह भारत की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजना है। यह देश के विभिन्न ऑफ ग्रिड तथा महत्वपूर्ण स्थानों में माइक्रोग्रिड की स्थापना एवं अध्ययन के लिए उपयोगी साबित होगी।

नदी जोड़ो परियोजना से ऊर्जा आत्मनिर्भरता

नदियों को आपस में जोड़कर सिंचाई, पेयजल समेत जिन उद्देश्यों को पूरा किया जाना है, उनमें बिजली उत्पादन एक सह-उत्पाद है। केन बेतवा लिंक परियोजना से 103 मेगावॉट जल विद्युत और 27 मेगावॉट सौर ऊर्जा उत्पादन का प्रारंभिक लक्ष्य है। इससे भविष्य में नदियों को आपस में जोड़कर ऊर्जा आत्मनिर्भरता के नए द्वारा खोले जा सकेंगे। स्पष्ट है कि देश में अगले कुछ दशकों तक लोगों के जीवन-स्तर में गुणात्मक बदलाव लाने के लिए अर्थव्यवस्था को ऐसा समावेशी आधार देना होगा जो हरित ऊर्जा पर मज़बूती से टिका हो। इसके लिए हमें सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में नवोन्मेष, निवेश और नागरिक सहभागिता के मध्य सहक्रियाशीलता का सेतु तैयार करना होगा।

रोज़गार बाज़ार में हरित रोज़गार

द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) के एक अध्ययन के अनुसार भारतीय हरित अर्थव्यवस्था 2030 तक एक ट्रिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच जाएगी। डब्ल्यूईएफ के मुताबिक 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य हासिल करने की अवधि के दौरान देश में

की मांग के अनुसार कौशल युक्त मानव संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी। सीईईडब्ल्यू की रिपोर्ट कहती है कि सूर्यमित्र कौशल विकास कार्यक्रम के तहत ही देश में 2015 से 2017 के बीच 78 हजार लोगों को सौर ऊर्जा परियोजनाओं से जुड़ी तकनीकी दक्षता प्रदान की गई है। सूर्यमित्र कार्यक्रम सौर ऊर्जा क्षेत्र में उम्मीदवारों को नए उद्यमियों के रूप में तैयार करने के लिए भी विकसित किया गया है।

हरित रोजगार के सबसे अधिक अवसर हरित परिवहन, अपशिष्ट प्रबंधन, अक्षय ऊर्जा और शहर केंद्रित कृषि में सामने आ रहे हैं। देश के रोजगार परिदृश्य में हरित हलचल का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने अपनी नई ऊर्जा नीति को स्वर्ण ऊर्जा नीति के रूप में प्रस्तुत किया है। इसके अंतर्गत 2030 तक 10 हजार मेगावॉट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इसमें जलविद्युत, सोलर और अन्य सभी तरह के ऊर्जा विकल्पों को शामिल किया गया है। अकेले हिमाचल प्रदेश के बिजली क्षेत्र में नौ साल में दो लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा। इस अवधि में एक लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। स्पष्ट है कि देश सामाजिक व आर्थिक जीवन के उस अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है, जहां उसे भविष्य के भारत के समावेशी विकास की अवसररचना विकसित करनी है। एक ऐसी ऊर्जामयी आधारभूत संरचना जो भारतीय नागरिकों के जीवन-स्तर को गुणावत्ता प्रदान करने के साथ संपूर्ण जलवायु न्याय की वैश्विक प्रतिबद्धता को भी पूर्ण करे।

(लेखक ऊर्जा विशेषज्ञ हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

ई-मेल : arvindmbj@gmail.com

समावेशी विकास को बढ़ावा

—करिश्मा शर्मा, ईशिता सिरसीकर

वित्तमंत्री ने देश की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए भविष्योन्मुखी बजट पेश किया, जिसमें स्वतंत्रता दिवस की 75वीं सालगिरह से लेकर 100वीं सालगिरह के दौरान हासिल किए जाने वाले लक्ष्यों से जुड़ी रणनीति का खाका भी पेश किया गया है। बजट में समावेशी और सतत विकास की बात की गई है। इसके लिए उत्पादकता में बढ़ोत्तरी, निवेश, बेहतर अवसरों, ऊर्जा संक्रमण, जलवायु संबंधी कार्रवाई, निवेश का वित्तपोषण, कोरोना प्रभावित क्षेत्रों मसलन पर्यटन को प्रोत्साहन, देश के प्राथमिक क्षेत्र में तकनीक के इस्तेमाल और आधारभूत संरचना के विकास से जुड़ी घोषणाएं की गई हैं।

कोरोना का दौर भले ही जारी है, लेकिन 2022 का बजट ऐसे वक्त में आया है, जब आने वाला समय बेहतर होने की उम्मीद है। ज्यादा-से-ज्यादा लोगों को टीकाकरण का लाभ मिलने, कोरोना के नए वैरिएंट के मामलों में लगातार गिरावट और सरकार की हालिया नीतियों पर उद्योग जगत की सकारात्मक प्रतिक्रिया जैसी वजहों से बजट में ऐसी घोषणाएं अपेक्षित थीं, जो अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक विकास से जुड़ी हों। अगर छोटी अवधि के लिहाज से बात की जाए, तो अर्थव्यवस्था में मोटे तौर पर स्थिरता दिख रही है। अखबारों और अन्य मीडिया माध्यमों में प्रकाशित विशेषज्ञों के लेखों में नियमों को आसान बनाने, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) और कोरोना से प्रभावित बाकी उद्योगों को मदद एवं आधारभूत संरचना के विकास की जरूरत पर जोर दिया गया।

वित्तमंत्री ने देश की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए भविष्योन्मुखी बजट पेश किया, जिसमें स्वतंत्रता दिवस की 75वीं सालगिरह से लेकर 100वीं सालगिरह के दौरान हासिल किए जाने वाले लक्ष्यों से जुड़ी रणनीति का खाका भी पेश किया गया है। बजट में समावेशी और सतत विकास की बात की गई है। इसके लिए उत्पादकता में बढ़ोत्तरी, निवेश, बेहतर अवसरों, ऊर्जा संक्रमण, जलवायु संबंधी कार्रवाई, निवेश का वित्तपोषण, कोरोना प्रभावित क्षेत्रों मसलन पर्यटन को प्रोत्साहन, देश के प्राथमिक क्षेत्र में तकनीक के इस्तेमाल और आधारभूत संरचना के विकास से जुड़ी घोषणाएं की गई हैं। आधारभूत संरचना से न सिर्फ आपूर्ति पक्ष से जुड़ी बाधाओं को दूर करने में मदद मिलती है, बल्कि देशभर के दूरदराज वाले और दुर्गम इलाकों को बाकी हिस्सों से जोड़ने में भी सहूलियत होती है।

बजट में सरकार ने आसान कर प्रणाली के अपने वादे को फिर से दोहराया है, जिसके तहत नियमों का बोझ कम करने की बात है। देश की कर प्रणाली में बदलाव बेहद फायदेमंद साबित हुआ है। वित्त वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही में वस्तु और सेवा कर का औसत मासिक संग्रह 1.30 लाख करोड़ (Tn) रुपये रहा, जबकि पहली और दूसरी तिमाही में इस कर संग्रह का आंकड़ा

क्रमशः 1.10 लाख करोड़ रुपये (Tn) और 1.15 लाख करोड़ रुपये रहा।¹

जहां तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का सवाल है, तो बजट में इससे जुड़े भी कई अहम ऐलान किए गए हैं। इसके तहत उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल को एक-दूसरे से जोड़ा जाएगा और उनके दायरे का विस्तार किया जाएगा। इन पोर्टल के पास लाइव डाटाबेस होगा और ये कारोबार से जुड़े उपभोक्ता, कारोबार आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएंगे। एमएसएमई के प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए आरएएमपी कार्यक्रम के तहत 5 साल में 6,000 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव



- ▶ वृद्धि और समावेशी कल्याण पर फोकस
- ▶ तकनीकी समर्थ विकास, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा
- ▶ निजी निवेश, सार्वजनिक पूंजी निवेश में क्राउड से वर्चुअल चक्र की शुरुआत

चार प्राथमिकताएं

- | | |
|----------------------------|---|
| 01 प्रधानमंत्री गति शक्ति | 04 उत्पादकता में वृद्धि एवं निवेश, सनराइज |
| 02 समावेशी विकास | अपरच्युनटीज, ऊर्जा संक्रमण एवं जलवायु संबंधी गतिविधियां |
| 03 निवेश के लिए वित्त पोषण | |

@PIB_India @PIBHindi @pibindia @pibindia PIBindia @PIB_India @PIBHindi @PIBIndia

1. <https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1796308#:~:text=1%2C40%2C986%20crore%20reported%20for%20January%2C%202022&text=The%20average%20monthly%20gross%20Goods,first%20and%20second%20quarters%20respectively.>



- > हर घर नल से जल के अंतर्गत 3.8 करोड़ परिवार
- > पीएम आवास योजना के अंतर्गत 80 लाख मकान
- > आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत पिछड़े ब्लॉकों का विकास
- > वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत उत्तरी सीमा पर गांवों का विकास
- > सभी डाक घरों द्वारा डिजिटल
- > अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां

[@PIB_India](#) [@PIBHindi](#) [@pibindia](#) [@pibindia](#) [PIBIndia](#) [@PIB_India](#) [@PIBHindi](#) [@PIBIndia](#)

है। इससे एमएसएमई क्षेत्र को ज़्यादा बेहतर, प्रतिस्पर्धी और दक्ष बनाने में मदद मिलेगी। एमएसएमई उद्योग न सिर्फ अर्थव्यवस्था में उत्पादन से जुड़े योगदान के लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह क्षेत्र रोज़गार उपलब्ध कराने के नज़रिए से भी अहम है। यह क्षेत्र टीयर-2 और टीयर-3 के शहरों में समृद्धि का असरदार माध्यम बन सकता है। एमएसएमई क्षेत्र को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। खासतौर पर कोरोना शुरू होने के बाद उपजी चुनौतियों के मद्देनजर इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भारत को दुनिया का विनिर्माण केंद्र बनाने में इस क्षेत्र की अहम भूमिका होगी।

देश के बजट को देखा जाए, तो इससे ग्रामीण विकास और कृषि विकास के लिए किए गए प्रावधान से सरकार के इरादों के बारे में काफी कुछ पता चलता है। बजट में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और सामान्य आधारभूत संरचना के विकास पर ज़्यादा ज़ोर है, ताकि देश के अलग-अलग हिस्सों में आवाजाही को सुगम बनाया जा सके। इससे साफ है कि सरकार का इरादा समावेशी तरीके से आगे बढ़ना है।

देश की तकरीबन 68 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है यानी अब भी बड़ी आबादी गांवों में ही निवास करती है। ऐसे में सरकार के लिए यह ज़रूरी है कि वह गांवों में तकनीकी और आधारभूत संरचना स्तर पर ज़रूरी पहल करे, ताकि गांवों के विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके। चूंकि हमारी बहुसंख्यक आबादी गांवों में

रहती है, इसलिए ग्रामीण विकास अहम है। हालांकि, इसका एक और ज़रूरी पहलू यह है कि देश की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी के लिए भी ग्रामीण इलाकों में विकास संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देना बेहद ज़रूरी है। दूरदराज के इलाकों और सीमावर्ती गांवों में आधारभूत संरचना को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 'वाइब्रेंट गांव कार्यक्रम' (वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम) शुरू करने का ऐलान किया है। इस कार्यक्रम के तहत, देश के सीमावर्ती गांवों में ज़रूरी आधारभूत संरचना का विकास किया जाएगा, ताकि वहां आवाजाही को सुगम बनाया जा सके और पलायन को भी रोका जा सके। साथ ही, जिन लोगों ने पलायन किया है, उन्हें वापस लाने की भी कोशिश की जाएगी।

बजट में कृषि क्षेत्र के लिए किए गए प्रावधानों की बात की जाए, तो सरकार का प्रमुख मकसद इस क्षेत्र का आधुनिकीकरण है। मैकिंजी एंड कंपनी के एक शोध के मुताबिक, अगर कृषि क्षेत्र में डिजिटल संयोजन को लागू किया जाता है, तो साल 2030 तक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 500 अरब डॉलर की अतिरिक्त बढ़ोतरी हो सकती है। एक अनुमान के मुताबिक, इससे वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 7 से 9 प्रतिशत यानी 2 से 3 लाख करोड़ (Tn) डॉलर तक की अतिरिक्त बढ़ोतरी हो सकती है।²

संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन द्वारा प्रकाशित एक पत्र में कहा गया है कि कृषि के डिजिटाइजेशन से पूरी दुनिया में तीन स्तरों पर फायदा हो सकता है। इससे भुखमरी को खत्म करने, गरीबी हटाने और समावेशी विकास सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया में कृषि क्षेत्र में डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया को तेज़ करने की ज़रूरत है।³

अगर हम भारत की बात करें, तो आज़ादी के बाद हरितक्रांति की वजह से कृषि क्षेत्र में तेजी से बदलाव देखने को मिला। इस तरह, भारत काफी कम समय में खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है, जबकि पहले उसे खाद्यान्न की कमी का सामना करना पड़ता था। कहने का मतलब यह है कि कृषि क्षेत्र के प्रबंधन और नवाचार से तुरंत बदलाव किए जा सकते हैं, जिससे उत्पादकता में बढ़ोतरी मुमकिन होगी।

पिछले दो साल में नवाचार और अर्थव्यवस्था पर स्टार्टअप का असर साफतौर पर देखने को मिल रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस साल बजट में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए स्टार्टअप की भूमिका बढ़ाने को लेकर भी खाका पेश किया है। इसके तहत बजट में मिश्रित पूंजी वाला फंड (सह-निवेश पर आधारित मॉडल) बनाने की घोषणा की गई है। इस फंड पर नाबार्ड के जरिए काम किया जाएगा। फंड के जरिए कृषि और ग्रामीण उद्यमों से जुड़ी स्टार्टअप फर्मों का वित्तपोषण किया जाएगा। स्टार्टअप संबंधी गतिविधियों में, किसान उत्पादक संगठनों को मदद, किसानों को खेती के लिए किराए पर मशीन उपलब्ध कराना और तकनीकी सहयोग शामिल हैं।⁴

कृषि में आधुनिकीकरण का मतलब सिर्फ तकनीक का ज़्यादा

2. <https://www.mckinsey.com/industries/agriculture/our-insights/agricultures-connected-future-how-technology-can-yield-new-growth>
3. <https://www.fao.org/3/ca4887en/ca4887en.pdf>

“सीमावर्ती गांव जहां की जनसंख्या बहुत ही छिटपुट है, उनकी कनेक्टिविटी और बुनियादी सुविधाएं बहुत ही सीमित है, विकास के लाभ से वंचित रह गए हैं। उत्तरी सीमा के ऐसे ही गांवों को नए वाइब्रेंट विलेजज कार्यक्रम के अंतर्गत लाया जाएगा।”

—वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण

से ज्यादा इस्तेमाल नहीं है। खेती के आधुनिक तौर-तरीकों को पेश करने के लिए बजट में व्यापक योजना तैयार की गई है। राज्य सरकारों की भागीदारी की मदद से केंद्र सरकार किसानों के लिए समग्र पैकेज मुहैया कराएगी, ताकि किसान फल और सब्जियों की अच्छी किस्म की खेती करने के साथ-साथ उत्पादन और फसल कटाई की बेहतर तकनीक का इस्तेमाल कर सकें। बजट के मुताबिक, देशभर में रासायनिक खाद-कीटनाशक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत, सबसे पहले गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर लंबे कॉरीडोर में मौजूद खेतों पर फोकस किया जाएगा।⁵ फसलों की निगरानी, ज़मीन के रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन, कीटनाशक दवाओं के छिड़काव और पोषक तत्वों के इस्तेमाल के लिए 'किसान ड्रोन' को बढ़ावा दिया जाएगा। तिलहन फसलों के घरेलू उत्पादन में बढ़ोत्तरी के लिए भी एक व्यापक योजना को लागू किया जाएगा। केन-बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने के मकसद से इस पर 44,605 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस परियोजना से 9.08 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी और 62 लाख लोगों को पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। साथ ही, 103 मेगावॉट की जलविद्युत परियोजना और 27 मेगावॉट की सौर ऊर्जा परियोजना को भी चालू किया जा सकेगा।⁶

समग्र और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए कृषि की हालत में सुधार बेहद ज़रूरी है। बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी बड़े पैमाने पर प्रावधान किए गए हैं। ये दोनों क्षेत्र आधुनिक अर्थव्यवस्था के विकास से जुड़े दो स्तंभ हैं। कोरोना की वजह से स्कूलों में अचानक से ऑफलाइन प्रणाली के बजाय ऑनलाइन प्रणाली लागू हो जाने से कई छात्र-छात्राओं और शिक्षकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस बात को ध्यान में रखते हुए बजट में शिक्षा और कौशल से जुड़े कई उपायों की घोषणा की गई है, ताकि रोज़गार के साथ-साथ इसके लिए ज़रूरी कौशल को भी बढ़ावा दिया जा सके। पूरक शिक्षा मुहैया कराने और शिक्षा से जुड़ी बेहतर व्यवस्था के लिए पीएम ईविद्या के तहत 'एक कक्षा-एक टीवी चैनल' कार्यक्रम का विस्तार 12 से 200 टीवी चैनलों पर किया जाएगा, ताकि पहली से बारहवीं कक्षा तक

स्थानीय भाषाओं में पूरक शिक्षा उपलब्ध हो सके।⁷ इसके अलावा, भारतीय छात्र-छात्राओं को विश्वस्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराने के मकसद से डिजिटल विश्वविद्यालय भी स्थापित किया जाएगा, ताकि वे कहीं से भी इस संस्थान का लाभ उठा सकें। साथ ही, नागरिकों के सशक्तीकरण के लिए देश-स्टैक-ई-पोर्टल योजना शुरू की जाएगी। इस योजना का मकसद डिजिटल प्रणाली का इस्तेमाल कर नागरिकों को कौशलयुक्त बनाना या उनके मौजूदा कौशल को और बेहतर बनाना है।⁸

सरकार ने बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति के तहत 1975 में एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम शुरू किया था। आंगनवाड़ी केंद्र इस कार्यक्रम का ज़रूरी हिस्सा थे, जिनका मकसद 6 साल से कम उम्र के बच्चों और उनकी माताओं को भोजन, स्वास्थ्य सुविधाएं, प्रारंभिक शिक्षा और अन्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पास कई तरह की कार्यों की ज़िम्मेदारी होती है, जिनमें छोटे बच्चों की देखभाल, प्रारंभिक शिक्षा और नवजातों व उनकी माताओं को पोषण सुनिश्चित करना है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को गांव-गांव से मां और नवजात बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर से जुड़े आंकड़े भी इकट्ठा करने पड़ते हैं। देश के अलग-अलग आंगनवाड़ी केंद्रों में काम करने वाली कार्यकर्ताओं और परिचारिकाओं की संख्या क्रमशः 12.8 लाख और 11.6 लाख हैं।⁹

हालांकि, कुछ आंगनवाड़ी केंद्रों को आज आधारभूत संरचना की कमी, कर्मचारियों की किल्लत और स्वच्छता की समस्या जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन चुनौतियों से

केंद्रीय बजट
2022-23
की मुख्य बातें

2 लाख आंगनवाड़ियों को
सक्षम
आंगनवाड़ी
में अपग्रेड किया जाएगा

नई पीढ़ी की इन
आंगनवाड़ियों के पास
बच्चों के प्रारंभिक
विकास के लिए उन्नत
परिवेश उपलब्ध है



my GOV
मेरे सरकार

MINISTRY OF
WOMEN AND CHILD
DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA

4. https://www.indiabudget.gov.in/doc/budget_speech.pdf
5. <https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1794167>
6. <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1794165>
7. <https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1794167>
8. <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1794165>
9. <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1794165>
10. <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1794165>
11. https://www.indiabudget.gov.in/doc/budget_speech.pdf



1/2

- ⊕ राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य परिवेश तैयार होगा
- ⊕ क्वालिटी काउंसलिंग के लिए नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू होगा
- ⊕ एकीकृत ढांचा: मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 शुरू किया जाएगा
- ⊕ दो लाख आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ी में अपग्रेड किया जाएगा

@PIB_India @PIBHindi @pibindia @pibindia PIBIndia @PIB_India @PIBHindi @PIBHindi

निपटने के लिए वित्तमंत्री ने 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को 'सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र' में बदलने का ऐलान किया है।¹⁰ ये केंद्र नए दौर के आंगनवाड़ी केंद्र होंगे और इनमें बेहतर आधारभूत संरचनाओं के साथ-साथ शिक्षण में दृश्य-श्रव्य माध्यमों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा, छोटे बच्चों के लिए बेहतर माहौल मुहैया कराने के मकसद से इन केंद्रों को स्वच्छ ऊर्जा की सुविधा मिलेगी। केंद्रीय बजट 2022-23 में सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 अभियान के लिए 20,263 करोड़ रुपये का प्रावधान करने का प्रस्ताव है।¹¹

बजट में लोगों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी पहल की गई है। बजट भाषण में कहा गया कि कोरोना की वजह से सभी आयु वर्ग के लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ा है। देश की स्वास्थ्य प्रणाली की डिजिटलाइजेशन प्रक्रिया में टेली-मेडिसिन संबंधी पहल की सफलता के बाद बजट में राष्ट्रीय टेली-मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गई है, ताकि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर नागरिकों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण सलाह मिल सके। इसके तहत, 23 टेली-मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय मानसिक जांच एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहांस) को नोडल केंद्र बनाया गया है, जबकि अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान,

बेंगलुरु तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा। गौरतलब है कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चिकित्सकों की सेवाएं भारत समेत दुनिया भर में काफी महंगी हैं और कई लोग इसे गैर-जरूरी मानते हैं। अतः, यह कार्यक्रम न सिर्फ जरूरी सहयोग उपलब्ध कराएगा, बल्कि देशभर के लोगों के लिए सस्ती सेवाएं भी सुनिश्चित करेगा।

जैसाकि पहले बताया जा चुका है, 2022-23 के बजट में समावेशी विकास को प्राथमिकता सूची में काफी ऊपर रखा गया है। समावेशी विकास से आशय, सामाजिक और आर्थिक, दोनों तरह के समावेशन से है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए इस सिलसिले में अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। इस योजना के तहत सभी लोगों के लिए घर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 48,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।¹² योजना के तहत, 2015 से लेकर अब तक एक करोड़ पच्चा मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इस पहल से न सिर्फ सस्ते-महंगे मकानों के असंतुलित अनुपात को दुरुस्त करने में मदद मिलेगी, बल्कि गांवों से शहरों में होने वाले पलायन से उपजी चुनौतियों से भी निपटा जा सकेगा। इसके जरिए यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि गांवों से शहरों में पलायन करने वालों को घर की दिक्कत नहीं हो।

वरिष्ठ नागरिकों और ग्रामीण लोगों को आधुनिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 1.5 लाख डाकघरों को कोर बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने का फैसला किया है।¹³ नतीजतन, डाकघरों में खाता रखने वाले भी नेटबैंकिंग की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे और उनके लिए डाकघरों और बैंकों के खातों में पैसा ट्रांसफर करना आसान होगा। ग्रामीण भारत में भी इंटरनेट का तेजी से फैलाव हो रहा है। ऐसे में, गांव और शहर के बीच खाई पाटने की दिशा में सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है।

भारत में व्यापक स्तर पर हुए टीकाकरण का लाभ अगले दो वर्षों यानी 2022 और 2023 के दौरान देखने को मिलेगा। साथ ही, अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर आधारभूत संरचना संबंधी विकास की वजह से अर्थव्यवस्था की रिकवरी में भी मदद मिलेगी। गौरतलब है कि भारत उन देशों में शामिल है, जिसने कोरोना के शुरुआती दौर यानी मार्च 2020 में ही सक्रियता दिखाते हुए इस महामारी से निपटने के लिए सामाजिक दूरी और अन्य सख्त मानकों को लागू किया था। कुल मिलाकर कहा जाए, तो 2022-23 का बजट भविष्योन्मुखी और बड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने वाला है। साथ ही, बजट में बारीक विवरणों का भी ध्यान रखा गया है, ताकि निकट भविष्य में भारत को इसका भी लाभ मिल सके।

(लेखिका द्वय इवेस्ट इंडिया की स्ट्रेटेजिक इवेस्टमेंट यूनिट में रिसर्चर हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

ई-मेल : karishma.sharma@investindia.org
ishita.siriskar@investindia.org

12. <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1794165>

13. <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1794165>

नारी और युवा सशक्तीकरण

—पीयूष प्रकाश, डॉ. प्रेम सिंह

यह बजट एक दूरदर्शी पहल है। बेशक अभी भी हमें एक लंबा फासला तय करना है। भौतिक बुनियादी ढांचे की तुलना में सामाजिक परिवर्तन धीमा होता है और इसे किसी पैमाने से मापा नहीं जा सकता। इस तरह के बदलाव के लिए न केवल सरकार बल्कि सभी नागरिकों के प्रयासों की आवश्यकता होती है। लिहाजा, प्रधानमंत्री का 'सबका प्रयास' का आह्वान सफलता के लिए ज़रूरी हो जाता है। भारत सही मायनों में तभी अमृतकाल में नए जोश से भरी नारी और युवा शक्ति का लाभ उठा सकता है। बजट 2022 ने इस दिशा में नई राह दिखाई है।

बजट के दिन का हर किसी को इंतज़ार रहता है। व्यापक तौर पर अपेक्षित और बजट में अक्सर घोषित योजनाओं का गहन विश्लेषण किया जाता है; इन पर सार्वजनिक चर्चा होती है, तथा अर्थव्यवस्था के मुखर तबकों को विभिन्न मीडिया मंचों पर सुना और पढ़ा जाता है। बेशक कोई कहे कि 2022 का बजट अनूठा नहीं है। लेकिन इस बजट में समाज के उन तबकों के सशक्तीकरण पर ध्यान दिया गया है जो असंगठित हैं और जिनकी आवाज़ विभिन्न कारणों से नहीं सुनी जाती। यह बजट अवसंरचना को मज़बूत बनाने और प्रभावशाली पूंजी परिव्यय के लिए चर्चा में है। साथ ही, इसमें बच्चों, युवाओं और महिलाओं की ओर ध्यान देकर सामाजिक अवसंरचना के निर्माण पर जोर देने की दूरदर्शिता दिखाई गई है।

केंद्रीय वित्त सचिव टीवी सोमनाथन के अनुसार सरकार का एक रुपये का पूंजीगत व्यय एक से दो वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग दो से तीन रुपये का इज़ाफा करता है। दूसरी ओर, नकद हस्तांतरण जैसे राजस्व व्यय जीडीपी में 0.90 से 0.99 रुपये ही जोड़ते हैं। कोविड-19 की वैश्विक महामारी की वजह से आए आर्थिक संकट को देखते हुए 2022 के बजट में पूंजीगत व्यय पर खासतौर से जोर दिया गया है।

अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने तथा विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं को अधिक आर्थिक अवसर उपलब्ध कराने के मकसद से पूंजीगत परिव्यय में 35.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ इसके लिए 7.5 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

भारत को महिला और युवा शक्ति का दोहरा फायदा है। भारत 28-29 वर्ष की औसत आयु के साथ दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। वर्तमान में भारतीय जनसंख्या का 55.8 प्रतिशत हिस्सा 20 से 59 उम्र वाला कामकाजी वर्ग है जिसमें लगभग आधी महिलाएं हैं। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक यदि महिलाओं को पुरुषों के बराबर रोजगार दिए जाएं तो भारत की जीडीपी विकास दर 9 प्रतिशत से ऊपर रह सकती है। अगर सिर्फ 50 प्रतिशत महिलाएं भी कामकाजी हो जाएं तो भारत अपनी विकास दर को हर साल 1.5 प्रतिशत बढ़ा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार वास्तविक परिवर्तन तभी संभव होगा जब देश में महिलाओं और युवाओं के जीवन के इर्दगिर्द सार्वजनिक सेवाओं और क्षमता निर्माण

का एक मददगार वातावरण तैयार किया जाए। बजट 2022 में इस पहलू पर खासतौर से ध्यान दिया गया है। इसमें जीवन चक्र का दृष्टिकोण अपनाते हुए महिलाओं और युवाओं के लिए एक अनुकूल ढांचे को तैयार करने पर जोर दिया गया है।

नारी शक्ति : बुनियाद से रोजगार तक

• प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में इस बात को रेखांकित किया गया है कि बच्चे के मस्तिष्क का 85 प्रतिशत से अधिक विकास छह वर्ष की आयु से पहले हो जाता है। अन्य शोध अध्ययनों से भी पता चलता है कि वास्तव में बच्चे के समग्र मानसिक विकास का 80 प्रतिशत तीन साल की उम्र तक हो चुका होता है। यह तथ्य बच्चे के स्वस्थ मानसिक विकास के लिए प्रारंभिक वर्षों में उचित देखभाल, पोषण और मस्तिष्क उद्दीपन के महत्व की ओर



प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रहा है।

एक मार्च, 2021 को महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 'पोषण ट्रेकर' शुरू किया जिसका उपयोग विकास में अवरोध, अपक्षय तथा कम वज़न वाले बच्चों की लगातार पहचान के लिए किया जा रहा है। इसके जरिए पोषण वितरण सेवा की अंतिम छोर तक डिलीवरी तथा इस प्रक्रिया की निगरानी भी की जाएगी। मिशन पोषण 2.0 को 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है। इस पर केंद्र सरकार 181703 करोड़ रुपये और राज्य सरकारें 102031 करोड़ रुपये खर्च करेंगी। मिशन के लिए केंद्र के हिस्से में लगभग 10108.76 करोड़ रुपये (10.99 प्रतिशत) की वृद्धि की गई है।³ यह लक्षित मिशन सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक बच्चा स्वस्थ रहे, आयु से संबंधित विकास मानदंडों को पूरा करे और

इशारा करता है।¹ दरअसल, प्रसव-पूर्व अवस्था भ्रूण के मस्तिष्क के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बजट में प्रधानमंत्री मिशन पोषण 2.0 पर जोर दिया है। यह भ्रूणावस्था और प्रारंभिक बचपन में विकास और माताओं की सहायता के दीर्घकालिक मसले के समाधान की ओर एक स्वागत योग्य कदम है।

मिशन पोषण 2.0 एक समेकित पोषण सहायता कार्यक्रम है। यह पोषण सामग्री और उसके वितरण में रणनीतिक बदलाव के माध्यम से बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करने वाला कार्यक्रम है। साथ ही यह कार्यक्रम स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती और रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने की प्रक्रियाओं के विकास और उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए एक समेकित परिवेश तैयार करता है।²

मिशन का फोकस मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के आहार के मानदंड, मामूली और गंभीर कुपोषण के उपचार तथा आयुष के माध्यम से स्वस्थ जीवन पर है। कार्यक्रम में इन क्षेत्रों के लिए दो-आयामी रणनीति अपनाने पर जोर दिया गया है। पहला, पोषण अभियान के जरिए बड़े पैमाने पर जागरूकता की मुहिम शुरू करने की योजना है। यह अभियान लोगों तक पहुंच बनाने का प्रमुख जरिया होगा। इसमें पोषण संबंधी सहायता, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप, मीडिया सहयोग और अनुसंधान, सामुदायिक पहुंच तथा जन आंदोलन से संबंधित नवोन्मेष शामिल होंगे। दूसरा, यह मिशन इस दिशा में होने वाली प्रगति पर लगातार नज़र रखने तथा वितरण तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने में

बचपन की प्रारंभिक शिक्षा के लिए तैयार हो।

• बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए तैयार करना

बचपन में दी जाने वाली प्रारंभिक शिक्षा एक सफल व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन की बुनियाद है। अध्ययनों से पता चला है कि विद्यालय में दाखिले के समय बच्चे के ज्ञानार्जन का स्तर स्कूली शिक्षा के लिए उसकी तैयारी से प्रभावित होता है। इस तैयारी में शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक-भावनात्मक विकास शामिल हैं। ग्रामीण भारत में पहली कक्षा के लगभग 43 प्रतिशत छात्र अक्षरों को नहीं पहचान पाते। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (एएसईआर) के अनुसार देश में केवल 30 प्रतिशत बच्चे ही स्कूली शिक्षा के लिए तैयार हैं। विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए बहुत कम बच्चों का दाखिला इसका एक कारण है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के 2014 के त्वरित सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि तीन से छह वर्ष आयु के 27 प्रतिशत बच्चे किसी भी विद्यालय पूर्व संस्थान में नहीं जाते हैं।

प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा प्रभाव अध्ययन, 2017 के अनुसार बच्चे आंगनवाड़ी में अपने कुल 4-5 घंटों में से केवल 35 मिनट ही खेल आधारित शिक्षा की गतिविधियों में बिताते हैं। राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान (एनआईपीसीसीडी) के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्र में विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए अनुशासित समय 207 मिनटों में से 120 मिनट है। इस स्थिति में एक मजबूत प्रारंभिक बाल शिक्षा प्रणाली लागू करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। एनईपी 2020 में भारत में विद्यालय पूर्व शिक्षा को अधिक उत्साहवर्धक बनाने के लिए रोडमैप तैयार किया गया है। बजट 2022 में देश में दो लाख 'सक्षम आंगनवाड़ियां' बनाने की घोषणा से इस दिशा में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। वित्तमंत्री

1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

2 <http://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1794595>

3 उपरोक्त; 4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

ने जिन सक्षम आंगनवाड़ियों की घोषणा की वे नई पीढ़ी के ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र हैं जहां बेहतर बुनियादी सुविधाएं मौजूद होंगी। स्वच्छ ऊर्जा संचालित और ऑडियो विजुअल उपकरणों से लैस ये आंगनवाड़ियां प्रारंभिक विकास के लिए उचित वातावरण प्रदान करेंगी। इन आंगनवाड़ियों में सक्षम बालिकाओं और सक्षम बालकों को तैयार करने की क्षमता है। ये बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए बेहतर ढंग से तैयार करती हैं।

• **उच्च गुणवत्ता वाली स्कूली शिक्षा का अंतिम छोर तक प्रसार सुनिश्चित करना**

एनईपी 2020 में स्वीकार किया गया है कि कोविड-19 की वैश्विक महामारी शुरू होने से पहले ही देश शिक्षा के संकट से जूझ रहा था। एक अनुमान के अनुसार पांच करोड़ से अधिक बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान का अभाव है यानी उनमें अक्षरों को पढ़ने और समझने की क्षमता नहीं है। वे अंकों को जोड़ने और घटाने की क्षमता भी नहीं रखते। देश भर में वैश्विक महामारी की वजह से स्कूल बंद रहने से यह स्थिति और भी विकट हो गई है।

महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा सीखने-सिखाने का प्रमुख तरीका बन गई। एएसईआर के अनुसार इस बदलाव ने शिक्षा तक पहुंच में समानता के स्तर को बढ़ाया है। स्मार्टफोन की उपलब्धता 2018 में 36.5 प्रतिशत से बढ़ कर 2021 में 67.6 प्रतिशत हो गई। लेकिन गरीब छात्रों के सामने उच्च वर्ग के विद्यार्थियों की तुलना में ऑनलाइन पढ़ाई में अधिक कठिनाइयां आती हैं। ऑनलाइन पढ़ाई में छात्रों को स्मार्टफोन की अनुपलब्धता, अपना अलग फोन नहीं होने तथा नेटवर्क या कनेक्टिविटी की समस्या जैसी चुनौतियां का सामना करना पड़ा।⁴ इसी अध्ययन के अनुसार केवल 27 प्रतिशत बच्चों के पास पढ़ाई के लिए अलग से स्मार्टफोन हैं। इसके अलावा 47 प्रतिशत बच्चे कभी-कभी ही इसका उपयोग कर पाने की स्थिति में हैं। कुल 26.1 प्रतिशत बच्चों के परिवारों के पास स्मार्टफोन हैं ही नहीं। ऐसे हालात में प्रधानमंत्री ई-विद्या की घोषणा शिक्षा को अंतिम छोर तक पहुंचाने में सहायक होगी। इसके अंतर्गत डिजिटल, ऑनलाइन तथा ऑनएयर माध्यमों के मिले-जुले उपयोग से शिक्षा के प्रसार का प्रावधान किया गया है।

ऑनलाइन पढ़ाई में अक्षम दूरदराज के क्षेत्रों के बच्चों के लिए रेडियो प्रसारण का उपयोग किया जा रहा है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) की नौवीं से बारहवीं तक की शिक्षा सामग्री प्रसारित करने के लिए 289 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों से प्रसारण का सहारा लिया जा रहा है। नौवीं से बारहवीं तक के छात्र 'शिक्षा वाणी' पॉडकास्ट का भी प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहे हैं। इस पॉडकास्ट में पहली कक्षा से लेकर बारहवीं कक्षा तक सभी विषयों की 430 से अधिक ऑडियो सामग्री मौजूद है।

'वन क्लास-वन टीवी' चैनल को कक्षा एक से 12 तक के

“देश भर के विद्यार्थियों को उनके द्वार पर व्यक्तिगत अधिगम अनुभव के साथ विश्वस्तरीय गुणवत्तापूर्ण सर्वसुलभ शिक्षा देने के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। यह विभिन्न भारतीय भाषाओं और आईसीटी फॉर्मेट में उपलब्ध कराया जाएगा।”








—वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण

ऐसे छात्रों के लिए शुरू किया गया जिनके पास किसी भी तरह के स्मार्ट डिवाइज़ या इंटरनेट की सुविधा नहीं है। हालांकि चैनलों की संख्या सीमित होने के कारण सभी राज्यों में उनकी भाषा में सामग्री को लगातार वितरित नहीं किया जा सका। बजट 2022 में प्रधानमंत्री ई-विद्या योजना के तहत 'वन क्लास-वन टीवी' चैनल कार्यक्रम को 12 से बढ़ा कर 200 चैनलों तक करने की घोषणा की गई है। इससे शिक्षा के प्रसार में भाषा की समस्या को हल करने में मदद मिलेगी। इस कार्यक्रम के तहत डिजिटल शिक्षकों के माध्यम से इंटरनेट, मोबाइल फोन, टीवी और रेडियो के जरिए सभी भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली ई-सामग्री विकसित की जाएगी। इस पहल से स्कूल खुलने के बाद भी बच्चों को पूरक शिक्षा में मदद मिलेगी। यह कार्यक्रम खास कर स्कूल में दाखिला लेने वाली लड़कियों के लिए काफी मददगार साबित होगा।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) की 2017-18 की 75वें दौर की गणना के अनुसार उच्चतर माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के लिए किया जाने वाला सालाना खर्च 2860 रुपये था, जो लड़कों की तुलना में काफी कम है। 'घरेलू सामाजिक उपभोग: शिक्षा' पर इस रिपोर्ट के अनुसार पारिवारिक बजट और संसाधनों के उपभोग में लड़कियों के खिलाफ एक स्पष्ट पूर्वाग्रह दिखाई



गुणवत्तापूर्ण कौशल के साथ स्मार्ट इंडिया का निर्माण

-  सार्वभौम शिक्षा के साथ डिजिटल विश्वविद्यालय
-  डिजिटल शिक्षकों के जरिये उच्च गुणवत्ता वाली ई-सामग्री
-  ड्रोन एज अ सर्विस के लिए ड्रोन शक्ति की सुविधा उपलब्ध कराएंगे स्टार्टअप्स
-  देश-स्टैक ई-पोर्टल की शुरुआत: कौशल एवं आजीविका के लिए डिजिटल परिवेश
-  'वन क्लास वन टीवी' चैनल कार्यक्रम का 12 से 200 टीवी चैनलों तक विस्तार
-  गणित एवं विज्ञान में 750 वर्चुअल लैब
-  उपयुक्त शैक्षणिक माहौल के लिए 75 कौशल ई-प्रयोगशालाएं

4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
5. आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22



देता है। महामारी के दौरान आय के स्रोत घटने से स्थिति और भी खराब हो गई है। पूरे दिन चलने वाले क्षेत्रीय भाषाओं के चैनलों से लड़कियों में स्कूली शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जा सकेंगे। विशेष कर तब जब भारत के सभी क्षेत्रों और दर्जों में शिक्षा का स्तर काफी गिर गया है।

• रोज़गार के लिए क्षमता निर्माण

भारत में रोज़गार के परिदृश्य में एक विरोधाभासी स्थिति दिखायी पड़ती है। देश में हज़ारों लोग नौकरी की तलाश कर रहे

हैं। दूसरी तरफ, कई कंपनियों को सही प्रतिभाएं खोजने में मुश्किल पेश आ रही है। रोज़गार का मुद्दा एक गंभीर समस्या है जिसे दूर करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण चाहिए। हाल के वर्षों में भारत सरकार के प्रयासों से कुशल और रोज़गार योग्य श्रमिकों का एक पूल बनाया गया है। इसके बहुत आशाजनक परिणाम सामने आए हैं। भारत में नियोजनीयता 2015 में 37.22 प्रतिशत से बढ़ कर 2021 में 45.9 प्रतिशत हो गई है।⁶ हालांकि व्यावसायिक शिक्षा तथा स्कूलों और कॉलेजों में व्यावहारिक अनुभव की कमी की वजह से रोज़गार चाहने वाले प्रतिभावान व्यक्तियों का पूल तैयार करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। एनईपी 2020 से 2025 तक में स्कूली और उच्च शिक्षा में 50 प्रतिशत छात्रों को व्यावसायिक ज्ञान में पारंगत करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें कक्षा छह से ही छात्रों को भविष्य के लिए कोडिंग सिखाने का प्रावधान भी है।

शिक्षा के लिए एकीकृत ज़िला सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई) के 2019-20 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर के 1,12,674 सरकारी स्कूलों में कुल 1,10,84,787 छात्र पढ़ते हैं। इनमें से 10,992 यानी 10 प्रतिशत स्कूलों में 12,08,485 छात्रों को राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के तहत व्यावसायिक शिक्षा दी जा रही है। भारत सरकार ने स्कूलों के साथ ही कॉलेजों में भी व्यावसायिक शिक्षा की पैठ बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिल कर स्कूलों में कौशल विकास प्रशिक्षण के कार्यान्वयन के चार वर्षीय मॉडल (नौवीं से 12वीं कक्षा) को बदल कर दो वर्षीय (11वीं और 12वीं कक्षा) कर दिया है। इसके अंतर्गत 21 क्षेत्रों में 73 रोज़गारों से संबंधित प्रशिक्षण का प्रावधान है।

6. इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2021 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

बजट 2022 विशेष रूप से व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में आलोचनात्मक सोच और रचनात्मकता को बढ़ावा देने पर जोर देता है। वर्ष 2022-23 के दौरान विज्ञान और गणित के विषयों की 750 आभासी प्रयोगशालाएं और 75 कौशल ई-प्रयोगशालाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है। आभासी प्रयोगशालाओं से भारत सरकार की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी नीति के तहत देश के दूरदराज के क्षेत्रों में उच्चस्तरीय व्यावसायिक कौशल की पहुंच सुनिश्चित होगी।

युवाओं में रोजगार की स्थिति उच्च शिक्षण संस्थाओं में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता से भी जुड़ी है। बजट 2022 में एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना का साहसिक कदम उठाया गया है। यह विश्वविद्यालय विभिन्न भारतीय भाषाओं में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी फॉर्मेट में देश भर के छात्रों तक विश्वस्तरीय सार्वभौमिक शिक्षा की पहुंच को आसान बनाएगा। यह पहल देश के दूरस्थ इलाकों में खास कर लड़कियों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा देने में युगांतरकारी सिद्ध हो सकती है। अधिकांश लड़कियां घरेलू कामकाज, सुरक्षा की चिंताओं और घर से कॉलेज की दूरी जैसे कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पातीं। लेकिन अब छत्तीसगढ़, बिहार या नगालैंड की भी कोई लड़की भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे शीर्ष संस्थानों के प्राध्यापकों से अपने समय और सुविधा के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सकेंगी। वित्तमंत्री के बजट 2022 के भाषण में 2020 से 2025 तक सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने की घोषणा की गई है। यह कदम डिजिटल विश्वविद्यालय की पहल को मज़बूत करेगा।

एनईपी 2020 के जरिए उच्च शिक्षा क्षेत्र में नए बदलाव किए गए हैं। प्रशिक्षण, अनिवार्य इंटर्नशिप और परियोजना आधारित शिक्षा से हमारे स्नातक छात्रों को रोजगार प्राप्त करने में आसानी होगी। बजट 2022 में घोषित देशस्टैक ई-पोर्टल इस दिशा में बड़ा बदलाव लाएगा। कौशल और जीवनयापन के लिए डिजिटल परिवेश/देशस्टैक ई-पोर्टल का उद्देश्य ऑनलाइन प्रशिक्षण के जरिए नागरिकों का कौशल विकास करना और उनका सशक्तीकरण है। यह पोर्टल बेहतर रोजगारों और उद्यमशीलता के अवसरों को खोजने के लिए एपीआई आधारित विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है। युवाओं के लिए यह पोर्टल एक संपूर्ण समाधान है। स्मार्टफोन के माध्यम से युवा अपने कौशल उन्नयन के अलावा नए हुनर भी सीख कर उसके अनुरूप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं।

इन कदमों से युवाओं और महिलाओं के लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा। बजट 2022 में खासतौर से लड़कियों और महिलाओं समेत युवाओं के लिए एक मज़बूत मददगार व्यवस्था तैयार की गई है। बजट में घोषित 'मिशन शक्ति' के तहत दो उपयोजनाएं 'संबल' और 'समर्थ' शुरू की गई हैं। इनमें समेकित देखभाल, सुरक्षा, संरक्षा, पुनर्वास और सशक्तीकरण के जरिए महिलाओं के लिए एकीकृत, नागरिक केंद्रित जीवनचक्र समर्थन की परिकल्पना की गई है। संबल उपयोजना महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। दूसरी



ओर, समर्थ उपयोजना का मकसद महिलाओं का सशक्तीकरण है। समर्थ उपयोजना में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास तथा कामकाजी माताओं के शिशुओं के लिए राष्ट्रीय क्रेच योजना जैसे कदमों से उन्हें सशक्त बनाया जा सकेगा। यह तथ्य भी ध्यान देने योग्य है कि लैंगिक समानता बजट 2021-22 में आवंटित 1,53,326.28 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 2022-23 में 1,71,006.47 करोड़ रुपये कर दिया गया है। पर्याप्त संसाधनों के साथ क्षमता विकास पर ध्यान केंद्रित करने से महिलाओं और युवाओं को व्यावसायिक और राष्ट्रीय विकास की दिशा में तैयार किया जा सकेगा।

निष्कर्ष

यह बजट एक दूरदर्शी पहल है। बेशक अभी भी हमें एक लंबा फासला तय करना है। भौतिक बुनियादी ढांचे की तुलना में सामाजिक परिवर्तन धीमा होता है और इसे किसी पैमाने से मापा नहीं जा सकता। इस तरह के बदलाव के लिए न केवल सरकार बल्कि सभी नागरिकों के प्रयासों की आवश्यकता होती है। लिहाजा, प्रधानमंत्री का 'सबका प्रयास' का आह्वान सफलता के लिए ज़रूरी हो जाता है। समाज के सभी संबंधित व्यक्तियों के सक्रिय और समन्वित प्रयासों से प्रभावी कार्यान्वयन तथा वास्तविक और समय पर फीडबैक सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इससे योजनाओं को ज़मीनी वास्तविकताओं के अनुरूप भविष्य के लिए बेहतर बनाया जा सकेगा। भारत सही मायनों में तभी अमृतकाल में नए जोश से भरी नारी और युवा शक्ति का लाभ उठा सकता है। बजट 2022 ने इस दिशा में नई राह दिखाई है।

(पीयूष प्रकाश नीति आयोग में वरिष्ठ एसोसिएट हैं; डॉ. प्रेम सिंह नीति आयोग में एडवाइज़र (शिक्षा) हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।) ई-मेल : piyush.praakash90@gov.in

नदी जोड़ो अभियान

—प्रमोद भार्गव

बजट में अर्थव्यवस्था की तात्कालिक ज़रूरतों से कहीं ज़्यादा बेहतर भविष्य के लिए दीर्घकालीन योजनाओं को ज़मीन पर उतारने का संकल्प लिया गया है। ये योजनाएं पूरी होने में कई दशक ज़रूर लगेंगे, लेकिन स्थायी ढांचागत विकास होगा, जो कालांतर में देशव्यापी खुशहाली लाने का आधार बनेंगे। इन परियोजनाओं के अंतर्गत नदियां परस्पर जोड़ने की महत्वाकांक्षी परियोजना के साथ-साथ सड़क, जलमार्ग, रेल, बंदरगाह और हवाईअड्डे विकसित किए जाना भी प्रस्तावित है। इससे रोज़गार के बड़े अवसर तो सृजित होंगे ही, खेती-किसानी में भी बहार आएगी। किसानों की आमदनी बढ़ने की उम्मीद बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।

लोकसभा में वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए 2022-23 के बजट से साफ हो गया है कि मोदी सरकार दीर्घकालिक उपाय अपनाने के मूड में है। शायद इसीलिए प्रस्तावित बजट में अर्थव्यवस्था की तात्कालिक ज़रूरतों से कहीं ज़्यादा बेहतर भविष्य के लिए दीर्घकालीन योजनाओं को ज़मीन पर उतारने का संकल्प लिया गया है। ये योजनाएं पूरी होने में कई दशक ज़रूर लगेंगे, लेकिन स्थायी ढांचागत विकास होगा, जो कालांतर में देशव्यापी खुशहाली लाने का आधार बनेंगे। इन परियोजनाओं के अंतर्गत नदियां परस्पर जोड़ने की महत्वाकांक्षी परियोजना तो है ही; सड़क, जलमार्ग, रेल, बंदरगाह और हवाईअड्डे विकसित किए जाना भी प्रस्तावित है। इससे रोज़गार के बड़े अवसरों के साथ-साथ सृजित होंगे,

खेती-किसानी में भी बहार आएगी। किसानों की आमदनी बढ़ने की उम्मीद बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। पानी की कमी से जूझ रहे बुंदेलखंड के लोगों को सिंचाई और पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना को बजट में 1400 करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, वित्तमंत्री ने अन्य पांच नदियां जोड़ने के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पर भी राज्यों के बीच सहमति बनते ही केंद्रीय वित्तपोषण का वचन बजट भाषण में दे दिया है। इन नदी परियोजनाओं में दमनगंगा-पिंजाल, पार-तापी-नर्मदा, गोदावरी-कृष्णा, कृष्णा-पेन्नार और पेन्नार-कावेरी शामिल हैं।

विकासशील अर्थव्यवस्था के कारक

किसी देश की विकासशील अर्थव्यवस्था के तीन प्रमुख




सिरे हैं— पानी, बिजली और आधुनिकतम तकनीक। तकनीक की उपलब्धता भारत में सर्वसुलभ हो गई है। इस दिशा में तेजी से डिजिटलीकरण भी हो रहा है। ड्रोन से खेतों में दवा एवं कीटनाशक छिड़काव के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। तमाम प्रयासों के बावजूद पानी और बिजली की समस्या से कमोबेश अभी देश जूझ ही रहा है। हालांकि सौर ऊर्जा से भी बिजली की कमी को दूर किया जा रहा है। दुनिया का तीन चैथाई हिस्सा पानी से लबालब होने के बावजूद करोड़ों लोग शुद्ध पेयजल से वंचित हैं। इसलिए देश के सर्वोच्च न्यायालय को भी कई बार केंद्र सरकार को निर्देश देना पड़ा है कि नदी जोड़ने की महात्वाकांक्षी परियोजना को समयबद्ध तरीके से जल्द लागू किया जाना चाहिए।

नदियों को जोड़ने की बात सुनने में आसान लग सकती है, किंतु मैदान में इस परियोजना को उतारना बेहद जटिल, दुष्कर और जोखिम भरा काम है। पर्यावरणीय और भौगोलिक संतुलन की चुनौतियां तो हैं ही, राज्यों में परस्पर टकराव के साथ कई देशों से भी मतभेद उत्पन्न होने की आशंकाएं हैं। चीन से ब्रह्मपुत्र नदी के जल को लेकर विवाद पहले से ही बना हुआ है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल से भी तालमेल बैठाना कठिन है। बड़े पैमाने पर स्थानीय लोगों के विस्थापन और पुनर्वास का संकट भी झेलना होगा।

हालांकि नदियां जुड़ जाती हैं तो किसी हद तक बाढ़ की विनाशालीला से तो निजात मिलेगी ही, 2050 तक 16 करोड़ हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई भी होने लगेगी। वर्तमान में सिंचाई के सभी संसाधनों व तकनीकों का उपयोग करने के बावजूद 14 करोड़ हेक्टेयर भूमि में ही बमुश्किल सिंचाई हो पा रही है। वैसे नदियों को जोड़ना तब आसान होगा, जब देश की जिन नदियों को जोड़ा जाना है, उन्हें 'राष्ट्रीय संपत्ति' घोषित कर केंद्र सरकार के हवाले कर दिया जाए और इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजनाओं की श्रेणी में लाकर इस पर अमल शुरू हो। 1980 में केंद्रीय सिंचाई मंत्रालय ने कुल 30 परियोजनाओं को राष्ट्रीय स्वरूप की नदियां बताया था। इनमें 14 हिमालयी क्षेत्र में बहने वाली नदियां हैं।

नदियों को जोड़ने के प्रयास को मूर्त रूप

केन-बेतवा लिंक परियोजना पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के उस सपने को साकार करेगी; जिसमें नदियों में आने वाले अतिरिक्त पानी को नदी जोड़ो परियोजना के तहत सूखे या कम पानी वाले इलाके में पहुंचाया जाना था। पहली बार वाजपेयी के नेतृत्व वाली राजग सरकार में नदियों को जोड़ने की योजना को मूर्तरूप देने का प्रयास हुआ। परंतु एक कार्यबल बनाने के सिवा वाजपेयी भी इस योजना का क्रियान्वयन नहीं कर पाए। दरअसल, इस योजना के औचित्य पर इतने सवाल खड़े कर दिए गए थे कि इसे शुरू कर पाना संभव ही नहीं हो पाया। खासकर पर्यावरणविद् नदियों के प्राकृतिक बहाव में किसी भी तरह के कृत्रिम हस्तक्षेप के विरुद्ध थे। इसके साथ ही इस योजना के



अमल में बड़ी मात्रा में धन जुटाने और भूमि अधिग्रहण जैसी चुनौतियां भी पेश आनी थीं। इन्हीं विवादों के क्रम में यह योजना विवाद के हल के लिए उच्चतम न्यायालय पहुंचा दी गई। अंततः 28 फरवरी, 2012 को न्यायालय ने सरकार को नदी जोड़ो परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से अमल में लाने की हरी झंडी दे दी थी। 2008 में राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) द्वारा आहूत की गई मुख्यमंत्रियों की बैठक में राज्यों के साथ जल बंटवारा विवाद में उलझे तमिलनाडु ने प्रस्ताव रखा था कि नदियों को परस्पर जोड़ने की प्रक्रिया को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिलना चाहिए। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने सिंचाई और पनबिजली के बढ़ते संकट पर काबू पाने की दृष्टि से 14 नदियों को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल कर इस दिशा में एक अभिनव पहल की थी। न्यायालय के निर्देश के बाद ये सुझाव एक-दूसरे के पूरक होने के साथ जल संकट के भयावह दौर से गुजर रहे राष्ट्र को जल समस्या से भी किसी हद तक निजात दिलाने के ठोस उपाय थे।

नदियां सांस्कृतिक धरोहर

जीवनदायी नदियां हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। नदियों के किनारे ही ऐसी आधुनिकतम सभ्यताएं विकसित हुईं, जिन पर हम गर्व कर सकते हैं। सिंधु घाटी और सारस्वत (सरस्वती) सभ्यताएं इसके उदाहरण हैं। भारत के सांस्कृतिक उन्नयन के नायकों में भागीरथी, राम और कृष्ण का नदियों से गहरा संबंध रहा है। भारतीय वांगमय में इन्द्र और कुबेर विपुल जलराशि के प्राचीनतम वैज्ञानिक-प्रबंधक रहे हैं। भारत भूखंड में आग, हवा और पानी को सर्वसुलभ नियामत माना गया है। हवा और पानी की

शुद्धता और सहज उपलब्धता नदियों से है। दुनिया के महासागरों, हिमखंडों, नदियों और बड़े जलाशयों में अकूत जल भंडार हैं। लेकिन मानव उपयोग के लिए जीवनदायी जल और बढ़ती आबादी के लिए जल की उपलब्धता का बिगड़ता अनुपात चिंता का बड़ा कारण बना हुआ है। ऐसे में बढ़ते तापमान के कारण हिमखंडों के पिघलने और कम या वर्षा न होने के चलते जलस्रोतों के सूखने का सिलसिला भी जारी है। वर्तमान में जल की खपत कृषि, उद्योग, विद्युत और पेयजल के रूप में सर्वाधिक हो रही है। हालांकि पेयजल की खपत मात्र आठ फीसदी है जिसका मुख्य स्रोत नदियां और भूजल हैं। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और बढ़ती आबादी के दबाव के चलते एक ओर नदियां सिकुड़ रही हैं, वहीं औद्योगिक कचरा और मलमूत्र बहाने का सिलसिला जारी रहने से गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां इतनी प्रदूषित हो गई हैं कि यमुना नदी को तो एक पर्यावरण संस्था ने मरी हुई नदी तक घोषित कर दिया है।

भूजल का घटता स्तर

केंद्रीय भूजल बोर्ड ने राष्ट्र के लगभग 800 ऐसे भूखंडों को चिह्नित किया है, जिनमें भूजल का स्तर निरंतर घट रहा है। ये भूखंड दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्यप्रदेश, बिहार, गुजरात और तमिलनाडु में हैं। यदि भूजल स्तर की गिरावट में निरंतरता बनी रहती है तो भयावह जल संकट तो पैदा होगा ही, भारत का पारिस्थितिकी तंत्र भी गड़बड़ा जाएगा। केंद्र सरकार ने दूरदर्शिता से काम लेते हुए 43 भूखंडों से जल निकासी पर प्रतिबंध लगा दिया है। भू-संवर्धन की दृष्टि से यह एक कारगर पहल है। अतः अब जैसे-जैसे परस्पर नदियां जुड़ती जाएंगी तो जल से रिक्त हो रहे भंडारों में जल के पुनर्भरण की अन्तः-प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नतीजतन गंगा-यमुना के दोआब क्षेत्र की तरह अनेक भूजल के भंडार तैयार हो जाएंगे, जो सदियों तक पेयजल और सिंचाई के अक्षुण्ण जल स्रोत बने रहेंगे।

जोड़ी जानी वाली नदियां

प्रस्तावित करीब 120 अरब डालर अनुमानित खर्च की नदी परियोजना को दो हिस्सों में बांटकर अमल में लाया जाएगा। एक प्रायद्वीप स्थित नदियों को जोड़ना और दूसरे, हिमालय से निकली नदियों को जोड़ना। प्रायद्वीप भाग में 16 नदियां हैं, जिन्हें दक्षिण जल क्षेत्र बनाकर जोड़ा जाना है। इसमें महानदी, गोदावरी, पेन्नार, कृष्णा, पार, तापी, नर्मदा, दमनगंगा, पिंजाल और कावेरी को जोड़ा जाएगा। इनमें से नदियां जोड़ने के पांच डीपीआर बन भी गए हैं। पश्चिम के तटीय हिस्से में बहने वाली नदियों को पूर्व की ओर मोड़ा जाएगा। इस तट से जुड़ी तापी नदी के दक्षिण भाग को मुंबई के उत्तरी भाग की नदियों से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। केरल और कर्नाटक की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की जलधारा पूर्व दिशा में मोड़ी जाएगी। यमुना और दक्षिण की सहायक नदियों को भी आपस में जोड़ा जाना इस परियोजना का हिस्सा है। हिमालय क्षेत्र की नदियों के अतिरिक्त जल को संग्रह

करने की दृष्टि से भारत और नेपाल में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों पर विशाल जलाशय बनाने के प्रावधान हैं ताकि वर्षाजल इकट्ठा हो और उत्तर प्रदेश, बिहार एवं असम को भयंकर बाढ़ का सामना करने से निजात मिल सके। इन जलाशयों से बिजली भी उत्पादित की जाएगी। इसी क्षेत्र में कोसी, घांघरा, मेच, गंडक, साबरमती, शारदा, फरक्का, सुन्दरवन, स्वर्णरेखा और दामोदर नदियों को गंगा, यमुना और महानदी से जोड़ा जाएगा।

नदियों के पानी से सिंचाई

करीब 13,500 किमी. लंबी ये नदियां भारत के संपूर्ण मैदानी क्षेत्रों में अठखेलियां करती हुई मनुष्य और जीव-जगत के लिए प्रकृति का अनूठा और बहुमूल्य वरदान बनी हुई हैं। 2528 लाख हेक्टेयर भूखंडों और वन प्रांतों में प्रवाहित इन नदियों में प्रति व्यक्ति 690 घनमीटर जल है। कृषि योग्य कुल 1411 लाख हेक्टेयर भूमि में से 546 लाख हेक्टेयर भूमि इन्हीं नदियों की बदौलत प्रतिवर्ष सिंचित की जाकर फसलों को लहलहाती हैं। यदि नदियां जुड़ जाती हैं तो सिंचित रकबा भी बढ़ेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि मोक्षदायिनी इन नदियों से बाढ़ से हर साल पैदा होने वाले संकट से भी किसी हद तक छुटकारा मिलेगा! ऐसे हालात में बाढ़ग्रस्त नदी का पानी सूखी नदी में डालकर जल की धारा मोड़ दी जाएगी।

नदी परियोजनाओं को लेकर विवाद

वैसे पानी हमारे संविधान में राज्यों के क्षेत्राधिकार में आता है। परंतु जो नदियां एक से अधिक राज्यों में बहती हैं, उन्हें 'राष्ट्रीय संपत्ति' घोषित किए जाने के सवाल बीच-बीच में उठते रहे हैं। हालांकि कावेरी जल विवाद पिछले करीब 25 सालों से उलझन में है। चंबल सिंचाई हेतु जल को लेकर भी राजस्थान और मध्यप्रदेश में हर साल विवाद छिड़ता है। वहीं महानदी और ब्रह्मपुत्र अंतर्राष्ट्रीय विवाद का कारण बनती हैं। हालांकि नदियों को 'राष्ट्रीय संपत्ति' घोषित कर उन्हें परस्पर जोड़ने की प्रक्रिया को अमल में लाना कोई आसान काम नहीं है। चूंकि एक तो यह बड़े बजट और लंबी अवधि का काम है; दूसरे, विस्थापन जैसी राष्ट्रीय आपदा भी अड़ंगे लगाती है! जलचर भी बड़ी संख्या में प्रभावित होंगे। ऐसे ही अवरोधों के चलते मध्य प्रदेश में काली सिंध, पार्वती, नेवज और चंबल नदियों के गठजोड़ का प्रस्ताव डेढ़ दशक से ठंडे बस्ते में पड़ा है। बावजूद वह मध्यप्रदेश ही है जिसने मध्यप्रदेश की सीमा में बहने वाली नर्मदा का पानी क्षिप्रा में डाल देने का करिश्मा कर दिखाया है।

केन-बेतवा बहाएंगी खुशहाली का पानी

भारत सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद इसकी सभी बुनियादी बाधाएं पहले ही दूर हो गई थीं। इस परियोजना को जमीन पर उतारने के लिए 44,605 करोड़ रुपये की राशि देने का प्रावधान किया गया, जिसकी 2022-23 के बजट में पहली किश्त के रूप में 1400 करोड़ रुपये प्रस्तावित कर दिए गए हैं।

बाढ़ और सूखे से परेशान देश में नदियों के संगम की परियोजना मूर्त रूप लेने जा रही है, यह देशवासियों के लिए प्रसन्नता की बात है। 5500 अरब रुपये की इस परियोजना को जोड़ने का अभियान सफल होता है तो भविष्य में 60 अन्य नदियों के मिलन का रास्ता खुल जाएगा। दरअसल बढ़ते वैश्विक तापमान, जलवायु परिवर्तन और बदलते वर्षा चक्र के चलते ज़रूरी हो गया है कि नदियों के बाढ़ के पानी को इकट्ठा किया जाए और फिर उसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में नहरों के ज़रिए भेजा जाए। ऐसा संभव हो जाता है तो पेयजल की समस्या का निदान तो होगा ही, सिंचाई के लिए भी किसानों को पर्याप्त जल मिलने लग जाएगा। वैसे भी भारत में विश्व की कुल आबादी के करीब 18 प्रतिशत लोग रहते हैं और उपयोगी जल की उपलब्धता महज चार प्रतिशत है। हालांकि पर्यावरणविद् इस परियोजना का यह कह कर विरोध कर रहे हैं कि नदियों को जोड़ने से इनकी अविरलता खत्म होगी, नतीजतन नदियों के विलुप्त होने का संकट गहरा जाएगा।


केन-बेतवा नदियों के उद्गम

केन नदी जबलपुर के पास कैमूर की पहाड़ियों से निकलकर 427 किमी. उत्तर की ओर बहने के बाद बांदा ज़िले में यमुना नदी में जाकर गिरती है। वहीं बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले से निकलकर 576 किमी. बहने के बाद उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना में मिलती है। केन-बेतवा नदी जोड़ो योजना की राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण (एनडब्ल्यूडीए) की रिपोर्ट के अनुसार डोढ़न गांव के निकट 9000 हेक्टेयर क्षेत्र में एक बांध बनाया जाएगा। इसके डूब क्षेत्र में छतरपुर जिले के बारह गांव आएंगे। इनमें पांच गांव आंशिक रूप से और सात गांव पूर्ण रूप से डूब में आएंगे। कुल 7000 लोग प्रभावित होंगे। इन्हें विस्थापित करने में इसलिए समस्या नहीं आएगी, क्योंकि ये ग्राम जिन क्षेत्रों में आबाद हैं, वे पहले से ही वन-संरक्षण अधिनियम के तहत अधिसूचित हैं।

बहुआयामी परियोजना

इस बहुआयामी परियोजना के तहत बांध के नीचे दो जलविद्युत संयंत्र लगाए जाएंगे। 220 किलोमीटर लंबी नहरों का जाल बिछाया जाएगा। ये नहरें छतरपुर, टीकमगढ़ और उत्तर प्रदेश के महोबा एवं झांसी ज़िले से गुजरेंगी जिनसे 60,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई होगी। विस्थापन और पुनर्वास के लिए 213.11 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका इंतज़ाम मंजूरी के साथ केंद्र सरकार ने कर दिया है। बावजूद देश में आज तक विस्थापितों का पुनर्वास और मुआवजा किसी भी परियोजना में संतोषजनक नहीं हुआ है।

डीपीआर के मुताबिक उत्तर प्रदेश को केन नदी का अतिरिक्त पानी देने के बाद मध्य प्रदेश करीब इतना ही पानी बेतवा की ऊपरी धारा से निकाल लेगा। परियोजना के दूसरे चरण में मध्य प्रदेश चार बांध बनाकर रायसेन और विदिशा ज़िलों में नहरें बिछाकर सिंचाई के इंतज़ाम करेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि इन प्रबंधनों



से केन में अक्सर आने वाली बाढ़ से बर्बाद होने वाला पानी बेतवा में पहुंचकर हज़ारों एकड़ खेतों में फसलों को लहलहाएगा। मध्य प्रदेश का यही वह मालवा क्षेत्र है, जहां की मिट्टी उपजाऊ होने के कारण सोना उगलती है। इस क्षेत्र में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो जाता है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि खेत साल में 2 से लेकर 3 फसलें तक देने लग जाएंगे। लेकिन मालवा की जो बहुफसली भूमि बांध और नहरों में नष्ट होगी, उससे होने वाले नुकसान का आकलन प्राधिकरण के पास नहीं है!

परियोजना में बाधा

इस परियोजना में वन्य जीव समिति बड़ी बाधा के रूप में पेश आ रही है। यह आशंका भी जताई जा रही है कि परियोजना पर क्रियान्वयन होता है तो नहरों एवं बांधों के लिए जिस उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, वह नष्ट हो जाएगी। इस भूमि पर फिलहाल जौ, बाजरा, दलहन, तिलहन, गेहूं, मूंगफली, चना जैसी फसलें पैदा होती हैं। इन फसलों में ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जबकि ये नदियां जुड़ती हैं, तो इस पूरे इलाके में धान और गन्ने की फसलें पैदा करने की उम्मीद बढ़ जाएगी।

यदि ये नदियां परस्पर जुड़ जाती हैं तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र में रहने वाली 70 लाख आबादी खुशहाल हो जाएगी। यही नहीं, नदियों को जोड़ने का यह महाप्रयोग यदि सफल हो जाता है तो अन्य नदियों को जोड़ने का सिलसिला भी शुरू हो सकता है!

(लेखक वरिष्ठ साहित्यकार एवं पत्रकार हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

ई-मेल : pramodbhargava15@gmail.com



भारत में वित्तीय समावेशन

—परमेश्वर लाल पोद्दार, डॉ. आशुतोष कुमार

आज़ादी के 75वें साल में जब देश अमृत महोत्सव मना रहा है तब नए भारत के लिए वित्तीय समावेशन का महत्व और भी बढ़ जाता है। आरबीआई द्वारा तैयार भारत के लिए वित्तीय समावेशन इंडेक्स 2021 में वित्तीय सेवा तक पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता के आधार पर इसे 53.9 मापा गया है। इसमें सुधार हेतु निरंतर प्रयास किए जाने की जरूरत है। इसके लिए वित्तीय साक्षरता, डिजिटल लेन-देन, मांग आधारित बैंकिंग उत्पाद को बढ़ावा देने के साथ-साथ अवसंरचनात्मक कमियों को दूर किए जाने की आवश्यकता है।

किसी भी देश के आर्थिक विकास का मुख्य आधार उस देश का बुनियादी ढांचा होता है। यदि बुनियादी ढांचा ही कमजोर हो तो कितना भी प्रयास किया जाए, व्यवस्था को मज़बूत नहीं बनाया जा सकता है। यही कारण है कि किसी भी देश को मज़बूत करने के लिए नीति निर्माताओं द्वारा एक ऐसे मार्ग का अनुसरण किया जाता है जिसके माध्यम से सरकार आम आदमी को अर्थव्यवस्था के औपचारिक माध्यम में शामिल कर सके।

दुनिया भर में हुए अनुसंधान इस बात की ओर इशारा करते हैं कि विकसित और समावेशित वित्तीय प्रणालियां तीव्रतर वृद्धि और बेहतर आय विभाजन से संबद्ध हैं। वित्त की उपलब्धता में गरीबों को करने और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने में मदद मिलती है। गरीबी को दूर करने में वित्तीय समावेशन को एक अहम माध्यम माना जाता है। 2030 के 17 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में से सात वित्तीय समावेशन को समाज के गरीब और हाशिए के वर्गों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके दुनिया भर में सतत विकास प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख प्रवर्तक के रूप में देखते हैं।

वित्तीय समावेशन क्या है?

वित्तीय समावेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकार आम आदमी को अर्थव्यवस्था के औपचारिक माध्यम में शामिल कर सकती है। वस्तुतः वित्तीय समावेशन के तहत यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी आर्थिक विकास के लाभों से संबद्ध किया जा सके ताकि वह व्यक्ति आर्थिक सुधारों के फल से वंचित न रहे।

वित्तीय समावेशन को वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने के अवसरों की उपलब्धता और समानता के रूप में परिभाषित किया गया है। वित्तीय समावेशन मोटे तौर पर उचित लागत पर वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक सार्वभौमिक पहुंच को संदर्भित करता है। इनमें बैंकिंग उत्पाद के अलावा अन्य वित्तीय सेवाएं जैसे बीमा और

“विकास के पिरामिड में गरीबों की क्रयशक्ति में सुधार करके वित्तीय समावेशन के माध्यम से सबसे निचली परत को मज़बूत करने की आवश्यकता है।”

—प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी


इक्विटी उत्पाद शामिल हैं (वित्तीय क्षेत्र सुधार समिति, अध्यक्ष: डॉ. रघुराम जी. राजन)। वित्तीय सेवाओं तक घरेलू पहुंच को चित्र-1 में दर्शाया गया है।

भारत में वित्तीय समावेशन— ऐतिहासिक परिदृश्य

भारत में समान विकास को बढ़ावा देने में वित्त के महत्व और



चित्र-1 : वित्तीय सेवाओं तक घरेलू पहुंच



स्रोत: ए हंड्रेड स्माल स्टेप्स – वित्तीय क्षेत्र सुधार समिति की रिपोर्ट


भूमिका को पहली पंचवर्षीय योजना के बाद से महसूस किया गया था। क्रमिक सरकारों ने गरीबी और असमानता को दूर करने के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की योजना बनाई और उसे लागू किया। ग्रामीण क्षेत्रों की जनता की बचत को संग्रहित करने और कृषि तथा लघु उद्योग जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने के उद्देश्य से वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1969 और 1980 में किया गया। 1969 से 1980 के बीच देश के ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों नई बैंक शाखाएं खोली गईं। इस अवधि में अधिक संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों के संचालन के विस्तार से पारंपरिक साहूकारों की पकड़ ढीली हो गई। अग्रणी बैंक योजना, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र योजना, सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण आदि के माध्यम से सरकार ने बैंकों को कृषि, छोटे पैमाने के क्षेत्रों और दूसरे उपेक्षित क्षेत्रों को रियायती ऋण प्रदान करना अनिवार्य कर दिया।

वित्तीय समावेशन की स्थिति पर विभिन्न रिपोर्ट

विभिन्न संस्थानों के सर्वेक्षण और रिपोर्ट में विभिन्न कालक्रम में देश में वित्तीय समावेशन की स्थिति को दर्शाया गया है।

एनएसएसओ 59वें (2003) दौर के सर्वेक्षण के दौरान स्थिति

- 51.4 प्रतिशत किसान परिवार औपचारिक / अनौपचारिक दोनों स्रोतों से आर्थिक रूप से बाहर थे।
- कुल किसान परिवारों में से केवल 27 प्रतिशत की ही ऋण के औपचारिक स्रोतों तक पहुंच



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

थी; इस समूह के एक तिहाई लोगों ने अनौपचारिक स्रोतों से उधार भी लिया था।

- कुल मिलाकर, 73 प्रतिशत किसान परिवारों के पास ऋण के औपचारिक स्रोतों तक पहुंच नहीं है।
- सभी क्षेत्रों में, मध्य, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में वित्तीय वंचन अधिक तीव्र। इन तीन क्षेत्रों में एक साथ देश के सभी आर्थिक रूप से वंचित किसान परिवारों का हिस्सा 64 प्रतिशत था। इन तीन क्षेत्रों के वित्त के औपचारिक स्रोतों की कुल ऋणग्रस्तता केवल 19.66 प्रतिशत थी।
- पांच दशकों की अवधि में ग्रामीण परिवारों द्वारा ऋण के औपचारिक स्रोतों तक पहुंच में समग्र सुधार को चित्र-2 में दर्शाया गया है।

भारत सरकार जनसंख्या जनगणना 2011

2011 की जनगणना के अनुसार, देश में केवल 58.7 प्रतिशत परिवार ही बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। हालांकि, पिछली जनगणना 2001 की तुलना में, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं में वृद्धि के कारण बैंकिंग सेवाओं का लाभ काफी हद तक बढ़ गया, जो चित्र-3 से स्पष्ट होता है।

नाबार्ड अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 2016-17

- देश में वित्तीय समावेशन की स्थिति में सुधार हो रहा है परंतु अभी भी कुल ऋण जरूरतों का 32 प्रतिशत गैर-संस्थागत स्रोतों से प्राप्त होता है।
- कुल मिलाकर 18.90 प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जिनमें कम से कम एक सदस्य को किसी भी तरह के पेंशन के तहत कवर किया गया था।
- कुल मिलाकर 25 प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जिनमें कम से कम एक सदस्य को किसी भी तरह के बीमा के तहत कवर किया

चित्र-2: विभिन्न ऋण स्रोतों तक पहुंच

बजट 2022-23 में वित्तीय समावेशन

- गेहूँ और धान की खरीद के लिए 1.63 करोड़ किसानों को डीबीटी से भुगतान
- नाबार्ड कृषि और ग्रामीण उद्यमों के लिए स्टार्टअप को वित्तपोषित करने के लिए मिश्रित पूंजी की सुविधा प्रदान करेगा।
- उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टलों को आपस में जोड़ा जाएगा।
- सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 2 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- 1.5 लाख डाकघरों में से शत प्रतिशत कोर बैंकिंग सिस्टम पर आएंगे।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां (डीबीयू) स्थापित करेंगे।
- महत्वाकांक्षी ब्लॉक्स कार्यक्रम के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा।
- देश की उत्तरी सीमा पर विकास विहीन गांव के विकास हेतु जीवंत ग्राम कार्यक्रम।

गया था।

- कुल मिलाकर, 23 प्रतिशत परिवारों ने बताया कि सर्वेक्षण के समय इसका कोई भी सदस्य एक माइक्रोफाइनेंस समूह से जुड़ा था।

वित्तीय समावेशन क्यों?

वित्तीय समावेशन ग्रामीण आबादी के बड़े हिस्से के बीच बचत की संस्कृति विकसित करके वित्तीय प्रणाली के संसाधन आधार को विस्तृत करता है और आर्थिक विकास की प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाता है। इसके अलावा, निम्न आय समूहों को औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र की परिधि में लाकर, वित्तीय समावेशन उनके वित्तीय धन और

अन्य संसाधनों की अत्यावश्यक परिस्थितियों में रक्षा करता है। वित्तीय समावेशन औपचारिक ऋण तक पहुंच को सुगम बनाकर सूदखोर साहूकारों द्वारा कमजोर वर्गों के शोषण को भी कम करता है। इसकी मदद से किसी व्यक्ति की आर्थिक और उत्पादकता की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है और उसके जीवन-स्तर को सुधारा जा सकता है।

वित्तीय समावेशन के मार्ग में बाधाएं

इतना उपयोगी होते हुए भी वित्तीय समावेशन किसी भी अन्य सेवाओं की तरह न तो अपने आप हो सकता है और न ही यह बिना नीतिगत निर्णय लिए हो सकता है। इसका कारण वित्तीय वंचन, उच्च लागत, दस्तावेज़ संबंधी बाधाएं, और व्यवहार संबंधी पहलू हैं (चित्र-4)।

भारत में वित्तीय समावेशन हेतु हो रहे प्रयास

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 2004 में वित्तीय समावेशन के लिए रणनीतियों के आकलन हेतु खान आयोग की स्थापना की थी और आयोग की सिफारिश के अनुसार, आरबीआई ने अधिक वित्तीय समावेशन प्राप्त करने की दृष्टि से बैंकों को एक बुनियादी "नो-फ्रिल्स" बैंकिंग खाता उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया। 50,000 रुपये से कम की वार्षिक जमाराशि वाले खाता खोलने के इच्छुक लोगों के लिए केवाईसी मानदंडों में छूट दी गई। सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) गरीबों और वंचितों को आसान क्रेडिट तक पहुंचने में मदद करने के लिए जारी किए गए। जनवरी 2006 में, रिज़र्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को वित्तीय और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ/एसएचजी), सूक्ष्म वित्त संस्थानों और अन्य नागरिक समाज संगठनों की सेवाओं का उपयोग मध्यस्थ के रूप में करने की अनुमति दी। इन बिचौलियों को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा व्यापार सुविधाकर्ता (बीएफ) या व्यापार संवादाता (बीसी) के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। वित्तीय समावेशन की दिशा में एक योजनाबद्ध और संरचित दृष्टिकोण अपनाने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वित्तीय समावेशन योजनाएं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 2010 में शुरू की

चित्र -4 वित्तीय वंचन के कारण



तालिका-1 : वित्तीय समावेशन योजना की प्रगति

क्र. सं.	ब्यौरे	मार्च 2010	मार्च 2015	मार्च 2019	मार्च 2020	मार्च 2021
1	गांवों में बैंकिंग आउटलेट- कुल शाखाएं	33,378	49,571	52,489	54,561	55,112
2	गांवों में बैंकिंग आउटलेट - कुल बीसी	34,174	4,99,590	5,41,129	5,41,175	11,90,425
3	गांवों में बैंकिंग आउटलेट-कुल (1+2)	67,694	5,53,713	5,97,155	5,99,217	12,48,079
4	बुनियादी बचत खाता - (संख्या लाख में)	735	3,981	5,742	6,004	6,455
5	बुनियादी बचत खाता में जमाराशि- (रुपये करोड़ में)	5,500	43,955	1,40,960	1,68,412	2,06,015
6	बुनियादी बचत खाता- ओवरड्राफ्ट सुविधा-(संख्या लाख में)	240	426	491	475	466
7	बुनियादी बचत खाता- ओवरड्राफ्ट सुविधा-(रुपये करोड़ में)	1,24,000	4,38,229	6,68,044	6,39,069	6,72,624
8	कुल के सी सी (संख्या लाख में)	240	426	491	475	466
9	कुल के सी सी (रुपये करोड़ में)	1,24,000	4,38,229	6,68,044	6,39,069	6,72,624

स्रोत- भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट 2021, भारतीय रिज़र्व बैंक

गई। आरबीआई ने नाबार्ड के साथ दो निधियों- वित्तीय समावेशन कोष (FIF) और वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी कोष (FITF) का गठन किया, ताकि वित्तीय समावेशन की विभिन्न लागतों के खर्च को पूरा किया जा सके।

सरकारी योजना के लाभार्थियों का सटीक लक्ष्यीकरण सुनिश्चित करने और रिसाव में कमी हेतु प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) दिसंबर 2014 से पूरे देश में लागू किया गया। वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन, अर्थात् प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) अगस्त 2014 में शुरू की गई। साथ ही, सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना और अटल पेंशन योजना की भी शुरुआत की गई। जन धन खाते, आधार, बायोमेट्रिक आईडी और मोबाइल (जेएम) राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों सहित देश भर में सभी कल्याणकारी योजनाओं में डीबीटी को लागू करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करते हैं।

वित्तीय समावेशन को और व्यापक बनाने के लिए आरबीआई ने 2015 में लघु वित्त बैंक (एसएफबी) और भुगतान बैंक को बैंकिंग लाइसेंस जारी किए हैं। सितंबर 2018 में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) का शुभारंभ किया गया। आईपीपीबी 1.55 लाख डाकघरों और 3 लाख से अधिक डाकियों के साथ डाक विभाग के विशाल नेटवर्क का भी लाभ उठा रहा है। डाक सेवक देश में वित्तीय समावेशन की पहल को और आगे बढ़ाएंगे। वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण (2022-23) में

वित्तीय समावेशन को मजबूती प्रदान करने के लिए 1.5 लाख डाकघरों को कोर बैंकिंग सोल्युशन से जोड़ने की घोषणा की है।

सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमियों को आसान ऋण मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चलाई जा रही है। साथ ही, 'उद्यमी मित्र' और 'psbloansin59minutes.com' जैसे वेबपोर्टल भी लांच किए गए हैं। लघु और सीमांत किसानों हेतु आवंटित प्राथमिकता क्षेत्र के कुल ऋण को 8 प्रतिशत से 10 प्रतिशत किया गया है। किसानों हेतु रुपये केसीसी योजना चलाई जा रही है।

इसके अलावा, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए विभिन्न तरह के मोबाइल सेवा प्रदाताओं को भुगतान बैंक हेतु मंजूरी दी गई है जिससे धन का प्रेषण आसान हुआ है और डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा मिला है। तकनीक के प्रयोग ने आज मोबाइल के माध्यम से बैंकिंग सेवा को लोगों की जेब में ला दिया है। बजट (2022-23) में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 75 जिलों में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 75 डिजिटल बैंकिंग इकाई की स्थापना करने की भी घोषणा की गई है। वित्तीय शिक्षा का प्रसार करने के लिए आरबीआई ने वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) और बैंकों की ग्रामीण शाखाओं के माध्यम से वित्तीय साक्षरता के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक की भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट 2021 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के

तालिका 2 : पीएमजेडीवाई की स्थिति
(26 जनवरी 2022 तक)

(सभी अंक करोड़ में)

बैंक	ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्र में खुले खाते	शहरी क्षेत्र में खुले खाते	कुल खाते	खाते में जमा धनराशि (करोड़ रु में)	जारी रुपे डेबिट कार्ड
सार्वजनिक बैंक	21.97	13.18	35.15	1,20,849.21	26.91
आर आर बी	7.11	1.04	8.15	31,594.68	3.38
निजी बैंक	0.7	0.59	1.29	4,654.74	1.1
कुल	29.78	14.81	44.59	1,57,098.6	31.39

स्रोत: www.pmjdy.gov.in

प्रावधान में प्रगति हुई है और समय के साथ उनका उपयोग भी बढ़ा है। मार्च 2021 के अंत में, गांवों में कुल बैंकिंग आउटलेट्स का 95 प्रतिशत हिस्सा बीसी आउटलेट्स का है (तालिका-1)।


प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)- वित्तीय समावेशन का राष्ट्रीय मिशन

अगस्त 2014 में अपनी स्थापना के बाद से, पीएमजेडीवाई देश की बैंक रहित और कम सेवा वाली आबादी के वित्तीय समावेशन में योगदान दे रहा है। इस योजना का उद्देश्य वंचित वर्गों जैसे कमजोर वर्गों और कम आय वर्गों को विभिन्न वित्तीय सेवाएं जैसे मूल बचत बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यकता आधारित ऋण की उपलब्धता, विप्रेषण सुविधा, बीमा तथा पेंशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है। इस योजना में प्रत्येक परिवार के लिए कम-से-कम एक मूल बैंकिंग खाता, वित्तीय साक्षरता,

ऋण की उपलब्धता, बीमा तथा पेंशन सुविधा सहित सभी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने की अभिकल्पना की गई है। इस योजना में सभी सरकारी लाभों को लाभार्थियों के खातों में प्रणालीकृत किए जाने तथा केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष लाभांतरण योजना (डीबीटी) को आगे बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। सात वर्षों की अवधि में, पीएमजेडीवाई के तहत कुल लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 44.58 करोड़ हो गई, जिसमें 26 जनवरी, 2022 तक रु 1.57 लाख करोड़ (तालिका-2) जमा थे।

पीएमजेडीवाई ने महिलाओं को बड़ी संख्या में वित्तीय समावेशन से लाभ पहुंचाया है, इस योजना के तहत खुले खातों में पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की संख्या है (चित्र-5)। यह योजना महिला सशक्तीकरण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

चित्र-5: पीएमजेडीवाई के तहत खुले खातों में महिला-पुरुष की हिस्सेदारी



स्रोत: www.pmjdy.gov.in

वित्तीय समावेशन के मार्ग में मौजूद वर्तमान चुनौतियां

देश में वित्तीय समावेशन को मजबूत करने के लिए विभिन्न हितधारकों द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के बावजूद, वित्तीय सेवाओं के उपयोग में अभी भी कई चुनौतियां मौजूद हैं (चित्र-6) जिन पर आवश्यक समन्वय और प्रभावी निगरानी के माध्यम से नीति निर्माताओं को ध्यान देने की आवश्यकता है।

वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2019-2024

भारत की वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2019-2024 को वित्तीय समावेशन सलाहकार समिति के तत्वावधान में आरबीआई द्वारा तैयार किया गया है। इसमें भारत में वित्तीय समावेशन की स्थिति और बाधाओं का विश्लेषण, विशिष्ट वित्तीय समावेशन लक्ष्य, लक्ष्यों तक पहुंचने की रणनीति को सम्मिलित किया गया है। इस रणनीति का उद्देश्य औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक एक किफायती तरीके से पहुंच प्रदान करना, वित्तीय समावेशन को व्यापक और गहरा करना तथा वित्तीय साक्षरता और उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देना है।

समिति की अनुशंसा

वित्तीय सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य को साकार करने के लिए सभी वित्तीय सेवा आउटलेट्स/टच पॉइंट्स को एक मजबूत और कुशल डिजिटल नेटवर्क बुनियादी ढांचा प्रदान करना महत्वपूर्ण है। ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं में दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए सहकारी बैंकों और अन्य विशिष्ट बैंकों (पेमेंट्स बैंक, लघु वित्त बैंक) के साथ-साथ अन्य गैर-बैंक संस्थाओं जैसे उर्वरक की दुकानों, स्थानीय सरकारी निकायों/पंचायतों के कार्यालय, मेला, प्राइस शॉप, कॉमन सर्विस सेंटर, शैक्षणिक संस्थान आदि में डिजिटल वित्तीय बुनियादी ढांचे

चित्र-6 वित्तीय समावेशन के मार्ग में चुनौतियां



आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर सम्पूर्ण देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस महोत्सव के दौरान वित्तीय समावेशन से संबंधित कई कार्यक्रम प्रमुखता से चलाए जा रहे हैं। वित्तीय समावेशन मेलों तथा "जनता से जुड़ना" जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से बैंकिंग में बढ़ते डिजिटलीकरण को भी प्रदर्शित किया जा रहा है जिसने बैंकिंग को देश के सभी कोनों में त्वरित, आसान, सुविधाजनक और सुलभ बना दिया है। आधार, जन धन और मोबाइल के संगम ने बैंकिंग सुविधा के स्वरूप में एक चमत्कारिक बदलाव लाया है। तकनीक के कुशल प्रयोग, एटीएम की बढ़ती संख्या, और मोबाइल ऐप ने लोगों की बैंकिंग सुविधा तक पहुंच को आसान बनाया है। आज ग्रामीण इलाकों में कुल 12.48 लाख बैंकिंग आउटलेट मौजूद हैं। अब तक 1.10 करोड़ से भी ज्यादा स्वयंसहायता समूहों का बैंकलिकेज हुआ है, बी सी सखी का एक मजबूत नेटवर्क गांवों में उपलब्ध है। पीएमजन धन योजना ने ऐसे 44.59 करोड़ लोगों को बैंक से जोड़ा जो आज तक इससे वंचित थे। साथ ही, डीबीटी योजना से पैसे को सीधे लाभार्थी के खाते में भेजना संभव हो पाया है।

का विस्तार करने की भी सिफारिश की गई है। बीसी नेटवर्क को मजबूत करने के लिए बैंक पारिश्रमिक और नकद प्रतिधारण सीमा से संबंधित मुद्दों को सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं।

निष्कर्ष

आज़ादी के 75वें साल में जब देश अमृत महोत्सव मना रहा है तब नए भारत के लिए वित्तीय समावेशन का महत्व और भी बढ़ जाता है। आरबीआई द्वारा तैयार भारत के लिए वित्तीय समावेशन इंडेक्स 2021 में वित्तीय सेवा तक पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता के आधार पर इसे 53.9 मापा गया है। इसमें सुधार हेतु निरंतर प्रयास किए जाने की ज़रूरत है। इसके लिए वित्तीय साक्षरता, डिजिटल लेन-देन, मांग आधारित बैंकिंग उत्पाद को बढ़ावा देने के साथ-साथ अवसंरचनात्मक कमियों को दूर किए जाने की आवश्यकता है।

(परमेश्वर लाल पोद्दार, नाबार्ड में प्रबंधक और डॉ. आशुतोष कुमार उप-महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।) ई-मेल : poddarparmeshwar@gmail.com

कुरुक्षेत्र का आगामी अंक
अप्रैल 2022
ग्रामीण महिला सशक्तीकरण



स्थानीय स्वशासन के साथ सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण ज़रूरी

—जयश्री रघुनंदन

कोरोना ने जीवन के तमाम क्षेत्रों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। इसका असर दुनिया भर में सतत विकास से जुड़े लक्ष्यों पर भी देखने को मिला है। इस दिशा में फिर से बेहतर प्रदर्शन का लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें ग्रामीण इलाकों में सतत विकास के लक्ष्यों के स्थानीयकरण की दिशा में काम करना होगा और इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ बड़े पैमाने पर पंचायती राज संस्थानों की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी।

संयुक्त राष्ट्र के घोषणापत्र के शुरुआती शब्द हैं, “हम लोग”। “हम लोग” आज 2030 के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं। सितंबर 2015 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हमारी दुनिया को बदलने के लिए सतत विकास 2030 एजेंडा* अपनाया गया।

देश के संविधान की प्रस्तावना भी कुछ इसी तरह से शुरू होती है। “हम भारत के लोग...”। (We, the people of India...)

सतत विकास के लक्ष्य वैश्विक स्तर पर तय किए गए हैं। ये लक्ष्य एकीकृत और अविभाज्य हैं। साथ ही, ये सतत विकास के तीन पहलुओं— आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण को संतुलित करते हैं। सितंबर 2015 में 193 देशों ने 169 वैश्विक लक्ष्यों के साथ सतत विकास के 17 लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्धता जताई जोकि 1 जनवरी, 2016 से प्रभाव में आए।

वर्ष 2015–16 कई मायनों में मील का पत्थर साबित हुआ। एक तरफ, इस दौरान ही ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के ज़रिए भारत की ग्राम पंचायतों में योजनाबद्ध विकास की प्रक्रिया शुरू हुई। दूसरी तरफ, 14वें वित्त आयोग (2015–2020) के तहत

ग्रामीण स्थानीय निकायों को सीधे तौर पर 200,292.20 करोड़ रुपये के फंड आवंटित किए गए।

सतत विकास लक्ष्य का भारतीय सूचकांक

नीति आयोग ने 2018 में पहली बार सतत विकास लक्ष्य के भारतीय सूचकांक (SDGII) की बेसलाइन रिपोर्ट पेश की थी। इसमें कुल 306 संकेतकों में से राष्ट्रीय प्राथमिकता के 62 संकेतकों को शामिल किया गया। राष्ट्रीय संकेतक ढांचा (एनआईए) के इन संकेतकों के तहत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर कुल 39 वैश्विक लक्ष्यों में से 13 लक्ष्य तय किए गए हैं। इस रिपोर्ट में भारत को कुल 57 अंक मिले थे। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 42 से 69 अंक मिले थे। केरल और हिमाचल प्रदेश का आंकड़ा 69 था। चंडीगढ़ को 68 अंक मिले थे। कम अंक हासिल करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश (42), बिहार (48) और असम (49) शामिल थे।

साल 2019 के दौरान, एसडीजी-II आधारित भारतीय सूचकांक 2.0 में राष्ट्रीय संकेतक ढांचे (एनआईए) से जुड़े 100 संकेतकों में से 54 राष्ट्रीय लक्ष्यों और 16 लक्ष्यों को शामिल किया गया। इसमें राज्यों का स्थान और स्कोर तथा एसडीजी आधारित लक्ष्य और



*Transforming our world - The 2030 Agenda for Sustainable Development

संकेतक-वार स्थिति दिखाई गई। मार्च 2021 में पेश सतत विकास लक्ष्य II आधारित भारतीय सूचकांक 3.0 में 17 लक्ष्यों, 70 राष्ट्रीय लक्ष्यों और 115 राष्ट्रीय संकेतकों को शामिल किया गया जिसमें भारत का समग्र स्कोर 66 पर पहुंच गया, जबकि अलग-अलग राज्यों को 52 से 75 के बीच अंक मिले। केरल को सबसे ज्यादा 75 अंक मिले, जबकि तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश को 74-74 अंक प्राप्त हुए। साल 2018 के बाद से बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में हरियाणा, मिजोरम और उत्तराखंड शामिल हैं; हरियाणा 10 अंक की बढ़त के साथ 67 पर और मिजोरम 12 स्थान ऊपर 61 पर पहुंच गया जबकि उत्तराखंड 8 अंक ऊपर 72 पर आ गया। साल 2018 में सबसे कम अंक हासिल करने वाले राज्य उत्तर प्रदेश के अंक बढ़कर 60 हो गए, जबकि असम को 57 अंक मिले। बिहार 52 अंक के साथ सबसे निचले पायदान पर बना रहा।

बहरहाल, यह तर्क सही नहीं है कि लक्ष्यों में बढ़ोत्तरी और संकेतकों में बदलाव को लेकर राज्यों के बीच तुलना सेब और संतरे की तुलना जैसा है। इसे इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि सभी राज्यों के लिए एक ही तरह के संकेतक तय किए गए हैं और उनकी तुलना लक्ष्यों और संकेतकों के आधार पर की जाती है। ये आंकड़े सतत विकास लक्ष्य 7 (सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा) (+22), सतत विकास लक्ष्य 11 (सतत शहर और समुदाय) (+26), सतत विकास लक्ष्य 12 (जवाबदेही के साथ खपत और उत्पादन) (+19) में शानदार बेहतरी की तरफ इशारा करते हैं, जबकि सतत विकास लक्ष्य 6 (जल और स्वच्छता) (-5), सतत विकास लक्ष्य 13 (जलवायु कार्रवाई) (-6), सतत विकास लक्ष्य 9 (उद्योग, नवाचार और आधारभूत संरचना) (-10) के प्रदर्शन में गिरावट दिखा रहे हैं। राज्य और संकेतक के हिसाब से उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि किन लक्ष्यों और संकेतकों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही, राज्यों को भी अंदाज़ा मिल सकता है कि उनका प्रदर्शन अच्छा या खराब क्यों है।

राज्य और जिला

राष्ट्रीय संकेतक ढांचे के साथ-साथ राज्य संकेतक ढांचे (एसआईएफ) को भी देखने की ज़रूरत है, जोकि न केवल राष्ट्रीय संकेतक ढांचे से ही निकलता है बल्कि जो अलग-अलग राज्यों के लिए प्रासांगिक हो सकता है। संकेतकों और उनके भारांक से लक्ष्यों को लेकर सालाना प्रगति के बारे में पता चलता है। इसके अलावा, राज्य से निचले स्तर पर निगरानी और भी ज़रूरी है। खास संकेतकों के मामले में अगर अंतर-ज़िला स्तर पर असमानताएं हैं, तो इन्हें दूर करने के लिए केंद्र और राज्य की विभिन्न योजनाओं के ज़रिए निवेश किया जाता है। कई राज्यों ने अपना जिला संकेतक ढांचा (डीआईएफ) भी तैयार किया है। जिला संकेतक ढांचे के बेहतर इस्तेमाल के लिए नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम* का सहारा लिया जा सकता है, जिसके तहत 112 पिछड़े जिलों की पहचान की गई है।

पिछले दो साल में 49 संकेतकों के मामले में सुधार का

स्तर 50 प्रतिशत रहा है। ओडिशा का रायगढ़ जिला एक पिछड़ा जिला है। सितंबर 2018 में यह जिला 112वें पायदान पर था और अक्टूबर 2020 में शानदार प्रदर्शन के साथ यह 5वें स्थान पर पहुंच गया, जबकि उत्तर प्रदेश का फतेहपुर जिला नवंबर 2018 में 105वें पायदान पर था जो मई 2019 में दूसरे पायदान पर पहुंच गया (डेल्टा रैंकिंग)। इन जिलों और अन्य जगहों पर शानदार प्रदर्शन की मुख्य वजहें कार्यक्रम की सफलता और बेहतर कार्रवाई आदि रहीं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और आधारभूत संरचना जैसे क्षेत्रों में काम किया जाता है। ये क्षेत्र सतत विकास के लक्ष्यों की श्रेणियों से भी जुड़े हैं।

उप-ज़िला

सतत विकास लक्ष्य आधारित भारतीय सूचकांक सतत विकास लक्ष्यों के मोर्चे पर प्रदर्शन के मामले में राज्यों को आईना दिखा सकता है। जिला संकेतक ढांचा राज्य सरकारों को अंतर-ज़िला स्तर पर मौजूद असमानताओं की जानकारी मुहैया करा सकता है, ताकि इस दिशा में कार्रवाई की जा सके। सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने की प्रक्रिया केंद्र और राज्य, दोनों स्तरों से जुड़ी है। भारत सरकार और राज्य सरकारें सीधे तौर पर इन लक्ष्यों से जुड़े कार्यक्रमों के नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी की प्रक्रिया में शामिल हैं। सरकारी अधिकारियों के ज़रिए ग्रामीण इलाकों में केंद्र और राज्य द्वारा प्रायोजित योजनाओं को लागू किया जाता है। इन योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने में जिला-स्तर पर सक्रियता बेहद अहम है। हालांकि, जिले से निचले स्तर यानी प्रखंड या ग्राम पंचायत के स्तर पर बेहतर संचालन ज़रूरी है, ताकि अलग-अलग जगहों पर विकास के अलग-अलग पहलुओं को लेकर बेहतर तरीके से काम किया जा सके। कहने का मतलब यह है कि अगर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया के तहत काम किया जाए, तो बेहतर नतीजे मिल सकते हैं।

उदाहरण के लिए, जल जीवन मिशन के तहत 55 लीटर प्रति व्यक्ति रोज़ाना पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य हासिल करने के मामले में सर्वोच्च रैंक हासिल करने को लेकर राज्य सरकारें (और जिला प्रशासन) बेहद सक्रिय हैं, जबकि गांवों और छोटी-छोटी जगहों पर जल की बेहतर उपलब्धता कराने की दिशा में इस तरह से प्रयास नहीं दिखता है। हालांकि, फंड की उपलब्धता कहीं भी मुद्दा नहीं है। इसके अलावा, किसी गांव की जल संबंधी ज़रूरत पीने के पानी और घरेलू ज़रूरतों तक सीमित नहीं है। गांवों के लिए हमें खेती की ज़रूरतों, भूजल-स्तर, बारिश का पानी इकट्ठा करने जैसे पहलुओं को भी ध्यान में रखना होगा। हालांकि, अलग-अलग विभागों की मौजूदा योजनाओं को ग्राम पंचायत के लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के हिसाब से तैयार नहीं किया गया है। ये योजनाएं अलग लक्ष्यों के हिसाब से तैयार की गई हैं।

स्थानीय स्वशासन के साथ सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण

हमें वैश्विक लक्ष्यों को हर पंचायत और वहां के लोगों की

*Aspirational Districts programme

ज़रूरतों के हिसाब से स्थानीय लक्ष्यों में बदलना होगा। इसके बिना सतत विकास के वैश्विक लक्ष्यों को हासिल करना नामुमकिन होगा। लंबे समय से अधिकारी ही यह तय करते आ रहे हैं कि कहां पर किन चीजों की ज़रूरत है और इसके परिणामस्वरूप हम सभी क्षेत्रों में असमानता जैसी स्थिति देख सकते हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानीय ज़रूरत के हिसाब से लक्ष्यों को तैयार करने के लिए स्थानीय संकेतक ढांचे का विकल्प तैयार करना एक ज़रूरी कदम है। साथ ही, यह ढांचा प्रखंड, ज़िला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के प्रदर्शन से भी जुड़ा हो। इससे सतत विकास लक्ष्यों के मामले में अलग-अलग पंचायतों की स्थिति साफ-साफ पता चल सकेगी और इसके आधार पर बेहतर योजनाओं को तैयार किया जा सकेगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), जल जीवन मिशन (जेजेएम), स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम), पोषण अभियान समेत भारत सरकार की कई प्लैगशिप योजनाओं के दिशा-निर्देशों में साफतौर पर कहा गया है कि योजनाओं को गांव के स्तर पर तैयार किया जाना चाहिए और इस प्रक्रिया में ग्रामसभा की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही, डाटा साझा करना, पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण आदि भी ज़रूरी है, ताकि स्थानीय स्तर पर भागीदारी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। हालांकि, ज़मीनी हकीकत काफी अलग है। विकेंद्रीकरण और पंचायतों की भागीदारी के स्तर का मामला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सतत विकास लक्ष्यों में प्रगति की वजह विभिन्न मंत्रालयों की अलग-अलग योजनाओं को राज्यों द्वारा ग्रामीण इलाकों में लागू किया जाना है। इसके अलावा, राज्यों की योजनाओं का असर भी देखने को मिला है।

योजनाओं के प्रदर्शन से जुड़े आंकड़ों-भौतिक और वित्तीय, की जब निगरानी की जाती है तो ऐसे कई आंकड़ों के बारे में राष्ट्रीय संकेतक ढांचे में भी जानकारी मिलती है, मसलन जल, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि। हालांकि, भूजल की उपलब्धता, पोषण की स्थिति में सुधार, महिलाओं और बच्चों पर होने वाले अपराध पर रोक और कमज़ोर तबकों की मदद से जुड़ी सेवाओं, लक्ष्य आधारित कार्य और गांव-गांव तक स्थिति में सुधार के लिए सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण की ज़रूरत है।

सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को लेकर नीति आयोग की रिपोर्ट 2019¹ में कहा गया है, 'स्थानीयकरण का मतलब यह है कि स्थानीय और राज्य सरकारें किस तरह से निचले स्तर से तमाम स्तरों पर कार्रवाई के ज़रिए सतत विकास लक्ष्यों को हासिल कर सकती हैं। इसके अलावा, सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण की जिम्मेदारी सिर्फ कार्यपालिका तक सीमित नहीं है। इसको लेकर सभी स्तरों पर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को भी सक्रियता दिखानी होगी।'

सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के लिए सरकार का तीसरा स्तर स्थानीय स्वशासन इकाई बेहद अहम है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार के लिए यह ज़रूरी है कि वे स्थानीय स्वशासन इकाइयों को भी बराबर का भागीदार मानें।

सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पांच बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा—लोगों का हित, साझेदारी, समृद्धि, पृथ्वी और शांति।² इन बिंदुओं पर उप ज़िला से ब्लॉक और प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर जाकर काम करना होगा और त्रिस्तरीय स्थानीय स्वशासन इकाई की मदद से यह काम बेहतर ढंग से किया जा सकता है।

संविधान के 73वें संशोधन के तहत पंचायतों को कई तरह के अधिकार दिए गए हैं। साथ ही, संविधान के अनुच्छेद 243जी के मद्देनज़र यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पंचायती राज संस्थाएं सभी तीन स्तरों पर स्थानीय स्वशासन संस्था के तौर पर काम कर सकें। पंचायती राज संस्थाओं के लिए सूचीबद्ध 29 विषय सीधे तौर पर सतत विकास लक्ष्यों से जुड़े हैं, मसलन पीने का पानी, स्वास्थ्य और स्वच्छता, जल और इसके बंटवारे का प्रबंधन, गरीबी उन्मूलन, महिला और बाल कल्याण, वृक्षारोपण आदि।

भारत में सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत स्तर पर जाकर सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी ताकि कोई गांव या कोई व्यक्ति पीछे न रह जाए और इन लक्ष्यों को भारत सरकार और राज्य सरकारों को अपना मिशन बनाना होगा। ये लक्ष्य आम लोगों की ज़िंदगी से जुड़े हैं, इसलिए उनकी सक्रिय भागीदारी और निर्णयकर्ता होना आवश्यक है।

कोरोना ने जीवन के तमाम क्षेत्रों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। इसका असर दुनिया भर में सतत विकास से जुड़े लक्ष्यों पर भी देखने को मिला है। इस दिशा में फिर से बेहतर प्रदर्शन का लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें ग्रामीण इलाकों में सतत विकास के लक्ष्यों के स्थानीयकरण की दिशा में काम करना होगा और इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ बड़े पैमाने पर पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी।

पंचायती राज संस्थाओं के तहत, देशभर के कुल 2.56 लाख गांवों में कुल 31 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि हैं जिनमें महिला प्रतिनिधियों की संख्या 14 लाख से भी ज़्यादा है। साथ ही, 6,626 ब्लॉक पंचायत और 621 ज़िला पंचायत हैं। ज़ाहिर तौर पर पंचायतें एक बड़ी ताकत हैं और इनके ज़रिए देश के गांवों में बदलाव की रफ़्तार तेज हो सकती है। भारत में सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ग्रामीण इलाकों के हिसाब से इन लक्ष्यों का स्थानीयकरण करना होगा और पंचायती राज संस्थानों की बराबर भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सितंबर 2015 में अपने उस प्रस्ताव पर फिर से मुहर लगाई, जिसे जुलाई 2012 में प्रस्तुत किया गया था। इसमें कहा गया, "हम एक बार फिर से यह कहना चाहते हैं कि सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए तमाम स्तरों पर सरकार व अन्य वैधानिक संस्थाओं की भूमिका बेहद अहम है।"

(स्रोत: एसडीजी-II रिपोर्ट, नीति आयोग)

(लेखिका आईएएस अधिकारी हैं; वर्तमान में तमिलनाडु सरकार में अपर मुख्य सचिव हैं। लेख में व्यक्त विचार उनके निजी हैं।)

ई-मेल : jayashreeraghunandan@gov.in

1. Localising SDGs-Early lessons From India 2019, Niti Aayog

2. People, Partnership, Prosperity, Planet & Peace



प्रकारान विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

देश के सबसे बड़े सरकारी प्रकारान समूह संग व्यापार का अवसर

हमारी लोकप्रिय पत्रिकाओं और साप्ताहिक रोज़गार समाचार की विपणन एजेंसी लेकर सुनिश्चित करें आकर्षक नियमित आय

विपणन एजेंसी मिलना... मतलब

- ✓ असीमित लाभ
- ✓ निवेश की 100% सुरक्षा
- ✓ स्थापित ब्रांड का साथ
- ✓ पहले दिन से आमदनी
- ✓ न्यूनतम निवेश-अधिकतम लाभ

रोज़गार समाचार के एजेंसी धारकों के लिए लाभ

प्रतियों की संख्या	खुदरा मूल्य में छूट
20-1000	25%
1001-2000	35%
2001-अधिक	40%

मासिक पत्रिकाओं के एजेंसी धारकों के लिए लाभ

प्रतियों की संख्या	खुदरा मूल्य में छूट
20-250	25%
251-1000	40%
1001-अधिक	45%

विपणन एजेंसी पाना बेहद आसान

- किसी शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता नहीं
- कोई व्यावसायिक अनुभव जरूरी नहीं
- खरीद का न्यूनतम तीन गुना निवेश (पत्रिकाओं हेतु) अपेक्षित



सम्पर्क



₹. 22/-

रोज़गार समाचार
फोन: 011-24365610
ई-मेल: sec-circulation-moib@gov.in

पत्रिका एकक
ई-मेल: pdjucir@gmail.com
फोन: 011-24367453

₹. 15/-

पत्र भेजें : रोज़गार समाचार, कक्ष संख्या-779, 7वां तल, सूचना भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

आर. एन. आई./708/57

डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)-05/3164/2021-23
आई.एस.एस.एन. 0971-8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)-54/2021-23
01 मार्च, 2022 को प्रकाशित एवं 5-6 मार्च, 2022 को डाक द्वारा जारी



R.N.I/708/57

P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2021-23

ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-54/2021-23
to Post without pre-payment at R.M.S. Delhi.

Just Released

परीक्षोपयोगी सीरीज-7

प्रतियोगिता दर्पण

का अतिरिक्तांक

**समसामयिक
घटनाचक्र**

करेन्ट अफेयर्स 2022

Vol. 1

राष्ट्रीय

अन्तर्राष्ट्रीय

आर्थिक एवं वाणिज्यिक परिदृश्य

समसामयिक सामान्य ज्ञान

खेलकूद



Code No. 819
₹ 140.00



Code No. 809
₹ 130.00

अन्य विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं
के लिए भी समान रूप से उपयोगी

**समसामयिक वस्तुनिष्ठ
प्रश्नोत्तर**

Scan the QR
Code with
your mobile
and open the
link to see the
range of extra
issues.



Download FREE QR Scanner
app from the app store

प्रतियोगिता दर्पण || 1, स्टेट बैंक कॉलोनी, खन्दारी, आगरा-मथुरा बाईपास, आगरा-282 005
फोन : (0562) 2530966, 2531101 • E-mail : care@pdgroup.in • Website : www.pdgroup.in
• नई दिल्ली 23251844, 43259035 • हैदराबाद 24557283 • पटना 2303340 • हल्द्वानी मो. 07060421008

प्रकाशक और मुद्रक: मोनीदीपा मुखर्जी, महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.

मुद्रक : विभा प्रेस प्रा. लि., सी-66/3, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-II, नई दिल्ली-110020, वरिष्ठ संपादक: ललिता खुराना